Par. S. 17. II. 20 .53
285

अंक २

संख्या २०

सत्यमेव जयते

मंगलवार

२८ अप्रैल, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग ३६०१—३६४९]
सदन पटल पर रख गए पत्र [पृष्ठ भाग ३६४९]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग ३६५०—३६७४]

(मूल्य ४ आने)

230 P.S.D.

लोक सभा

मंगलवार, २८ अप्रैल, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**श्री पाटस्कर** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

गाय बैलों का क्षय रोग

*१६५१. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ११ नवम्बर १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८५ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश कर के यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत में पशुओं से मनुष्यों में और विशेषकर बच्चों में, क्षय रोग के फैलने की संभावना के सम्बन्ध में क्या कोई विशेष जांच की गई है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : पशुओं से मनुष्यों में क्षय रोग के फैलने की संभावना के सम्बन्ध में भारत में जांच की गई है और जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उनसे ज्ञात होता है कि मनुष्यों में गाय बैलों के क्षय रोग के फैल जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि थनों के क्षय रोग के फैलने और उस के कारण बच्चों के स्क्रोरफुला तथा इसी प्रकार

के अन्य रोगों से पीड़ित होने की संभावना के सम्बन्ध में क्या कोई पूर्ण रूपेण जांच की गई है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : गाय बैलों के क्षय रोग की कुछ प्रतिशतता अवश्य है, परन्तु ढोरों में थनों का क्षय रोग बिल्कुल नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि किस के निर्देशाधीन यह जांच कार्य किया गया था ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : यह जांच कार्य भारतीय चिकित्सकीय अनुसन्धान परिषद् के निर्देशाधीन कराया गया था । डा० सोपरकर ने सन् १९२४ से १९३० तक विस्तृत रूप से प्रयोग किये थे और परिणामों को ज्ञात किया था ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सन् १९३० के बाद यह देखने के लिये कि पशुओं से मनुष्यों में क्षय रोग फैलने की कोई संभावना है, कोई जांच की गई है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : इस की कोई आवश्यकता नहीं थी । अतः कोई प्रयोग नहीं किये गये ।

श्री वी० पी० नायर : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या अन्य देशों के चिकित्सा विशेषज्ञों का यह निश्चित मत है कि गाय बैलों के क्षय रोग के बच्चों में फैल जने की अधिकाधिक संभावना है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : जी नहीं, श्रीमान् ।

श्री दाभी : क्या मैं गाय बैलों के क्षय रोग के कारण जान सकता हूं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : क्या मैं यह निवेदन कर दूं कि भारत की परिस्थितियां भिन्न हैं और चिकित्सा व्यवसाय वालों का साधारणतया यह मत है कि क्योंकि भारत में यह दूध को औटा लेते हैं तो कदाचित यह कार्य गाय बैलों के क्षय रोग का प्रभावशाली अवरोधक हो जाता है ।

श्री एस० वी० रामास्वामी : गाय बैलों के क्षय रोग के सम्बन्ध में बहुत प्रश्न पूछे जा चुके हैं अगले प्रश्नों की बारी ही न आये ।

परिषेविकायें

*१६५२. **श्री वी० पी० नायर** : (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री भारत में अपेक्षित लोक स्वास्थ्य विभाग की तथा अन्य प्रकार की परिषेविकाओं की अनुमानित संख्या बतलाने की कृपा करेंगी ।

(ख) प्रशिक्षित परिषेविकाओं की अपेक्षित संख्या को प्राप्त करने के लिये अब तक क्या प्रयत्न किये गये हैं और क्या करने की प्रस्थापना है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) स्वास्थ्य परिमापन तथा विकास समिति की इस सिफारिश के अनुसार कि प्रत्येक ५०० की जनसंख्या के पीछे एक परिषेविका (नर्स) होनी चाहिये, भारत में ७,००,००० लोक स्वास्थ्य तथा अन्य प्रकार की परिषेविकाओं की आवश्यकता है ।

(ख) यह मुख्यतया राज्य सरकारों का कार्य है । उपलब्ध सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २८]**

श्री वी० पी० नायर : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान् कि कब तक सरकार अपने द्वारा अनुमानित संख्या में परिषेविकायें प्राप्त करने की प्रस्थापना करती हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मेरे विचार से कोई समय सीमा बतलाना संभव नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर: इस समय प्रशिक्षित परिषेविकाओं का जनसंख्या तथा प्रशिक्षित डाक्टरों की संख्या से क्या अनुपात है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : क्या मैं उत्तर दे सकती हूं ? कोई ३०,००० जनसंख्या के पीछे एक परिषेविका है । यही नवीनतम सूचना है । इस से पूर्व ४३,००० जनसंख्या के पीछे एक परिषेविका थी ।

श्री वी० पी० नायर : और डाक्टरों से ?

राजकुमारी अमृतकौर : कोई ६-७ हजार जन संख्या के पीछे एक डाक्टर है ।

श्री ए० एम० टामस : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या किन्हीं परिषेविकाओं को केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन किसी भी विद्यालय में प्रशिक्षित किया जा रहा है ? यदि हां, तो प्रति वर्ष कितनी ?

राजकुमारी अमृतकौर : केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन तो केवलमात्र परिषेविका महाविद्यालय (कालिज आफ नर्सिंग) है । उस के अतिरिक्त अन्य सभी परिषेविकाओं को राज्यों के विभिन्न अस्पतालों में प्रशिक्षित किया जाता है ।

श्री ए० एम० टामस : इस परिषेविका महाविद्यालय में प्रतिवर्ष कितनी परिषेविकाओं को प्रशिक्षित किया जाता है ?

राजकुमारी अमृतकौर : मेरे विचार से हम कोई १०० के आस पास को प्रशिक्षण दे सकते हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं ज्ञात कर सकती हूं श्रीमान्, कि क्या किन्हीं राज्यों ने महिला अपराधियों को परिषेविका बनाया है, और यदि हां, तो क्या परिषेविकाओं के चरित्र पर इस का बुरा प्रभाव पड़ रहा है ?

राजकुमारी अमृतकौर : इस सम्बन्ध में एक समाचार समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ था, और मैं ने सम्बन्धित राज्य के मुख्य मंत्री से पत्र व्यवहार किया था । उन्हों ने मुझे आश्वासन दिलाया है कि किसी भी ऐसी महिला को, जिसे गैर-ज़मानती अपराध में दंड दिया गया है, प्रशिक्षिण नहीं दिया जायेगा । परन्तु उन के सम्बन्ध में जो विपरीत परिस्थितियां होने के कारण, अथवा परिस्थितियों का शिकार होने के कारण जेल गई हैं, इस प्रशिक्षिण को उन के पुनर्वास कार्य के सम्बन्ध में दिया जा सकता है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं सर्व-काल कार्य करने वाली परिषेविकाओं को दिया जाने वाला न्यूनतम वेतन क्रम मालूम कर सकती हूं, और क्या यह विचार किया जा रहा है कि परिषेविकाओं की जीवन रक्षा के लिये वेतन-क्रम को बढ़ाना आवश्यक है ?

राजकुमारी अमृतकौर : यदि माननीय सदस्या का आशय यह है कि उन का वेतन-क्रम बहुत कम है, तो मैं उन से पूर्णतया सहमत हूं, और मैं उन के लिये राज्य सरकारों से निरन्तर संघर्ष कर रही हूं ।

श्री वी० पी० नायर : दिल्ली के परिषेविका महाविद्यालय में प्रवेश पाने के हेतु प्रार्थियों के लिये क्या न्यूनतम अर्हतायें नियत की गई हैं ?

राजकुमारी अमृतकौर : उन के मैट्रिक पास करने के बाद लिया जाता है, परन्तु विज्ञान में इंटरमिडियेट पास को वरीयता देते हैं ।

श्री वी० पी० नायर : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या परिषेविकाओं के वर्तमान वेतन को बढ़ाने की कोई निश्चित प्रस्थापना है ?

राजकुमारी अमृतकौर : परिषेविकाओं के वेतनों के सम्बन्ध में राज्य स्वायत्तशासी हैं ? मैं केवल मात्र उन से प्रार्थना कर सकती हूं तथा उन को परामर्श दे सकती हूं, और मुझे यह कहते प्रसन्नता होती है कि उन में से अधिकांश ने वेतनों को बढ़ा दिया है ।

सरदार हुक्म सिंह : परिषेविकाओं की संपूर्ण संख्या में पुरुष परिषेविकाओं की संख्या कितनी है ?

राजकुमारी अमृतकौर : पुरुष परिषेविकाओं और महिला परिषेविकाओं के वास्तविक अनुपात को बतलाने में मैं असमर्थ हूं ।

अण्डमान में क़हवा और रबड़ के वृक्षों का उगाया जाना

*१६५४. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि अण्डमान के कुछ जंगली भागों में क़हवा तथा रबड़ के वृक्ष उत्पन्न होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन वृक्षों को वहां बोना चाहती है ; तथा

(ग) इन वनों से सन् १९५०-५१ तथा १९५२-५३ में जमा की गई क़हवा तथा रबड़ की मात्रा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां, कृत्रिम रूप से लगाये गये बागानों में कुछ बहुत सीमित संख्या में ।

(ख) सरकार ने पहले ही अण्डमान में रबड़ और कहवे के छोटे पैमाने के बागान लगाये हैं और बड़े पैमाने पर कृषि कार्य करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

(ग) सन् १९५०-५१ से १९५२-५३ तक जमा की गई रबड़ तथा क़हवे की मात्रा इस प्रकार है :

वर्ष	क़हवा पौंड	रबड़ पौंड
१९५०-५१	कुछ नहीं	१७,३८९
१९५१-५२	२,५८३	३०,८९२
१९५२-५३	५७४	७०,७००

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि लांग द्वीप में जिन स्थानों पर जंगल को साफ किया जा रहा है क्या वहां की ज़मीन कृषि कार्य के योग्य है ?

डा० पी० एस० देशमुख : अभी जांच की जा रही है । उस के सम्बन्ध में हम को अभी प्रयोग करने हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह तथ्य नहीं है श्रीमान्, कि इस समय बेकार पड़ी बहुत अधिक भूमि क़हवा के जंगली तथा स्वयं उत्पन्न हुए वृक्षों से ढकी हुई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : क्योंकि मेरे मित्र हाल ही में अण्डमान हो कर आये हैं, तो संभव है कि उन का कथन ही ठीक हो ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या मैं वहां उत्पन्न किये जा रहे क़हवे की किस्म जान सकता हूं, क्या वह रोबस्टा है या अरेबिका ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह मैं नहीं बता सकता ।

श्री टी० के० चौधरी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि अण्डमान में उत्पन्न हुए क़हवे को क्या अन्ततः बाजार में बेचा गया था और क्या उस का कोई मूल्य मिला ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे पूर्व-सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री पुन्नूस : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि अण्डमान में पैदा होने वाला रबड़ क्या भारत में पैदा होने वाले रबड़ से अधिक उत्तम प्रकार का होता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : हमें ऐसी ही आशा करनी चाहिये ।

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे कोई सूचना नहीं है ।

सभापति महोदय : अगला प्रश्न । श्री नम्बियार ।

श्री नम्बियार : प्रश्न संख्या १६५५ यह शब्द "सिन्दी" नहीं वरन् "हिन्दी" है ।

दक्षिणी रेलवे से विस्थापित रेलवे कर्मचारियों का स्थानान्तरण

*१६५५. **श्री नम्बियार** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे

(क) क्या यह तथ्य है कि बहुत से विस्थापित रेलवे कर्मचारियों को दूरस्थ रेलवे स्टेशनों पर नियुक्त किया गया है; तथा

(ख) क्या सरकार को दक्षिणी रेलवे में नियुक्त हिन्दी-बंगला भाषी रेलवे कर्मचारियों मे उन के भाषावार प्रान्तों में स्थानान्तरित कर दिये जाने के सम्बन्धों में कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) कुछ विस्थापित व्यक्तियों को--विस्थापित रेलवे कर्मचारियों को नहीं--जो पश्चिमी बंगाल के शरणार्थी कैम्पों में रह रहे थे, सन् १९५१ में अधिनिर्णायक के पंचाट के अनुसार होने वाली रिक्तियों पर पुनर्वास मंत्रालय के अनुरोध पर दक्षिणी रेलवे में नियुक्त किया गया था ।

(ख) जी हां, जब और जितनी भी रिक्तियां हों, तो उनको उन के भाषावाले क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिये जाने के प्रबन्ध कर दिये गये हैं ।

श्री नम्बियार : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या उन को शीघ्र ही स्थानान्तरित कर दिया जायेगा क्यों कि 'जब और जितनी भी रिक्तियां हों' वाक्य बहुत ही अनिश्चित सा है ?

श्री अलगेशन : जब इन शरणार्थियों को दक्षिणी रेलवे में नियुक्त किया गया था तो रेलवे अधिकारियों ने उन से कह दिया था कि उन को ऐसे स्थानों को भेजा जा रहा था जहां की भाषा इत्यादि विभिन्न थीं । इस प्रकार इन अवस्थाओं को भली भांति जानते हुए वह वहां गये थे । उन में से बहुतों को उत्तरी तथा पूर्वी रेलवेज़ में स्थानान्तरित कर दिया गया है । शेष को तभी स्थानान्तरित किया जा सकता है जब कि रिक्तियां हों । ऐसी कोई बात नहीं थी कि वह वहां की अवस्था को जाने बिना ही चले गये थे ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार सिन्ध के विस्थापित रेलवे कर्मचारियों को कांडला-डीसा रेलवे पर कार्य करने के लिये स्थानान्तरित करने की वांछनीयता पर विचार करेगी, क्योंकि ऐसा करने से गांधीधाम के विकास में सहायता मिलेगी ?

श्री अलगेशन : मैं वैसे ही उत्तर नहीं दे सकता हूं। इस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री नानादास : क्या मैं इस रेलवे में काम कर रहे हिन्दी और बंगला भाषी कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कर सकता हूं ?

श्री अलगेशन : मेरे पास यहां संख्या नहीं है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या उन व्यक्तियों को, जिन को अन्य स्थानों पर स्थानान्तरित किया जाता है, मुफ्त रेलवे पास तथा अन्य सुविधायें दी जाती हैं ?

श्री अलगेशन : सामान्य शर्तों का पालन किया जायेगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या रेलवे के पुनर्वर्गीकरण के कारण इन व्यक्तियों को दूरस्थ स्थानों को भेजा गया है, यदि ऐसा है, तो उन को उन के मूल स्थानों को वापस लाये जाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अलगेशन : जी नहीं, श्रीमान् । यह पूर्वी बंगाल से आने वाले शरणार्थियों को नौकरियां देने का प्रश्न था, यह लोग पश्चिमी बंगाल में मरते जा रहे थे । क्योंकि दक्षिणी रेलवे में कुछ रिक्तियां थीं इस लिये उन को वहां सेवायुक्त कर दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

श्री एस० सी० सामन्त : तो क्या मैं यह समझूं कि पुनर्वर्गीकरण के कारण कोई स्थानान्तरण नहीं हुए हैं ?

श्री अलगेशन : पुनर्वर्गीकरण का इस से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री थानू पिल्ले : क्या हमारे देश में सिन्धी भाषी कोई क्षेत्र है ?

श्री अलगेशन : शब्द 'सिन्धी' प्रेस की गलती से छप गया है । उस के स्थान पर 'हिन्दी' होना चाहिये था ।

आलू अनुसन्धान स्टेशन

*१६५६. **श्री एन० एम० लिंगम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में आलू अनुसन्धान केन्द्रों की संख्या;

(ख) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के नियंत्राणाधीन केन्द्रों के नाम; तथा

(ग) क्या सरकार ने कभी किसी समय इन सभी केन्द्रों को अपने नियत्रण मे ले लेने के प्रश्न पर विचार किया है ?

खाद्य मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) १५.

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है ।

(ग) जी नहीं ।

विवरण

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन आलू अनुसन्धान केन्द्र

(क) केन्द्रीय सरकार

(१) केन्द्रीय आलू अनुसन्धान विद्यालय पटना (बिहार)

(२) आलू प्रजनन केन्द्र शिमला (पंजाब)

(३) आलू उत्पादन उप-केन्द्र मुवाली (उत्तर प्रदेश)

(४) आलू प्रमाणीकरण उपकेन्द्र, कुफरी (हिमाचल प्रदेश)

(ख) राज्य सरकारें

आसाम

(५) उपरला शिलांग कृषि फार्म,

मद्रास

(६) कृषि अनुसन्धान केन्द्र नेजनाड (नीलगिरी की पहाड़ियां)

पंजाब

(७) आलू अनुसन्धान केन्द्र पालमपुर (जिला कांगड़ा)

(८) शाखा उप-केन्द्र मनाली (कुलू घाटी)

उत्तर प्रदेश

(९) आलू अनुसन्धान उप-केन्द्र, फर्रुखाबाद

(१०) आलू अनुसन्धान उप-केन्द्र, कौसानी (जिला अल्मोड़ा)

(११) सरकारी अनुसन्धान फार्म कानपुर

पश्चिमी बंगाल

(१२) आलू अनुसन्धान केन्द्र, मनजंग (जिला दार्जिलिंग)

(१३) आलू अनुसन्धान केन्द्र, रंगबुल (जिला दार्जिलिंग)

हिमाचल प्रदेश

(१४) हिमाचल आलू विकास केन्द्र, शिलारू (जिला महासू)

(१५) हिमाचल आलू विकास केन्द्र अल्हा (जिला चम्बा)

श्री एन० एम० लिंगम : केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में अनुसन्धान केन्द्र हैं क्या मैं उन के संधारण पर किये जाने वाले व्यय को, अन्तिम वर्ष के जिस के आंकड़े उपलब्ध हों, ज्ञात कर सकता हूं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या मैं देश में आलू उत्पादन के सम्बन्ध में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनाई गई सहयोजित विकास योजना की प्रगति को ज्ञातकर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सारी योजना यहां बतानी पड़ेगी ।

श्री एन० एम० लिंगम : जी नहीं, श्रीमान्। बीज वाले ३० लाख मन आलुओं को उगाये जाने की योजना थी। मैं ज्ञात कर सकता हूं कि उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : प्रश्न आलू अनुसन्धान के केन्द्रों के सम्बन्ध में था। मुझे खेद है कि मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

श्री नानादास : प्रश्न के भाग (ग) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर से उत्पन्न होते हुए क्या मैं इन केन्द्रों के सरकार द्वारा न लिये जाने के कारण ज्ञात कर सकता हूं ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमारा विचार है कि जिन केन्द्रों की हम देख रेख करते हैं वह हमारे कार्य के लिये काफी हैं। राज्यों के कन्धों पर भी तो कुछ उत्तर दायित्व डाला जाना ही चाहिये।

श्री जी० एच० देशपांडे : क्या पूना ज़िले में कोई आलू अनुसन्धान केन्द्र है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी नहीं, श्रीमान्।

श्री जी० एच० देशपांडे : क्या सरकार को तथ्य विदित है कि पूना एक बहुत उत्तम आलू उत्पादन केन्द्र है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमें यह सुन कर बहुत प्रसन्नता हुई।

पंडित डी० एन० तिवारी : आलू अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने के लिये उपयुक्त स्थानों का चुनाव करने की क्या कसौटी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जिन भी स्थानों को हम इस कार्य के लिये उपयुक्त समझते हैं। जहां जहां भी राज्यों द्वारा खोले गये केन्द्र हैं मुझे विश्वास है कि उन्हों ने भी यही किया है :

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सारन ज़िले के दिघवाड़ा स्थान को, जहां बहुत अधिक आलू पैदा किया जाता है, ऐसे अनुसन्धान केन्द्र स्थापित किये जाने के लिये चुना गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह बात मैं माननीय सदस्य से राज्य सरकार से पूछने की प्रार्थना करूंगा।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री ने अभी १५ रिसर्च स्टेशनों का ज़िक्र किया। क्या मैं जान सकता हूं कि पर्वतीय इलाकों में कौन कौन रिसर्च स्टेशन हैं और उन में रिसर्च का कितना कार्य किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह मुझे ज्ञात नहीं कि उन का आशय किन क्षेत्रों से है। हिमाचल प्रदेश में दो हैं, और उत्तर प्रदेश में तीन हैं। अल्मोड़ा ज़िले में कौसानी स्थान पर एक आलू अनुसन्धान उप केन्द्र है। इन सब के नाम विवरण में दिये गये हैं।

कुछ माननीय सदस्य — खड़े हुए

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य ऐकाएकी उठ कर वैसे ही प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। जल्दी किस बात की है ? जब कि माननीय मंत्री उत्तर दे रहे हैं इस समय वह प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं।

डा० पी० एस० देशमुख : जैसा कि विवरण में दिया गया है केवल मात्र एक ही स्थान ऐसा है जहां आलू पैदा करने की चेष्टा की जा रही है, और वह स्थान है कोई ईकनाल और पलनी की पहाड़ियां। इस के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

श्री सरमा : इस बात का ध्यान रखते हुए कि कृषि राज्य सरकारों का विषय है, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार इन अनुसन्धान केन्द्रों का राज्य सरकारों को सौंप क्यों नहीं देती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : कम से कम आसाम में हमारा कोई अनुसन्धान केन्द्र नहीं है, अतः माननीय सदस्य को शिकायत करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या मैं इन केन्द्रों में पैदा की गई सुधरी हुई किस्मों की संख्या ज्ञात कर सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस सम्बन्ध में कोई विवरण नहीं हो सकता है ? क्या माननीय मंत्री के पास यह सूचना है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी नहीं, श्रीमान् ।

रेलवे में लोक स्वास्थ्य विभाग

*१६५६. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या रेल मंत्री संविलयन के बाद रेलवे में सफाई सम्बन्धी प्रबन्धों को सुधारने के लिये की गई कार्यवाहियों को बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) क्या रेलवे में कोई लोक स्वास्थ्य विभाग का कार्य कर रहा है ?

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक रेलवे प्रणाली में इन लोकस्वास्थ्य कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) रेलवे ने रेलवे भूमि में सदा से ही लोक सवास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था की है, यह अब भी जारी है और पुनर्वर्गीकृत रेलवे प्रणालियों में मिला दी गई है ।

(ख) किसी भी रेलवे में कोई पृथक लोक स्वास्थ्य विभाग नहीं है, परन्तु यह कार्य साधारणतया मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नियंत्रित किया जाता है ।

(ग) सूचना तत्काल ही उपलब्ध नहीं है ।

श्री मुनिस्वामी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या रेलवे के ५०० से अधिक सफाई निरीक्षिकों को कोई निश्चित कार्य नहीं दिया गया है ?

श्री अलगेशन : मैं वास्तविक संख्या तो बता नहीं सकता, परन्तु उन को निश्चित कार्य आवंटित किये जाते हैं, और वह अपना निर्धारित कार्य कर रहे हैं। मुझे ज्ञात नहीं कि माननीय सदस्य को यह सूचना कहां से मिली है ?

श्री मुनिस्वामी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या रेलवे पर्षद् ने रेलवे के प्रथम श्रेणी के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा सन् १९४७ में लोक स्वास्थ्य विभाग की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में पारित किये गये प्रस्ताव को कार्यान्वित किया है ?

श्री अलगेशन : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री नानादास : इन व्यक्तियों द्वारा कौन कौन से सफाई सम्बन्धी कार्य किये जाते हैं ?

श्री अलगेशन : वह रेलवे स्टेशनों तथा उस की आस पास की भूमि के सफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी प्रबन्धों की जांच करते हैं, रेलवे स्टेशनों तथा रेलवे के अन्य स्थानों पर बेची जाने वाली खाद्य वस्तुओं की परीक्षा करते हैं, रेलवे की भोजन गाड़ियों की जांच करते हैं, इत्यादि इत्यादि।

श्री मुनिस्वामी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या स्थानीय लोक स्वास्थ्य अधिकारियों का रेलवे की भूमि उस के भोजनालयों, दुकानों इत्यादि पर कोई क्षेत्राधिकार है ?

श्री अलगेशन : रेलवे कर्मचारी इन बातों की देख रेख रखते हैं ।

सभापति केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन

*१६६०. **श्री एन० प्रभाकर** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि भारी मशीनों के खरीदने के लिये केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के सभापति को सरकारी खर्चे पर संयुक्त राज्य अमरीका भेजा गया था ?

(ख) यदि हां तो क्या उन्होंने आठ लाख रुपये के मूल्य की आठ इन्टर नेशनल ट्रक खरीदी थीं ?

(ग) क्या यह तथ्य है कि इन ट्रकों को बिना खोल कर फिट किये ही बेचा जा रहा है ?

(घ) यदि हां तो इस के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां, सभापति को सन् १९५१ में अतिरिक्त भागों, स्टाक तथा कुछ भारी मशीनों की खरीद का प्रबन्ध करने के संयुक्त राज्य अमरीका भेजा गया था।

(ख) यह तथ्य है कि इस प्रकार की वस्तु-सूची के आधार पर भारतीय प्रदाय आयोग ने आठ ट्रक खरीदे थे। इन आठ ट्रकों का कुल मूल्य कोई ४ लाख रुपये है आठ लाख रुपये नहीं ।

(ग) इन आठ ट्रकों में से चार को इन का पूरा मूल्य मिलने पर उन के मूल बेठनों में ही हीराकुंड बांध निर्माण परियोजना को बेच दिया गया था। शेष चार ट्रकों को बेठनों में से निकाल कर जोड़ लिया गया है और बिना काम में लाये उन को वैसे ही स्टोर में रख दिया गया है। उन को भी बेच देने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(घ) एक समिति, जिस में इस सदन का प्रतिनिधि भी है, केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के कार्यकरण की जांच करने के लिये बनाई गई है, और समिति को निर्दिष्ट किये गये विषयों में से एक विषय केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा की गई खरीदों की उपयुक्तता की जांच करना भी है ।

श्री एन० प्रभाकर : यह ट्रक साधारण ट्रकों से कितने बड़े हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : काफी बड़े हैं। इन की कीमत ३५ हज़ार तक जाती है ।

डा० सुरेश चन्द्र : जब कि हमारे एक प्रदाय आयोग पहले से ही वाशिंगटन में मौजूद हैं तो इस अधिकारी को संयुक्त राज्य अमरीका क्यों भेजा गया ?

डा० पी० एस० देशमुख : आशय यह था कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन की आवश्यकताओं को व्यक्तिगत रूप से बताया जाय और इस प्रकार प्रदाय आयोग से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित किया जाये ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या हम यह सूचना पत्रव्यवहार द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते थे ?

डा० पी० एस० देशमुख : स्पष्टतया नहीं।

श्रीमती ए० काले : मैं ज्ञात कर सकती हूं कि जब इन आठों ट्रकों की जरूरत थी तो उन में चार अभी तक क्यों बेकार पड़े हुए हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह एक लम्बी कहानी है । जिस समय यह ट्रक खरीदे गये थे विचार यह था कि भारी ट्रैक्टरों का इन ट्रकों के द्वारा ले जाया जाना, अधिक लाभदायक रहेगा। जब वह यहां आये, तो हम ने अपने ग्रेडरों से, जिन को हम ने खरीदा था, अपनी सड़कें बनानी शुरू कर दीं। इन नई बनाई गई सड़कों पर उन भारी ट्रकों के स्थान पर जिन को हम ने खरीदा था, अन्य प्रकार की गाड़ियां, या अन्य प्रकार की मोटर कारें काम में लाना अधिक अच्छा था। मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि हमें अभी तक कोई हानि नहीं उठानी पड़ी है। यह तो केवलमात्र एक विचार धारा को छोड़ कर दूसरी को अपना लेना है, क्योंकि दूसरी बात को अधिक लाभदायक समझा गया ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या मैं इस कार्य के सिलसिले में इस अधिकारी द्वारा किये गये व्यय की रकम जान सकता हूं ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान् की गई खरीद को देखते हुए यह व्यय अति नगण्य मालूम होगा ।

श्री सारंगधर दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान् कि इस खरीदारी को करने पहले वाले सभापति गये थे या अब के ?

डा० पी० एस० देशमुख : वर्तमान सभापति ।

श्री केलप्पन : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान् कि और कौन से सौदे इस अधिकारी ने किये ।

डा० पी० एस० देशमुख : जी नहीं, श्रीमान्, मेरे पास यहां सूची नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि क्या वह चारों ट्रक, जो हीराकुड भेजे गये थे, वहां काम में लाये जा रहे हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, श्रीमान्, मेरे विचार से कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को बिना काम में लाये खरीदता नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह : उन को भारत सरकार ने खरीदा था ?

श्री फ़िरोज़ गांधी : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि क्या यह तथ्य है कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के यांत्रिक सुपरिवीक्षण का प्रभारी व्यक्ति स्वयं भी अर्ह अंजनिक नहीं है ।

डा० पी० एस० देशमुख : वह विशेषज्ञ है या नहीं इस के सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है । इस समय तो, वह अंजनिक नहीं है ।

श्री फ़िरोज़ गांधी । मैं ज्ञात कर सकता हूं, श्रीमान्, कि इस सम्बन्ध में मत भेद क्यों है । इस मामले में तो मतभेद हो ही नहीं सकता है ।

डा० पी० एस० देशमुख : कुछ का विचार है कि एक प्रशासक का होना आश्वयक है, कुछ अन्य व्यक्तियों का विचार है कि अंजनिक होना आवश्यक है ।

डा० सुरेश चन्द्र खड़े हुए —

श्री फिरोज़ गांधी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है, श्रीमान् ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री का यह कहना है कि इस प्रश्न पर कि क्या किसी योग्यता प्राप्त अंजनिक का होना आवश्यक है या कोई भी अन्य व्यक्ति उस काम को कर सकता है, मतभेद है । इसलिये योग्यताओं का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है ।

डा० सुरेश चन्द्र : इस अफसर की अमरीका यात्रा पर कितना धन व्यय हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हों ने कहा कि वह नगण्य था ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि क्या यह चार ट्रैक्टर स्हीराकुड अधिकारियों द्वारा मंगाये गये थे अथवा यह उन पर ठूंस दिये गये हैं ।

डा० पी० एस० देशमुख : जी नहीं, श्रीमान्, कोई चीज़ लादी नहीं गई है । मेरे विचार से हम किसी पर कोई भी चीज़ लाद देने योग्य हैं ही नहीं । इन को उन्हों ने खरीदा था क्योंकि उन को उन्हों ने आवश्यक समझा था । पर वह ट्रक थे ट्रैक्टर नहीं थे ।

श्री दामोदर मेनन : श्रीमान्, क्या मैं इस समय केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के पास बेकार पड़े ट्रैक्टरों की कुल संख्या ज्ञात कर सकता हूं ।

डा० पी० एस० देशमुख : पहली बात, यह प्रश्न ट्रैकों के सम्बन्ध में था । मेरे पास यहां आंकड़े नहीं हैं, परन्तु मेरे विचार से ऐसे कोई ट्रैक्टर नहीं हैं जो खरीदे तो गये हैं पर जिन को काम में नहीं लाया गया है ।

आसाम में 'सस्ते अनाज की दुकानें'

*१६६१ **श्री रिशांग किशिंग** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की

की कृपा करेंगे कि सीमान्त क्षेत्रों को गारों जातियों के लिये "सस्ते अनाज की दुकानें" खोलने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा आसाम सरकार को कितनी धन राशि स्वीकृत की गई थी ?

(ख) सस्ते अनाज की कितनी दुकानें खोली गई हैं और कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है ?

(ग) क्या स्वीकृत धन राशि का कुछ भाग अधिकारियों द्वारा केन्द्रीय सरकार को वापस कर दिया गया है ?

(घ) यदि हां, तो कितनी धन राशि वापस कर दी गई है और क्यों ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) केन्द्रीय सरकार ने इस कार्य के लिये कोई अनुदान नहीं दिया है परन्तु इस बात का वायदा किया है कि यदि वित्त आयोग की सिफारिशों के परिणाम-स्वरूप यदि आसाम सरकार के राजस्व में वृद्धि नहीं हुई तो वह खासी, जैन्तिया और गारों की पहाड़ियों में शिलांग के मूल्यों पर सस्ते चावल के बेचे जाने का परिव्यय वहन करेगी ।

(ख) सस्ते अनाज की नौ दुकानें खोली गई हैं और उन से २५,००० व्यक्तियों के लाभ उठाने की प्रत्याशा है ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

श्री सरमा : वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने के बाद अब इस समय स्थिति कैसी है ? मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने आसाम सरकारको आर्थिक सहायता दी या नहीं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : वित्त आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप उस की आर्थिक स्थिति सुधर गई है और वित्त मंत्रालय का कहना है कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमें अनाज के लिये कोई अर्थिक सहायता देनी चाहिये ।

अन्तर्राष्ट्रीय गेंहू समझौता

*१६६३. **श्री के० पी० सिन्हा** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अन्तर्राष्ट्रय गेहूं समझौते के सम्बन्ध में हो रही बातचीत किसी अन्तिम दौर में पहुंच गई है ?

(ख) यदि हां, तो अब नया अधिकतम मूल्य कितना निश्चित किया गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) फोर्ट विलियम । पोर्ट आर्थर के गोदामों में २.०५ (सुवर्ण डालर) प्रति बुशल ।

श्री के० पी० सिन्हा : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि हम ने प्रति वर्ष कितनी परिमात्रा खरीदने का वायदा किया है, और यदि खुले बाजार में मूल्य गिर जाये तो क्या हम को इसी निश्चित दर के अनुसार मूल्य देने पर बाध्य होना पड़ेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : इन सारी बातो पर कल चर्चा की थी ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : जी हां, श्रीमान् । इस प्रश्न पर कल चर्चा हुई थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अगले प्रश्न को लूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । प्रश्न संख्या १६६५ ।

श्री सिंहासन सिंह : श्रीमान्, प्रश्न के भाग (क) में एक महत्वपूर्ण संशोधन है । यह है 'उसी पतन से पर्याप्त नौभार नहीं मिलता है' ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : अब प्रश्न को कैसे ठीक किया जा सकता है ?

कलकत्ता पत्तन में जहाजों के लिए नौभार

*१६६५. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि कलकत्ता पत्तन से माल लादने वाले विदेशी स्वामित्व वाले जहाज प्रायः सदैव नौभार की सम्पूर्ण मात्रा लाद कर ही जाते हैं और यह कि समुद्र पार व्यापार में लगे भारतीय स्वामित्व वाले जहाजों को उसी पत्तन से पर्याप्त नौभार वास्तव में मिलता है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो इस के कारण; तथा

(ग) क्या यह तथ्य है कि भारत में कार्य करने वाली नौ परिवहन कम्पनियों ने भारतीय व्यापार मंडलों (चैम्बर्स आफ कामर्स) द्वारा जारी किये गये 'माप-तोल प्रमाण-पत्र' को स्वीकार करने से मना कर दिया है, यदि] हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख) हाल के कुछ महीनों में ऐसी कुछ शिकायतें सरकार के ध्यान में आई हैं और वास्तविक तथ्यों को ज्ञात करने और भारतीय नौ परिवहन समवायों को उठानी पड़ रही विशेष कठिनाइयों, यदि कोई हों, के कारणों के जानने के लिये जांच की जा रही है ।

(ग) जी हां, यह मामला भारतीय व्यापार मंडलों और विदेशी नौपरिवहन समवायों के बीच व्यक्तिगत रूप से समझौता तय्यार करके निश्चित करने का है, क्योंकि जैसा कि समझा जाता है कि फैडेरेशन आफ इंडियन चम्बर्स आफ कामर्स ऐण्ड इंडस्ट्री इस मामले पर ऐसोसियेटेड चैम्बर आफ कामर्स, कलकत्ता तथा भारत संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन नौपरिवहन सम्मेलन से सीधे ही बात चीत कर रहा है, इस लिये सरकार इस मौके पर इस मामले में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं समझती है ।

श्री सिंहासन सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि यह बात कि कलकत्ता के पत्तन से भारतीय जहाजों को पर्याप्त नौभार नहीं मिल रहा था परन्तु विदेशी जहाजों को पर्याप्त नौभार मिलता है, कब सरकार के ध्यान में लाई गई थी ?

श्री अलगेशन : मैं ठीक तारीख तो बता नहीं सकता हूं । केवल कुछ दिनों पहले ही यह बात हमारे ध्यान में लाई गई थी ।

श्री सिंहासन सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं, श्रीमान्, यह बात कब से हो रही है, कि भारतीय जहाजों को पर्याप्त नौभार नहीं मिल रहा है ——और पर्याप्त नौभार मिलने में जो कठिनाइयां हैं, यदि कोई हैं तो, उन को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री अलगेशन : श्रीमान्, उन को नौभार मिलता रहा है, परन्तु संभव है कि वह पर्याप्त न हो। विभिन्न वर्षों के आंकड़े मेरे पास यहां नहीं हैं। परन्तु नौभार प्राप्त करने का भार पूर्णतया जहाजी समवायों पर ही है, और वह यह प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या यह सन्देह करने का कोई आधार है कि विदेशी कम्पनयां इस मामले में भारतीय नौपरिवहन के विरूद्ध कोई भेदभाव कर रही है ?

श्री अलगेशन : इसी ही बात की तो जांच की जा रही है ।

श्री नानादास : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि कब तक यह बुराई दूर हो जायेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : जांच के बाद ।

श्री अलगेशन : हम अपने जहाज़ों के लिये जितना भी संभव होता है नौभार प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं ।

श्री के० सी०सोधिया : क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में सन्तोष प्रकट नहीं किया है कि भारतीय नौपरिवहन समवाय अधिकाधिक व्यापार कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम तर्क कर रहे हैं ।

श्री के० सी० सोधिया : अभी उसी दिन मैं ने यह पढ़ा था कि उस ने इस सम्बन्ध में सन्तोष प्रकट किया है ।

श्री अलगेशन : हमें केवल मात्र इतना ही सन्तोष है कि समुद्र पार व्यापार में लगे इन नौपरिवहन समवायों की आय वर्ष प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है । यह एक सन्तोषजनक बात होनी चाहिये ।

श्री सिंहासन सिंह : मैं जात कर सकता हूं, श्रीमान्, कि व्यापारी संस्था द्वारा जारी किये गये माप-तोल प्रमाणपत्र इन समवायों को मान्य क्यों नहीं हैं और प्रमाण-पत्र देने से पूर्व क्या उन को दुबारा क्यों तौलवाते हैं ? क्या इस का कारण यह है कि भारतीय माप-तोल भी बाट निश्चित प्रमाण के नहीं है ?

श्री अलगेशन : मेरा ऐसा विचार नहीं है श्रीमान् । परन्तु अब तक प्रथा यह रही चली आई है कि योरोपीय व्यापार मंडल यह माप-तोल करते रहे हैं और अब नौपरिवहन समवाय हमारे माप-तोलों को स्वीकार नहीं करते हैं । इस प्रश्न पर अब भारतीय व्यापार मंडल द्वारा नौपरिवहन समवायों तथा योरोपीय व्यापार मंडलों से बातचीत की जा रही है ।

कृषि संचालक, पंजाब

*१६६७. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री अपने मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में १९ मार्च, १९५३ को इस सदन में दिये गये अपने भाषण का निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे ।

(क) क्या उक्त भाषण में उल्लिखित कृषि संचालक, पंजाब, जिस ने एक ऐसे सार्थ को चीनी दिये जाने की सिफारिश की थी जिस का बाद को कोई अस्तित्व ही नहीं पाया गया था, के विरुद्ध गलत सिफारिश करने के अपराध में अभियोग-पत्र लगाया गया था;

(ख) चीनी को चोर बाजार में चले जाने देने के अपराध में क्या उक्त सम्बद्ध अधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय जांच की गई थी; तथा

(ग) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला और क्या कार्यवाही की गई; तथा

(घ) यदि नहीं, तो उस के कारण ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी नहीं ।

(ख) इस मामले की जांच गृह कार्य मंत्रालय के विशेष पुलिस स्थापना द्वारा की गई थी ।

(ग) तीन व्यक्तियों पर—उक्त सार्थ के मालिक, प्रविधिक अधिकारी तथा फल विकास परामर्शदाता के कार्यालय के निरीक्षक पर—अभियोग चलाया गया था । बाद को वह अपील से छूट गये थे ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है ।

श्री आर० एन० सिंह : क्या यह आफिसर रिटायर हो गया था या उस ने इस्तीफा दे दिया था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : किस अफसर के बारे में सवाल है ?

श्री आर० एन० सिंह : जिस अफसर के सम्बन्ध में मैं ने यह प्रश्न पूछा है ।

श्री किदवई : दो तीन आफिसरों के बारे में सवाल था और यह कहा गया कि उन में से दो आदमियों का प्रासीक्यूशन हुआ था ।

डा० पी० एस० देशमुख : डाइरेक्टर से मतलब है तो वह तो काम करते थे ।

श्री केलप्पन : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस अफसर के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही की गई थी ?

श्री किदवई : जैसा कि उत्तर में निवेदन किया गया है यह मामला पुलिस द्वारा जांच किये जाने के लिये गृह मंत्रालय को भेजा गया था और तीन आदमियों का चालान किया जिस में विभाग के दो अफसर भी थे । मूल अदालत में उन को सज़ा दी गई थी, परन्तु अपील में वह छूट गये थे ।

श्री केलप्पन : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या विभागीय कार्यवाही की गई ?

श्री किदवई : मेरा ख्याल है कि भारत सरकार की सेवा में जो अफसर थे उन को सेवामुक्त कर दिया गया था, परन्तु मुझे निश्चय नहीं है, क्योंकि मामला बहुत पुराना है । मुझे तो यही बताया गया है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या कृषि संचालक (डाइरेक्टर आफ एग्रीकल्चर) के सम्बन्ध में जिस के खिलाफ शिकायत की गई थी, कोई विभागीय जांच की गई थी या कोई कार्यवाही की गई थी ?

श्री किदवई : जैसा कि मैं ने निवेदन किया मामला गृह मंत्रालय को भेजा गया था । पुलिस की क्या रिपोर्ट थी यह मुझें मालूम नहीं । प्रारम्भ में कृषि संचालक के विरुद्ध भी अभियोग लगाया गया था परन्तु अदालत में अभियोग चलाये जाते समय उन का नाम अभियुक्तों में नहीं था ।

सरदार हुक्म सिंह : जिस सरकार के अन्तर्गत वह सेवा युक्त थे क्या उस ने उन की सेवा-पुस्तिका में कोई टिप्पणी लिखी थी ?

श्री किदवई : यह प्रश्न पंजाब सरकार से पूछा जाना चाहिये क्यों कि वह हमारी सेवा में नहीं था ?

सरदार हुक्म सिंह : उस दिन इस सदन में यह आभास दिया गया था कि जितनी भी चीनी दी जा रही थी वह सब की सब चोर बाजार में चली जा रही थी । मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार ने इस की ओर कोई ध्यान दिया क्योंकि माननीय मंत्री उक्त सरकार के अभिलेखों में से कुछ पढ़ कर सुना रहे थे ?

श्री किदवई : श्रीमान्, जैसा कि मैं उस दिन निवेदन किया था, पंजाब उ कथित सार्थ की ओर से एक प्रार्थना प्राप्त हुआ था और कृषि संचालक, प ब ने उस पर चीनी का आवंटन किये जाने की सिफारिश की थी । मैं उस सारी टिप्पणी को पढ़ कर सुना सकता हूं । यह बात हुई इस प्रकार कि जिस व्यक्ति को आवंटन के लिये सिफारिश की गई थी उस का लड़का एक प्रविधिक अधिकारी था और उस ने कृषि संचालक की रिपोर्ट के आधार पर जोर दार सिफारिश की थी । चीनी का अभ्यंश उसे दे दिया गया । परन्तु चीनी दिये जाने से पूर्व फल सुरक्षण अधिकारी को यह पता लगा कि इस नाम का कोई भी सार्थ नहीं था । अतः मामले की जांच करने के लिये एक अफसर यहां से भेजा गया । उसे उस कथित सार्थ के अहाते में घुसने भी नहीं दिया गया, परन्तु उस ने यह रिपोर्ट दी कि वहां न तो कोई मशीनें ही थीं और न फल सुरक्षण सम्बन्धी कोई काम ही वहां हो रहा था । अतः मामला

पुलिस को सौंप दिया गया और आवंटन रद्द कर दिया गया। यह है तथ्य इस मामले के जो मैं ने उस दिन बताये थे और आज फिर उन को दुहरा रहा हूं।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह वही सार्थ था जिस के बहुत बड़े बाग हैं और जिस के फल बेकार नष्ट हो रहे थे और यह सिफारिश की गई थी कि उन को सुरक्षित रखने के लिये काम में लाया जाये ?

श्री किदवई : प्रार्थना पत्र किसी सार्थ की ओर से था। संचालक की सिफारिश का आधार दूसरा ही था। उन्हों ने लिखा था कि वह आवेदक को जानते थे। अतः एक ऐसे सार्थ के प्रार्थना पत्र पर सिफारिश की गई थी जिस का अस्तित्व ही नहीं था।

श्री नानादास : क्या मैं उक्त सार्थ द्वारा प्राप्त की गई चीनी की सम्पूर्ण परिमात्रा ज्ञात कर सकता हूं और क्या सरकार को कोई हानि उठानी पड़ी है, और यदि हां, तो कितनी ?

श्री किदवई : हानि का तो कोई प्रश्न ही नहीं है क्यों कि यदि उस सार्थ को चीनी मिलती भी तो भी वह नियंत्रित मूल्य पर ही मिलती। परन्तु, जैसा मैं ने निवेदन किया, चीनी का आवंटन दिये जाने से पूर्व, आवंटन को रद्द कर दिया गया था।

श्री गिडवानी : ऐसी सिफारिश करने के लिये क्या उक्त अफसर पर किसी उपयुक्त न्यायालय में अभियोग चलाया गया था ?

श्री किदवई : जैसा कि मैं ने निवेदन किया, हम ने इस मामले को विशेष पुलिस द्वारा, जांच किये जाने के लिये गृह विभाग को सौंप दिया था।

स्टील के आयात के सम्बन्ध में भारत-संयुक्त राज्य समझौता

*१६६८. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या दिसम्बर १९५२ में भारत ने संयुक्त राज्य अमरीका के साथ ३० जून, १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष के अन्त तक ५५०० टन स्टील दिये जाने के सम्बन्ध में कोई समझौता किया था ?

(ख) इस समझौते की शर्तें क्या थीं ?

(ग) स्टील की बिक्री से होने वाली आय को किस प्रकार तथा किस कार्य के लिये काम में लाया जायेगा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) प्रविधिक सहकारिता कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार ने संयुक्त राज्य की सरकार से कृषि कार्यों के हेतु १,१०,००० टन स्टील आयात करने का करार किया है।

(ख) संगत समझौते की प्रतियां सदन पटल पर रखी जाती हैं। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २९]**

(ग) इस स्टील की बिक्री से होने वाली आय को जैसा कि करार में प्रावधानित है, दोनों सरकारों द्वारा पारस्परिक सहमति से निर्धारित किये गये भारत के आर्थिक विकास की अग्रेतर योजनाओं को सफलीभूत बनाने के लिये काम में लाया जायेगा। यह निश्चित किया गया है कि हम स्टील का अधिकांश भाग विभिन्न औजारों, गाड़ियों के पहियों तथा ऐसे ही अन्य वस्तुओं को बनाने के लिये कृषकों तथा देहाती कारीगरों को बेच दिया जायगा। शेष परिमात्रा कृषि सम्बन्धी मशीनों के बनाने के लिये उपलब्ध होगी।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इन आयातों का सम्पूर्ण मूल्य डालरों में क्या है ?

डा० पी० एस० देशमुख : करार में डालरों में मूल्य नहीं दिया गया है, उस में तो केवल परिमात्रा ही दी हुई है करार में यह भी कहा गया है कि परियोजना का सम्पूर्ण प्राक्कलित व्यय ८,३८५,००० डालर है और रुपये की मुद्रा में अंशदान कोई १२ लाख होगा ।

श्री सी० डी० पांडे : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि संयुक्त राज्य अमरीका मे मंगाई गई स्टील उस स्टील की रद्दी छीलन से जिसे हम बाहर भेजते हैं किसी प्रकार सस्ती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : यह एक निःशुल्क दान था जिस की बिक्री से प्राप्त हुए धन को विकास कार्यों के लिये काम में लाया जायेगा ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं उस अभिकरण का नाम जान सकता हूं जिस के द्वारा यह स्टील कृषि कार्य करने वालों को बेची जायेगी ?

श्री किदवई : यह कार्य उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है ।

डा० राम सुभग सिंह : जैसा कि पिछले अवसर पर किया गया था, क्या यह स्टील कृषकों को कृषि अधिकारियों के द्वारा बेचा जायेगा । या अन्य कोई विशेष अभिकरण है जिस के द्वारा यह बात कराई जायेगी ?

श्री किदवई : कृषि औज़ार बनाने के लिये किसानों को इस स्टील का आवंटन किया गया है और आवंटन राज्य सरकारों के द्वारा किये जाते हैं ।

श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि अब तक कितनी परिमात्रा आयात की गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे सूचना नहीं है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इसे सहकारी समितियों द्वारा वितरित किया जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : स्वयं करार में ही यह कहा गया है कि इस का वितरण किस प्रकार किया जाना चाहिये; इस का वितरण या तो राज्य सरकारों द्वारा होना चाहिये या सहकारी समितियों द्वारा ।

श्री किदवई : यह राज्य सरकारों पर निर्भर है ।

डा० राम सुभग सिंह : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि युद्धोत्तर वर्षों में कृषकों को लोहेका जो भी आवंटन दिया जाता था वह उन को उन अभिकरणों के द्वारा प्राप्त नहीं होता था, जिन को इस कार्य के करने का भार सौंपा हुआ था, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या उन्हीं अभिकरणों को अब भी वही काम सौंपा जायेगा ?

श्री किदवई : जैसा कि मैं ने निवेदन किया, वितरण का भार राज्य सरकारों के ऊपर डाला गया है और हम राज्य सरकारों का अवक्रमण नहीं कर सकते हैं । राज्यों की विधान सभाओं में किसानों की शिकायतों पर यदि कोई हों तो, आग्रह करने के लिये उन के अपने प्रतिनिधि हैं ।

वापसी टिकट

*१६६९. **श्री के० पी० सिन्हा** : रेल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बम्बई से पास के कुछ पहाड़ी स्थानों को जाने के लिये सस्ते वापिसी टिकट जारी किये जाते हैं;

(ख) यह नई प्रणाली कब से लागू की गई है; तथा

(ग) क्या अन्य पहाड़ी स्थानों के लिये भी इसी तरह की सुविधायें देने का विचार है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) बम्बई से सस्ते वापसी टिकट इस प्रकार जारी किये जाते हैं :

(क) आबू रोड तथा कुछ अन्य पहाड़ी स्थान जैसे शिमला, उटाकामंड आदि को जाने के लिये पहले, दूसरे और इंटर के दर्जे के लिये तीन महीने तक काम में आने वाले टिकट जारी होते हैं जिन पर एक व्यक्ति के १ १/२ सफर का किराया लिया जाता है।

(२) नासिक रोड तथा देवलाली जाने के लिये दूसरे और तीसरे दर्जे के लिये छै दिन तक काम में आने वाले टिकट जारी होते हैं जिन पर एक व्यक्ति के १ ३/४ सफर का किराया लिया जाता है ।

(३) औरंगाबाद जाने के लिये केवल पहले दर्जे के लिये आठ दिन तक काम में आने वाले टिकट जारी होते हैं जिन पर एक व्यक्ति के १ ३/४ सफर का किराया लिया जाता है ।

(ख) प्रथम मद के सम्बन्ध में १-३-५३ से और द्वितीय तथा तृतीय मद के सम्बन्ध में १-४-५३ से ।

(ग) इसी तरह के अन्य स्थानों को वापसी टिकट जारी करने के प्रश्न पर उस समय विचार होगा जब कि यह देख लिया जायेगा कि इस से आय में वृद्धि होती है और रेलवे अतिरिक्त मुसाफिरों को लाने ले जाने की व्यवस्था कर सकती है।

श्री के० पी० सिन्हा : सरकार ने किस खास वजह से यह फैसला किया है ?

श्री अलगेशन : उन लोगों को सुविधायें देने के विचार से जो गर्मियों में पहाड़ी स्थानों पर जाना चाहते हैं। यह चीज़ १९५१ में आरम्भ हुई थी, १९५२ में भी हम ने यह रियायत दी थी और इस वर्ष भी ।

श्री दाभी : तीसरे दर्जे के टिकट सारे स्थानों के लिये क्यों नहीं दिये जाते ?

श्री अलगेशन : मद (२) के अन्तर्गत म तीसरे दर्जे के टिकट भी जारी कर रहे हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या पांच पांच के गुटों में सफर करने वाले कलाकारों को कोई सुविधायें या रियायतें दी जाती हैं, यदि हां तो क्या ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह "बम्बई से कुछ स्थानों" के अन्तर्गत आता है ? क्या कलाकार गर्मियों में पहाड़ी स्थानों पर जाते हैं ?

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या तीसरे दर्जे के टिकट अन्य पहाड़ी स्थानों के लिये भी जारी किये जाते हैं, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अलगेशन : जी नहीं । अन्य पहाड़ी स्थानों के लिये जारी नहीं किये जा रहे ।

श्री दाभी : तीसरे दर्जे के वापसी टिकट सारे स्टेशनों के लिये जारी क्यों नहीं किये जाते ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तर्क है । वह प्रयोग कर रहे हैं ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या दिल्ली से भी पहाड़ी स्थानों को इस तरह के टिकट जारी किये जाते हैं, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अलगेशन : दिल्ली से सारे पहाड़ी स्थानों के लिये जारी किये जाते हैं ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या यह टिकट एयर कंडीशन्ड डिब्बों में सफर करने के लिये भी मिलते हैं ?

श्री अलगेशन : जी हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

श्री नम्बियार : मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । हमारे यहां मद्रास में उटाकामंड तथा अन्य पहाड़ी स्थान हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह टिकट नीलगिरी तथा इस तरह

के अन्य स्थानों के लिये जारी किये जाते हैं ?

श्री अलगेशन : मैं ऊटी के लिये कह चुका हूं ।

मजदूरों की छंटनी

*१६७०. **श्री के० पी० सिन्हा** : (क) **श्रम** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि पश्चिमी बंगाल के पटसन उद्योग के बहुत से मजदूरों की हाल ही में छंटनी की गई है ?

(ख) निकाले गये मजदूरों की कुल संख्या कितनी है ?

(ग) छंटनी के कारण क्या हैं ?

(घ) क्या सरकार ने छंटनी को रोकने के कोई कदम उटाये हैं; यदि हां, तो क्या ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) से (घ). यह मामला मुख्यत: पश्चिमी बंगाल सरकार से संबंधित है और उन से प्रार्थना की गई है कि वह भारत सरकार को बतायें कि उन्हों ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री के० पी० सिन्हा : क्या सरकार का यह देखने का विचार है कि मजदूरों को बेकारी के जमाने की मजदूरी दी जाये ?

श्री आबिद अली : जी हां । इस मामले पर पहले विचार हो चुका है । इस पर एक विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है । हम पुन: इस बात पर विचार कर रहे हैं कि मजदूरों को इस बेकारी में, जो उन की अनिच्छा से हुई है, कुछ सहायता दी जाये ।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या यह सत्य है कि मालिकों के संगठनों के परामर्श से सरकार इस बात के लिये बाग्बद्ध है कि बिना मजदूरों के संगठन की राय के कोई छंटनी न की जाये ?

श्री आबिद अली : यदि मजदूर यह समझते हैं कि छंटनी अनुचित रूप से हुई है तो इस मामले पर विचार करने के लिये व्यवस्था मौजूद है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : माननीय मंत्री के उत्तर को निर्दिष्ट करते हुए, मैं जान सकता हूं कि क्या सहायता देने का प्रस्ताव है ?

श्री आबिद अली : मामला विचाराधीन है और जल्दी ही निश्चित हो जायेगा ।

श्री जो० पी० सिन्हा : क्या ऐसा कोई उपबन्ध है जिस के अनुसार संबंधित उद्योगों के लिये छंटनी करने से पहले सरकार की मंजूरी लेना आवश्यक हो ?

श्री आबिद अली : जी नहीं ।

श्री नम्बियार : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कलकत्ते की पटसन मिलों में लगभग ५०,००० मजदूरों की छंटनी की जाने वाली है , मैं जान सकता हूं कि सरकार इतनी बड़ी छंटनी से उत्पन्न होने वाली गंभीर आर्थिक स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या कदम उठाना सोच रही है ?

श्री आबिद अली : हमारी सूचना के, अनुसार, यह बात सही नहीं है कि बहुत बड़ी छंटनी की जा रही है ।

श्री रामानन्द दास : क्या यह सत्य है कि पश्चिमी बंगाल सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है ?

श्री आबिद अली: जी नहीं। हमें पता लगा है कि वह आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।

श्री रामानन्द दास: इस मामले को अन्तिम रूप देने में सरकार को कितना समय लग जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : बंगाल विधान सभा के सदस्य यह प्रश्न बंगाल सरकार से क्यों नहीं पूछते ?

श्री रामानन्द दास : यह भारत सरकार का मामला भी है ।

श्री आबिद अली : यह इस सरकार का मामला भी है । परन्तु मूलतः वह पश्चिमी बंगाल सरकार का मामला है और हम उस से बातचीत कर रहे हैं ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या एक प्रतिनिधि मंडल प्रधान मंत्री से मिला था और यह मामला उन के ध्यान में भी लाया गया है और सारे मामले पर यह विचार हो रहा है कि इस ब्यौरे में क्या कदम उठाये जायें ?

श्री आबिद अली : मेरी सूचना के अनुसार प्रधान मंत्री से कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं मिला । परन्तु पटसन उद्योग के कुछ प्रतिनिधि मेरे कार्य बन्धु श्रम मंत्री महोदय से मिले थे और उन के सामने जो कुछ बातें रखी गई थीं उन्हें पश्चिमी बंगाल सरकार के पास पहुंचा दिया गया है ।

अंधापन दूर करने वाली संस्थाओं को अनुदान

*१६७२. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में अंधता के आपात को दूर करने में संलग्न कितनी असरकारी संस्थाओं तथा व्यक्तियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष १९५२-५३ में अनुदान दिये गये;

(ख) उक्त अनुदानों के रूप में कितनी धनराशि दी गई तथा इन को देने का आधार क्या था; तथा

(ग) क्या अनुदान पाने वालों से सरकार को रिपोर्टें मिलती हैं, और क्या अनुदान देने से पूर्व उन के द्वारा की गई कार्यवाहियों पर ध्यान दिया जाता है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) तथा (ख): सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है : **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३०]**

(ग) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

श्री झूलन सिन्हा : क्या विवरण में उल्लिखित संस्थाओं को दिये गये अनुदान उन संस्थाओं की कार्यवाहियों की रिपोर्ट पर आधारित हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : जी हां ।

श्री नामधारी : क्या सरकार साम्प्रदायिक संस्थाओं की मानसिक अन्धता दूर करने के लिये भी अनुदान देगी, ताकि सब लोग भाई चारे की जिन्दगी बिता सकें ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं उन का अभिप्राय शारीरिक अन्धता से है मानसिक से नहीं । अगला प्रश्न ।

कोयम्बटूर-इरुगुर रेलवे लाइन

*१६७३. **श्री एन० एम० लिंगम** : (क) क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कोयम्बटूर-इरुगुर रेलवे लाइन का निर्माण पूरा हो गया है ?

(ख) यदि हां, तो निर्माण पर कितना खर्च आया ?

(ग) क्या यह सच है कि गाड़ियों के इस मार्ग से आने जाने के परिणाम स्वरूप जनता को तथा अवनाशी रोड के लेबिल क्रासिंग पर अन्य सवारियों के यातायात को बहुत कठिनाई होती है ?

(घ) इस विषय में सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां । लाइन यातायात के लिये १ जनवरी, १९५३ को खोली गई थी ।

(ख) निर्माण पर अनुमानित खर्चा ४३,६७,७०९ रुपये है ।

(ग) तथा (घ). इस लाइन के खुल जाने से रेलों की संख्या में वृद्धि हुई है। अवनाशी रोड लेबिल क्रासिंग पर एक पुल बनाने के प्रश्न पर मद्रास सरकार उस की लागत के दृष्टिकोण से विचार कर रही है। अभी तक कोई अन्तिम निश्चय नहीं हो पाया है।

श्री एन० एम० लिंगम : क्यापुल के निर्माण के सम्बन्ध में स्थानीय म्युनिसिपिल कौसिल द्वारा कोई अभ्यावेदन किया गया है ?

श्री अलगेशन : जी हां। नगरपालिका ने यह मामला हाथ में लिया था। सच तो यह है कि रेलवे विभाग ने उक्त लेबिल क्रासिंग को अपने खर्चे पर चौड़ा किया। यह खर्चा वास्तव में नगर पालिका द्वारा उठाया जाना चाहिये था। नगरपालिका ने एक संकल्प भी पारित किया कि वह खर्चे का १/५ भाग सहन करेगी, परन्तु उसे उस से कहीं ज्यादा खर्चा देना होगा। अब इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

दुर्भिक्ष क्षेत्रों की सिंचाई

*१६७५. **श्री विश्वनाथ रेड्डी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार जानती है कि दामोदर घाटी निगम ने थोड़े समय में ही और बहुत कम खर्चे पर छोटी सिंचाई के लिये कई तालाबों का डिज़ायन तैयार किया है तथा निर्माण किया है; तथा

(ख) क्या दामोदर घाटी निगम के अनुभव का उपयोग रायलासीमा तथा महाराष्ट्र जैसे चिरकालिक दुर्भिक्ष क्षेत्रों में उक्त छोटी सिंचाई स्रोतों का डिज़ायन बनाने तथा निर्माण करने में किया जायेगा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) तथा (ख). जानकारी प्राप्त की जा रही है और उत्तर सदन-पटल पर रख दिया जायेगा।

नल कूप

*१६७६. **श्री झलन सिन्हा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) बिहार राज्य द्वारा अब तक बिहार राज्य में नल कूपों के निर्माण के लिये। कितनी सहायता मांगी गई ;

(ख) उक्त राज्य को कितनी सहायता मंजूर की गई तथा दी गई; तथा

(ग) योजना की क्रियान्विति में कितनी प्रगति हुई ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) ३२३.७६ लाख रुपये सरकारी नलकूपों के लिये :

६.६० लाख रुपये सहकारी आधार पर बनाये जाने वाले निजी नल कपों के लिये।
पूर्ण योग—३३०.३६ लाख रुपये।

(ख) ८३.०१ लाख रुपये—अब तक सरकारी नलकूपों के लिये। जैसे जैसे कूपों में प्रगति होगी, वैसे वैसे और राशियां मंजूर की जायेंगी।

६.६० लाख रुपये सहकारी आधार पर बनाये जाने वाले निजी नल कूपों के लिये।
पूर्ण योग ८९.६१ लाख रुपये।

(ग) १५ अप्रैल, १९५३ तक १९६ सरकारी नलकूप तथा ७ सहकारी नलकूप बनाये गये हैं।

श्री झलन सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि उत्तरी बिहार में इन में से कितने नलकूप खोदे गये हैं और दक्षिणी बिहार में कितने ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं यह नहीं बता सकता कि उत्तरी और दक्षिणी बिहार में कितना अनुपात है।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या ये नलकूप भूमापन के बाद खोदे जाते हैं या बिना किसी भूमापन के ?

डा० पी० एस० देशमुख : भूमापन के बाद :

श्री बी० एस० मूर्ति : नलकूपों को सहकारी आधार पर खोदने के लिय क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : वास्तव में दूसरी योजना तैयार करना राज्य सरकारों का काम है, हम तो उस की क्रियान्विति में सहायता देने का प्रयत्न करते हैं ।

आम तौर पर—कम से कम यू० पी० में इसी तरह होता है—गांव वालों से एक तिहाई देने को कहा जाता है (मेरा अभिप्राय सहकारी समितियों से है) और दो तिहाई सरकार देती है । इस दो तिहाई में से एक तिहाई सहायता के रूप में दिया जाता है और एक तिहाई छोटी छोटी किस्तों में वसूल किया जाता है ।

श्री सी० आर० चौधरी : कितने नलकूप खोदे गये हैं ; कितनों से वास्तव में काम लिया जा रहा है और उत्पादन पर उन का क्या प्रभाव पड़ा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : उत्पादन के बारे में मैं नहीं कह सकता परन्तु हम ३०० नल कूपों से १९१ बना चुके हैं ।

श्री मुनिस्वामी : इन में से कितने नलकूप सरकार के नलकूप विभाग द्वारा खोदे गये और कितने गैर सरकारी फर्मों द्वारा ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह इस का उत्तर दे चके हैं ।

डा० पी० एस० देशमुख : जैसा मैं कह चुका हूं, कुछ नलकूप फर्मों द्वारा खोदे जाते हैं जिन्हें इस के लिये ठेका दे दिया जाता है और कुछ राज्य सरकारों के विभाग द्वारा । मेरे पास इस की विस्तृत सूची नहीं है ।

श्री बादशाह गुप्त : सरकारी योजना के अन्तर्गत एक नलकूप बनवाने के लिये कम से कम कितने खर्चे की जरूरत है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जो ठेके इस समय हम ने दे रखे हैं उन के हिसाब से २९,००० रुपये प्रति नलकूप आता है ।

श्री के० पी० सिन्हा : इस शीर्षक के अन्तर्गत जो राशि है क्या उसे किसी खास क्षेत्र पर खर्च किया जायेगा या सारे राज्य पर ?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां तक ठेके का सम्बन्ध है, ऐसी खास खास जगह हैं जहां नलकूप खोदे जायेंगे ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या माननीय मंत्री बता सकते हैं कि सहकारी समिति, सरकारी विभाग और ठेकेदार द्वारा नलकूप बनाने की तुलनात्मक लागत कितनी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : लागत वही रहती है । एक के लिये पैसा सहकारी समिति देती है और दूसरी के लिये राज्य देता है ।

श्री सी० आर० चौधरी उठे—

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

नार्विजयन सहायता कार्यक्रम

*१६७८. **श्री रघुनाथ सिंह :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नार्विजयन सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत "हालैंड" जहाज़ द्वारा भारत को किस प्रकार की तथा कितने मूल्य की सामग्री भेजी गई है ?

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने विशेषज्ञ यहां आ रहे हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) अभी यह नहीं पता कि क्या माल भेजा जा रहा है। सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) विशेषज्ञों की संख्या अस्थायी रूप से १४ निश्चित की गई थी परन्तु वास्तविक संख्या बाद में तय होगी ।

श्री रघुनाथ सिंह : इन एक्सपर्टस् का हिन्दुस्तान में क्या खास काम होगा ।

डा० पी० एस० देशमुख : त्रावनकोर-कोचीन में जो कम्युनिटी प्रौजैक्ट्स हैं उन में फिशरी डेवलपमेंट में इमदाद देंगे और अगर उन की एक्सपर्ट नालैज से और भी फायदा उठाया जा सकता है तो वह उठा लिया जायेगा ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या नार्वे सरकार ने भारत सरकार के समक्ष कोई योजनायें रक्खी हैं; यदि हां, तो वे क्या हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह बिल्कुल वही योजना है जो इस प्रश्न में निर्दिष्ट की गई है। एक समझौता हुआ है जिस के अनुसार हमें नार्वेजियन सरकार से २७ लाख रुपये की राशि मिलेगी; हम ने १०.६ लाख रुपये की व्यवस्था की है। योजना के अन्तर्गत क्विलोन से नौ मील दूर नींदाकारा पुल के पास १० वर्ग मील क्षेत्र आयेगा जिस में १२,००० की आबादी है ।

श्री जोशिम अल्वा : क्या माननीय मंत्री को पता है कि नार्वे के एम० पी० भारत सहायता निधि में करीब दो पैंस दे रहे हैं और इस सहायता को स्वीकार करना हमारे आत्म-सम्मान के विपरीत है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं

मौसम के सूचना पत्र

*१६७९. **श्री एस० सी० सामन्त :** **संचरण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२-५३ में काश्तकारों के लाभ के लिये मौसम की भविष्यवाणी का काम किस तरह हुआ;

(ख) १९५२-५३ में इस कार्य के लिये कितने ब्राडकास्ट स्टेशन और खोले गये;

(ग) प्रतिकूल मौसम की कितनी चेतावनियां दी गई और कितने लोगों को चेतावनियां प्राप्त हुई; तथा

(घ) क्या तामिलनाड के हाल ही के समुद्री तूफान के बारे में संबंधित लोगों को समय पर चेतावनी दे दी गई थी ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) पिछले वर्षों की तरह प्रादेशिक मौसम कार्यालयों द्वारा जारी किया गया मौसम का हाल आल इंडिया रेडियो के स्टेशनों से ब्राडकास्ट किया गया था और समाचारपत्रों में भी प्रकाशित किया गया था ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) वर्ष १९५२ में प्रतिकूल मौसम की लगभग ८८०० चेतावनियां दी गई थीं । यह बताना संभव नहीं कि कितने लोगों ने इन चेतावनियों को सुना क्योंकि इन्हें आल इंडिया रेडियो द्वारा ब्राडकास्ट किया गया था और समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था। यह चेतावनियां उन ८७५ अधिकारियों को भी तार द्वारा दे दी गई थीं जो भारत के मौसम विभाग में इस कार्य के लिये रजिस्टर्ड हैं ।

(घ) जी हां ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या हमारे मौसम विभाग में ऐसा भी कोई यंत्र है जिस से मौसम का हाल छः महीने पहले पता लग सके, जिस तरह ज्वारभाटा मालूम करने

की मशीन है जो एक वर्ष से अधिक समय तक की भविष्यवाणी कर सकती है ?

श्री राज बहादुर : मुझे ऐसे यंत्र के बारे में कोई विशेष सूचना नहीं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या १९५१ से काश्तकारों तक यह समाचार पहुंचाने के लिये कोई विशेष प्रबन्ध किये गये हैं ?

श्री राज बहादुर : जैसा मैं कह चुका हूं हम काश्तकारों के लिये मौसम सम्बन्धी सूचना पत्र जारी करते हैं जो समाचार-पत्रों में प्रकाशित होते हैं और आल इंडिया रेडियो के २२ स्टेशनों से १७ भाषाओं में भी ब्राड-कास्ट होते हैं। इन्हें तार द्वारा अधिकारियों के पास भी भेजा जाता है।

श्री ए० एम० टामस : यह भविष्य वाणियां कितने प्रतिशत मामलों में सही साबित होती हैं ?

श्री राज बहादुर : जैसा कि दावा है, यह ९० प्रतिशत से अधिक मामलों में सही होती हैं।

मद्रास पत्तन

*१६८०. **श्री एस० वी० रामास्वामी :** (क) **यातायात** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मद्रास पत्तन को विस्तृत करने का काम कब आरम्भ होगा ?

(ख) क्या आंध्र राज्य के निर्माण से इस के विस्तार के आकार पर प्रभाव पड़ेगा या इस से कार्य में कोई विलम्ब होगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) परियोजना के प्रथम प्रक्रम पर काम शुरू हो चुका है और दूसरे प्रक्रम के लिये योजनाओं पर विचार किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं।

श्री एस० वी० रामास्वामी : कुल खर्च का अनुमान क्या है और प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में कितना खर्च होगा ?

श्री अलगेशन : योजना के प्रथम प्रक्रम पर १.१५ करोड़ रुपये का खर्चा आने की उम्मीद है। इस का काम आरम्भ हो चुका है। योजना के दूसरे प्रक्रम पर ४.९ करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है। जहां तक प्रथम प्रक्रम का संबंध है, गत वर्ष ९,६२,००० रुपये का खर्च किया जा चुका है। दूसरा प्रक्रम अभी विचाराधीन है। इस समय मैं यह नहीं बता सकता कि पंचवर्षीय योजना काल में कितना रुपया खर्च होगा।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या संशोधित योजना के अन्तर्गत पत्तन का विस्तार, मूल योजना के विपरीत, उत्तर की ओर किया जा रहा है ?

श्री अलगेशन : मुझे इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहिये।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि क्या मद्रास पत्तन के विस्तार से राज्य सरकार का कोई संबंध है, यदि हां, तो क्या ?

श्री अलगेशन : यह मद्रास पत्तन प्रन्यास के अधीन है। भूमि अधिग्रहण आदि मामलों को छोड़ कर राज्य सरकार का इस से कोई संबंध नहीं।

शताब्दी क्षेत्रीय टिकिट

*१६८१. **श्री बादशाह गुप्त :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पहली अप्रैल से शताब्दी क्षेत्रीय टिकिटों की बिक्री से कितनी साप्ताहिक आय हुई ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : क्षेत्रीय रेलों में १ अप्रैल से १६ अप्रैल तक शताब्दी टिकिटों की बिक्री से लगभग ३३,५४,०९० रुपए की आय हुई।

श्री बादशाह गुप्त : क्या मैं जान सकता हूं कि इस से भारत सरकार को उस राशि से अधिक राशि प्राप्त हुई है जितनी उस अवधि में सामान्य रूप से प्राप्त होती ?

श्री अलगेशन : इस अवधि में टिकिटों की बिक्री से जो आय हुई है वह मैं बता चुका हूं। सामान्य दशा से कितनी अधिक आय हुई है यह मैं नहीं कह सकता। यह अभ्यावेदन किया गया है कि विद्यार्थी इत्यादि भी इस सुविधा से लाभ उठाना चाहेंगे। अतएव १ मई से १६ मई तक ये टिकिट फिर से पुरानी शर्तों पर बेचे जायेंगे।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्षेत्रीय टिकिट जब से निकले हैं तब से क्या रेलगाड़ियों में अधिक डब्बे जोड़े गए हैं ?

श्री अलगेशन : जी हां। अतिरिक्त डब्बे जोड़े गए हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या इस का प्रबन्ध किया गया है कि जो लोग एक खास क्षेत्र में नहीं रहते, उदाहरणर्थ बंगाल के लोग, उन्हें दिल्ली आकर शताब्दी प्रदर्शनी देखने की सुविधा मिल जाए ?

श्री अलगेशन : उन्हें दो टिकिट खरीदने पड़ेंगे।

श्री नम्बियार : इस अवधि में लाखों यात्रियों को जो असुविधाएं झेलनी पड़ी हैं उस के विषय में क्या सरकार के पास शिकायतें आई हैं ?

श्री अलगेशन : रेलगाड़ियों में मेरे ख्याल से स्थान की कोई तकलीफ नहीं है। हां कुछ माननीय सदस्यों ने अपने घरों में अतिथियों की उपस्थिति के विषय में अवश्य शिकायत की है।

श्री एस० सी० सामन्त : माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि क्षेत्रीय टिकिट बेचने की अवधि बढ़ा दी है। क्या यह सच है कि क्षेत्र के आधार पर टिकिट बेचना बन्द कर दिया गया है तथा कन्सेशन पर वापिसी टिकिट बंद कर दिए गए हैं।

श्री अलगेशन : ये क्षेत्रीय टिकिट हैं जो केवल उसी क्षेत्र में चल सकते हैं जहां वे निकाले गए थे।

विस्तार क्षेत्रीय आधार पर ही किया गया है।

पशु एवं डेयरी फ़ार्म, करनाल

*१६८४. **डा० सत्यवादी** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पशु एवं डेयरी फार्म, करनाल पर अब तक प्रति वर्ष कुल कितना व्यय किया गया है तथा इस से प्रति वर्ष कितनी आय होती है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि इस डेयरी का दूध तथा मक्खन करनाल की जनता को नहीं बेचा जाता है ?

(ग) यदि ऐसा है, तो इस का कारण क्या है ?

(घ) इस पशुशाला से हर वर्ष विदेशों को कितने पशु भेजे जाते हैं, तथा कितने स्थानीय जनता को बेचे जाते हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है।

(ख) यह सच नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रक्षेत्र का यह उद्देश्य नहीं है कि विदेशों के निर्यात करन के लिए वह पशु दे परन्तु विशेष रूप से जनवरी १९५३ में सहायता करने के उद्देश्य से ४०,००० रुपए में फिलस्पाईन को २० सांड दिए गए थे। प्रक्षेत्र में उत्पन्न हुए पशु वहीं पर और अभिजनन के लिए रख लिए जाते हैं। जो पशु जरूरत से ज्यादा होते हैं वे राज्यों की सरकारों को दिए जाते हैं जिस से कि वे उन का उपयोग अपने अभिजनन क्षेत्र में कर सकें। सामान्य व्यक्तियों को व्यर्थ पशुओं के अतिरिक्त अन्य पशु नहीं

दिए जाते। व्यर्थ पशु समय समय पर नीलाम कर दिए जाते हैं।

विवरण

पशु एवं दुग्ध प्रक्षेत्र कर्नाल पर किया गया वार्षिक व्यय तथा उस की वार्षिक आय

	१९५१–५२	१९५२–५३
	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०
व्यय	३,९५,६३८-१३-१०	४,२६,२३१-६ -३
आय	१,९४,८१४-१०-६	३,२४,५९४-१२-३

डा० सत्यवादी: क्या इस फार्म में जो नुक़सान हो रहा है उस के मुताल्लिक असबाब के बारे में कोई तहकीक़ात की गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख: यह तो मैं ने एक मर्तबा बतला दिया था। यहां पर रिसर्च का भी काम होता है।

श्री मुनिस्वामी: क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रक्षेत्र में लगभग १ हज़ार एकड़ भूमि व्यर्थ पड़ी रहती है ?

डा० पी० एस० देशमुख: वह चारा इत्यादि उपजाने के काम आती है।

श्री अच्युत: इस प्रक्षेत्र में प्रति दिन औसतन कितना दूध उत्पन्न होता है ?

डा० पी० एस० देशमुख: प्रक्षेत्र में औसतन ३००० पौंड दूध उत्पन्न होता है।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

मद्रास राज्य की दुर्भिक्ष स्थिति के बारे में १६-४-५३ दिनांक के तारांकित प्रश्न संख्या १३६२ के उत्तर का संशोधन

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) श्रीमान में सदन के पटल पर सुधारे गए विवरण की एक प्रति रखता हूं। इस में वे अशुद्धियां दूर कर दी गई हैं जो १६ अप्रैल, १९५३ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या १३६२ के भाग (ख) और (घ) के उत्तर में पटल पर रखे विवरण में थीं। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३१]**

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मेडिकल कालेज

*१६५०. **श्री बहादुर सिंह:** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में कितने मेडिकल कालेज हैं जहां एम० बी० बी० एस० की डिग्री दी जाती है;

(ख) विभिन्न राज्यों के इन कालेजों में क्या सामान अवधि का कोर्स है अथवा कुछ कालेजों में कोर्स पूरा करने में दूसरों की अपेक्षा कम-अधिक साल लगते हैं; और

(ग) क्या ऐसे कालेज हैं जिन की डिग्रियों को विदेशों में उच्च शिक्षा देने वाली संस्थाएं मान्यता नहीं देतीं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): (क) ३०.

(ख) जी हां।

(ग) शायद यह पूछा जा रहा है कि इंगलैंड की जनरल मेडिकल परिषद् भारतीय विश्वविद्यालयों की एम. बी. बी. एस. डिग्री को मान्यता देती है अथवा नहीं। सदन के पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में उन कालेजों के नाम बताए गए हैं जिन की डिग्रियों को इंगलैंड की जनरल मेडिकल कौंसिल मान्यता नहीं देती। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३२]**

कोयले की खदानों के पास रहने के मकान बनाना

*१६५३. **श्री एम० एन० सिंह:** (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयले की खदानों के मजूरों के रहने के लिए झरिया कोयले की खदान के भूलीनगर और रानीगंज कोयले की खदान के विजयनगर में कितने मकान बनाए गए हैं ?

(ख) उन पर कितना व्यय हुआ ?

(ग) ये मकान उन कोयले की खदानों से कितने दूर हैं जहां ये मजूर काम करते हैं।

(घ) इन मकानों में रहने वालों के लिए किस प्रकार के यातायात साधन की सुविधा की गई है जिस से कि ये खदानों तक काम करने के लिए जा सकें तथा वहां से वापिस आ सकें।

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) भूली में १५६६ और विजयनगर में ४८.

(ख) ७८ लाख मंजूर हुए थे। उन में से ६० लाख खर्च हुए।

(ग) दूरी १ से लेकर ९ मील तक है।

(घ) जिन मजूरों की खदानें २ मील से कम हैं वे पैदल आते जाते हैं। दूसरी खदानों के स्वामियों ने निशुल्क यातायात के साधनों का प्रबन्ध किया है।

प्रादेशिक हैडक्वार्टर, बिलासपुर में नियुक्तियां

*१६५७. **श्री जांगड़े:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे के प्रादेशिक हैडक्वार्टर के किन अधिकारियों को ऐसी नियक्तियां करने का पूरा अधिकार है जिन के सम्बन्ध में कि जनरल मैनेजर अथवा रेलवे सेवा आयोग, कलकत्ता हस्तक्षेप न करता है और न कर सकता है;

(ख) सेवा की किन श्रेणियों में वह ऐसी नियुक्तियां कर सकते हैं तथा ऐसी नियुक्तियों का अधिकतम वेतन-स्तर क्या है; तथा

(ग) क्या सरकार उक्त प्रादेशिक हैडक्वार्टर को सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों में इन से भी ऊंचे ग्रेडों में नियुक्तियां करने का अधिकार देने का विचार रखती है?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) रेलवे के महाप्रवन्धक को रेलवे के सब कर्मचारियों की भर्ती और नियुक्ति करने का अधिकार है। इस विषय में उस के नीचे काम करने वाले अफसरों को जो शक्ति दे दी गई है वे उस का उपयोग करते हैं तथा उच्च पदाधिकारी उस का निरीक्षण करते हैं। वर्ग ३ के कर्मचारियों की भर्ती सामान्यतया रेलवे सेवा योग की सिफारिश पर की जाती है जो इस प्रयोजन के लिये बैठाया जाता है।

(ख) क्षेत्रीय यातायात अधीक्षक और बिलासपुर क्षेत्र के ज़िला अफसरों को ये शक्तियां दी गई हैं—(१) वर्ग ४ के कर्मचारियों की भर्ती करना। इन का अधिकतम वेतन ४०–६० रुपए है; (२) आरम्भ की श्रेणियों के वर्ग ३ कर्मचारियों को नियुक्त करना यदि उन्हें रेलवे सेवायोग कलकत्ते ने चुना है तथा मान लिया है। क्षेत्रीय यातायात अधीक्षक को यह शक्ति भी दी गई है कि वह अपने मातहत वर्ग ३ कर्मचारियों की पदोन्नति २६०–३५० रुपए वेतन की श्रेणियों में कर सकता है। ज़िलाधिकारी अपने अधीन वर्ग ३ के कर्मचारियों की पदोन्नति १५० से २२५ रुपए वेतन की श्रेणियों में कर सकते हैं।

(ग) जी नहीं।

गन्ने की खेती

*१६५८. **श्री एच० एस० प्रसाद :** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने अधिक गन्ना उत्पन्न करने की कोई योजना बनाई है जिस से कि देश की मांग पूरी हो सके तथा चीनी निर्यात करने की योजना के अनुसार चीनी निर्यात की जा सके?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : जी हां, पंच वर्षीय गन्ना विकास योजना, जो १९४८–४९ से गन्ना उत्पादन करने वाले भाग 'क' राज्यों में प्रवर्त्तन में थी, उस को अगले ३ सालों के लिए बढ़ाया जा रहा है। भाग 'ख' और 'ग' राज्यों में भी योजनाएं

आरम्भ की जा रही हैं। देश की मांग को पूरा करने के लिए यह बढ़ा हुआ उत्पादन काम आएगा। चीनी निर्यात करने की कोई योजना नहीं है।

डूम-डूमा नुमसाई-चौखम और ब्रह्मकुंड सड़कें।

*१६६२. **श्री गोहैन : यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डूम-डूमा नुमसाई चौखम और ब्रह्मकुंड सड़कों का आपरीक्षण कब समाप्त हो जाएगा तथा निर्माण-कार्य कब आरम्भ होगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : आपरीक्षण अभी तक नहीं किया गया है। आपरीक्षण समाप्त होने तथा सरकार द्वारा विस्तरित अनुमान के संमोदन होने के पश्चात् निर्माण-कार्य आरम्भ किया जाएगा।

रेल के डब्बे (मूल्य)

*१६६४. **श्री विट्टल राव :** (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान ऐअरक्राफ्ट फैक्टरी और रेलवे बोर्ड में फैक्टरी द्वारा बनाये रेलवे डब्बों की लागत के विषय में कोई मतभेद हुआ है ?

(ख) यदि हां तो क्या वह अब समाप्त हो गया है ?

(ग) कितनी लागत मानी गई है ?

(घ) स्विस सार्थों द्वारा बनाए गए रेल के डब्बों के मूल्य से वह कम है अथवा अधिक ?

(ङ) क्या यह सत्य है कि एअरक्राफ्ट फैक्टरी को ६ १/४ प्रतिशत लाभ दिया गया है तथा स्विस सार्थ को १० प्रतिशत दिया गया है ?

(च) एअरक्राफ्ट फैक्टरी की उत्पादन क्षमता कितनी है ?

(छ) क्या यह सत्य है कि अन्डरफ्रेम की कमी के कारण प्रबन्धकों ने उत्पादन-क्षमता घटा दी है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). जी नहीं। हिन्दुस्तान ऐअरक्राफ्ट फैक्टरी और रेलवे बोर्ड में कोई झगड़ा नहीं है। बात यह है कि रेल के डब्बों का परिव्यय मूल्य वास्तविक निर्माण लागत के आधार पर निश्चित किया जाएगा। इस के लिए जो व्यक्ति नियुक्त किया गया था उस से परिव्यय अंकेक्षा रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा उस पर हिन्दुस्तान ऐअरक्राफ्ट लि० तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय विचार कर रहे हैं। आशा की जाती है कि दिए जाने वाले परिव्यय मूल्य का शीघ्र ही निश्चय हो जाएगा। अभी अस्थायी आधार पर पैसा दिया जा रहा है।

(घ) आशा यह की जाती है कि स्विस सार्थ जितनी लागत में डब्बे बनाती है उस से कम लागत लगेगी।

(ङ) हिन्दुस्तान ऐअरक्राफ्ट लि० को ५००० रुपए प्रति डब्बे लाभ दिया जाता है। स्विस सार्थ को फक्टरी बाह्य लागत का १० प्रतिशत भाग दिया जाता है।

(च) फेक्टरी की वर्तमान उत्पादन क्षमता १५० डब्बे प्रति वर्ष है। वह एक वर्ष में बढ़ा कर १८० कर दी जाएगी।

(छ) अन्डर फ्रेमों की कमी के कारण हिन्दुस्तान ऐअरक्राफ्ट और रेलवे वर्कशापों में उत्पादन कम कर दिया गया है।

अगरतला आसामरोड के लिए भमि का अधियाचन

*१६६६. **श्री दशरथ देव :** क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अगरतला आसाम रोड के बनाने के लिए त्रिपुरा के किसानों से सरकार ने अभी तक कितनी भूमि अधियाचित की है,

(ख) इस का प्रभाव कितने किसानों पर पड़ा है; और

(ग) कितने किसानों को अपनी भूमि के लिए क्षतिपूर्ति दी जा चकी है तथा कितने किसानों को क्षतिपूर्ति देना शेष है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) भूमि की अधियाचना नहीं की गई। उस के लिए ६७१.२४ एकड़ भूमि की आवश्यकता थी।

(ख) १२८२.

(ग) २६८ किसानों को क्षतिपूर्ति दी ा चुकी तथा १०१४ किसानों को क्षतिपूर्ति देना शेष है।

उत्तर से दक्षिण रेलवे को कोयला भेजना

*१६७१. **श्री विट्टल राव** : क्या रेल मंत्री २६ फरवरी को पूछे गए अतरांकित प्रश्न के लिए दिए गए उस उत्तर को देखन की कृपा करेंग जिस में ईंधन मितव्यय समिति और राज्य के बारे में कहा गया है;

(क) क्या उत्तर से १ जनवरी और ३१ मार्च १९५३ के बीच जहाजों द्वारा दक्षिण रेलवे के लिए कोयला भेजा गया है ?

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना किराया लगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख) जी हां। १ जनवरी से मार्च १९५३ तक २७६,२११ टन कोयला दक्षिण रेलवे को भजा गया था और उस पर लगभग १२७.९७ लाख रुपया किराया लगा।

भारतीय जहाजी कंपनी

*१६७४. **डा० लंका सुन्दरम्** : क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५१–५२, १९५२–५३ और १९५३–५४ में समुद्र तटीय जहाज और (अथवा) समुद्री जहाज बनान तथा खरीदन के लिए भारतीय जहाजी कंपनियों को उधार देने के लिए कितनी राशि प्रथग्-रक्षित की गई थी तथा वैयक्तिक रूप से वास्तव में कितनी राशि दे दी गई थी।

(ख) किन शर्तों पर वह दी गई थी;

(ग) क्या प्रत्यक कम्पनी ने उधार ली गई राशि का उपयोग उस प्रयोजन के लिए कर लिया है जिस के लिए वह राशि दी गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो उपयोग न करने के क्या कारण हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क)और (ख). एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है जिस में आवश्यक सूचना दी गई है **[देखिए परिशिष्ट १०, अनुबंध संख्या ३३]**

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण रेलवे के डब्बों में पंखे

*१६७७. **श्री रघवय्या** : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण रेलवे में तीसरी श्रेणी के डब्बों में पंखे लगाने के लिए कितनी राशि नियत की गई है ?

(ख) उस में से कितनी खर्च कर दी गई है ?

(ग) कितने डिब्बों में तथा किस भाग में पंखे लगाए जा चुके हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (कं) और (ख). तीसरी श्रेणी के डब्बों के लिए अलग से राशि निश्चित नहीं की गई है। आयव्ययक में यात्रियों की सुविधा वाली निधि में से इस प्रयोजन के लिए राशि ली जाती है। तीसरी श्रेणी के डब्बों में पंखे लगाने में जितनी राशि व्यय की गई है उस का अलग से हिसाब नहीं रखा जाता।

(ग) दक्षिण रेलवे के तीसरी श्रेणी के ५५८ डब्बों में पंखे लगाए जा चुके हैं। विभिन्न भागों में कितने लगाए गए हैं यह सूचना प्राप्य नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा अंगीकार किए गए अभिसमय

*१६८२. **श्री विट्टल राव:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ के अन्त तक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा अंगीकार किए गए कितने अभिसमयों का भारत सरकार ने अनुसमर्थन किया है;

(ख) शेष का अभी तक क्यों अनुसमर्थन नहीं किया गया;

(ग) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के क्या ऐसे अभिसमय हैं जो अभिसमय नहीं रहे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की उपविधि के अनुसार उन का अनुसमथन न्यूनतम दो सदस्य राज्यों ने नहीं किया; और

(घ) भाग (ग) में जैसे देशों की चर्चा की गई है उस में क्या भारत भी है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) से (घ)। सदन के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३४]**

रेलवे पर दावे

*१६८३. **बाबू रामनारायण सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हजारीबाग रोड स्टेशन के कुछ व्यापारियों ने उस स्थान के रेलवे अधिकारियों पर अपने उस माल के लिए दावा किया है जो बाहर से आया था तथा रास्ते में गुम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो (१) कितने दाव किए गए हैं, (२) कितनी राशि का दावा किया गया है और (३) ये दावे कितनी अवधि से निलम्बित हैं।

(ग) क्या यह सच है कि कुछ दावे ४ साल से अधिक पुराने हो गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार उन दावों का फैसला कब करेगी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) (१) १८१ मामलों का फैसला होना है।

(२) ३९,८६५ रुपए।

(३) ४४ दावे ३ माह से, ४१ दावे ६ माह से, १२ दावे ९ माह से, १२ दाव १५ माह से, १२ दावे १८ माह से और ९ दावे २१ माह से निलम्बित हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मैसूर के छोटे सिंचाई के साधन

१२२३. **श्री एन० राचय्या** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसूर सरकार ने क्या भारत सरकार से १९५३ साल के लिए छोट सिंचाई के साधन पूरा करने के हेतु वित्तीय सहायता मांगी है?

(ख) यदि हां तो कितनी राशि उधार देने की मंजूरी दे दी गई है तथा कितनी राशि अनुदान के रूप में देने की मंजूरी दी गई है।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां।

(ख) छोटे सिंचाई के साधनों की १९५३–५४ की योजना में ५४,५०,००० रुपए उधार देना तथा १,८७,५०० रुपए अनुदान के रूप में देना स्वीकार कर लिया गया है। कुछ पर विचार किया जा रहा है। औपचारिक रूप से अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है।

त्रिपुरा के मेडिकल विद्यार्थी

१२२४. **श्री दशरथ देव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता मेडिकल कालेज में त्रिपुरा के मेडिकल विद्यार्थियों के लिए क्या सरकार कुछ सीटें रक्षित करने का विचार कर रही है क्यों कि त्रिपुरा में कोई मेडिकल कालेज नहीं है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): भाग ग और घ राज्यों के क्षात्रों के लिए विभिन्न मेडिकल कालेजों में रक्षित २७ सीटों में से २ सीटें त्रिपुरा के विद्यार्थियों के लिए हैं। त्रिपुरा की क्षात्राओं को लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज दिल्ली में प्रवेश मिल सकता है। अतएव त्रिपुरा के विद्यार्थियों के लिए सरकार और स्थान रक्षित नहीं करना चाहती।

राजस्थान के डाक तथा तार घर

१२२५. **श्री बलवन्त सिंह मेहता** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५२–५३ में राजस्थान में कितने डाक तथा तार घर खोले गए; तथा

(ख) वर्ष १९५३–५४ में राजस्थान में कितने डाक तथा तारघर खोले जाने का विचार है तथा यह कहां कहां खोले जायेंगे ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ४७ डाक घर और ६ डाक तथा तार घर ।

(ख) २८ मार्च, १९५३ के सरकारी प्रेस नोट में घोषित की गई नीति के अनुसार डाक और तार घर खोले जायेंगे। दिनांक ३० मार्च, १९५३ को श्री बी० एन० राय द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या १०७४ के विचार में इस प्रेस नोट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई थी। यह बताना अभी संभव नहीं है कि १९५३–५४ में कितने नए आफिस किन किन स्थानों में खोले जाएंगे।

राजस्थान में गन्ना उत्पादकों को गन्ने के मूल्य की अप्राप्ति

१२२६. **श्री बलवन्त सिंह मेहता** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में किन किन मिलों ने अभी तक गन्ना उत्पादकों को गन्ने की कीमत नहीं चुकाई है ?

(ख) कितना रुपया अभी बाकी है तथा इस के कब तक प्राप्त होने की सम्भावना है ?

(ग) क्या भुगतान में विलम्ब के कारण गत दो वर्षों में गन्ने के उत्पादन में कोई कमी हुई है तथा यदि हुई है तो इस के प्रतिशतता क्या है ?

(घ) वर्ष १९५३ में इन मिलों ने कितनी चीनी तैयार की है तथा गत चार वर्षों में प्रति वर्ष कितनी तैयार की थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) किसी ने भी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

(घ) १९५२–५३ में राजस्थान के कारखानों ने ५६३ टन चीनी बनाई। १९४८–४९ में ८३३७ टन। १९४९-५० में ३०२६ टन, १९५०–५१ में १५५० टन और १९५१–५२ में ७३९८ टन।

रायला रोड स्टेशन का विस्तार

१२२७. **श्री बलवन्त सिंह मेहता** : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी रेलवे के मालवा सेक्शन पर स्थित रायला रोड़ के नागरिकों तथा व्यापारियों की ओर से वहां के रेलवे स्टेशन के विस्तार के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

(ख) यदि प्राप्त हुए हैं तो क्या सरकार इस प्रस्थापना पर विचार कर रही है ? तथा

(ग) विस्तारका कार्य कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) राजस्थान सरकार के अभ्यावेदन मिलने पर अप्रैल १९५२ को इस प्रस्ताव पर जांच हुई कि सामान भेजने के लिए रायला रोड फ्लेग स्टेशन रेगुलर स्टेशन बना दिया जाए परन्तु यह परिवर्तन करना उचित नहीं समझा गया । नया अभ्यावेदन मिलने के पश्चात् उस की फिर से जांच की जा रही है।

(ग) यह अभी नहीं कहा जा सकता।

अनाज की वसूली

१२२८. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी सन् १९५३ से भारत में कितनी धान, चावल और गेहूं की वसूली हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : चावल की और चावल के हिसाब में धान की वसूली ९·१२ लाख टन की तथा २८ हजार टन गेहूं की वसूली १–१–१९५३ और ४-४-१९५३ के बीच हुई है । ये अभिनवतम प्राप्य आंकड़े हैं ।

क्षयरोग रोधी औषधि

१२२९. **श्री वी० पी० नायर** : (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ११ नवम्बर १९५२ को क्षय रोग रोधी औषधि के सम्बन्ध में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या १८६ के लिए दिए गए उत्तर को देखने की कृपा करेंगे तथा क्या वे सदन के पटल पर एक विवरण रखेंगे जिस में यह बताया गया हो :—

(१) ईसो-निकोटिनिक एसिड हाई-ड्रोजाइन और हाइड्रोजन से व्युत्पन्न अन्य पदार्थों को बनाने में सहायता मांगने वाले व्यक्तियों अथवा निर्माण करने वाली सार्थों के नाम;

(२) प्रार्थनापत्र का दिनांक; और

(३) निर्माण करने वालों को अभी तक दी गई सहायता की राशि; और

(ख) सरकार ने यह औषधि अस्पतालों और सेनेटोरियमों में बांटी है । क्या सरकार बता सकती है कि इस औषधि के उपयोग का क्या परिणाम हुआ है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): (क) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है । उस में आवश्यक सूचना दी गई है । [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३५**]

(ख) २८ क्षय रोग के सेनेटोरियमों तथा अस्पतालों और १ गवेषणा संस्था को नई औषधि की २,६४,८३० गोलियां दी गई थीं तथा ९८० रोगियों पर उन्हें आजमाया गया था । २१ अस्पतालों ने अभी तक अपनी रिपोर्टें दी हैं कि उस दवाई का क्या प्रभाव हुआ । रिपोर्टें बताती हैं कि यद्यपि उस दवाई को रामबाण नहीं माना जा सकता फिर भी क्षयरोग की चिकित्सा के लिए वह उपयोगी है । चिकित्सा की अन्य विधियों, जैसे आराम, स्ट्रेपटोमिसिन की चिकित्सा, पैरा-अमी नो सेलाईविलक एसिड, कोल्पस थेरेपी आदि के साथ इस का भलीभांति उपयोग किया जा सकता है ।

बारहमासियों के लिये वर्दी तथा जूत

१२३०. **श्री नम्बियार** : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थायी लाइनों पर काम करने वाले बारहमासियों को वर्दी और जूते दिये जाते हैं, तथा

(ख) क्या सरकार को उन की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और यदि ऐसा है, तो उस के सम्बन्ध में क्या कार्य वाही की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) पूर्व, मध्य पश्चिम रेलों तथा उत्तर और पूर्वोत्तर रेलों के कुछ भागों में बारहमासियों को ऊनी ओवरकोट अथवा कम्बल दिये जाते हैं। जिन स्थानों पर बहुत अधिक वर्षा होती है वहां उन्हें वाटर प्रूफ का कपड़ा दिया जाता है। किन्तु किसी भी रेलवे में उन्हें जूते नहीं दिये जाते।

(ख) उत्तर तथा पूर्वोत्तर रेलों को उन की ओर से अभ्यावेदन मिले हैं और वे विचाराधीन हैं। भूतपूर्व एन० एस० रेलवे से यह प्रार्थना की गई थी कि बारहमासियों को जूते दिये जायें, जिसे कि अस्वीकृत कर दिया गया था।

अखिल भारतीय कुष्ट रोग सम्बन्धी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन

१२३१. श्री संगण्णा: (क) **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि क्या १९५३ में चौथी जनवरी से छठी जनवरी तक पुरी (उड़ीसा) में अखिल भारतीय कुष्ट रोग सम्बन्धी कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ था ?

(ख) उस सम्मेलन में किन विषयों पर विचार किया गया था ?

(ग) उन को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में इस ने भारत सरकार को क्या सिफारिशें की हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): (क) जी हां।

(ख) सम्मेलन में कुष्ट रोग की चिकित्सा तथा सामाजिक पहलुओं से सम्बन्धित बातों पर विचार किया गया था; जिस की प्रतियां भारतीय कुष्ट रोग विशेषज्ञ संघ तथा हिन्द कुष्ट निवारण संघ ने भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं। संकल्पों की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३६]**

(ग) भारत सरकार का ध्यान संकल्प संख्या ४, ५, ६, ८, तथा ९ की ओर विशेष रूप से दिलाया गया है। संकल्पों की प्रतियां राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं, जिन का प्राथमिक रूप से संकल्प संख्या ४, ६ तथा ८ से सम्बन्ध है। भारत सरकार अन्य संकल्पों पर विचार कर रही है।

बोकारों के समीप रेलवे टक्कर

१२३२. श्री एन० पी० सिन्हा: क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बोकारो में ६ फरवरी, १९५३ को लेविल क्रासिंग पर एक ट्रक की मालगाड़ी से टक्कर होने की रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि ऐसा है तो यह किस समय हुई तथा यह घटना किन स्थितियों में हुई;

(ग) ट्रक का मालिक कौन था;

(घ) कितने व्यक्ति मारे गये थे; तथा

(ङ) इस से रेल को क्या हानि हुई ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). ६ फरवरी १९५३ के रात के ९–५५ बजे के लगभग जब बड़काकाना-गोमोह माल गाड़ी गोमिया और बरमो स्टेशनों के बीच २१२।१५–१६ मील के पास लेवल क्रासिंग से गुजर रही थी उस समय लेवल क्रासिंग के उत्तर की तरफ से आने वाली एक ट्रक माल गाड़ी के इंजन से अगले वैगन से टकरा गई। प्रत्यक्षतः ऐसा इस कारण हुआ कि लेवल क्रासिंग के फाटक उस समय भी जब कि मालगाड़ी जा रही थी, सड़क के यातायात के लिये खोल रखे थे।

(ग) दामोदर घाटी निगम के बोकारो थर्मल पावर स्टेशन के मैसर्स कुलाजयन कार्पोरेशन।

(घ) ट्रक में बैठा एक आदमी मारा गया ।

(ङ) पटरियों तथा डिब्बे को नुकसान होने से ६० रुपये की हानि हुई ।

महाराज गंज के लिए तारघर

१२३३ **श्री एच० एस० प्रसाद :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की प्रत्येक तहसील में तारघर खोलने का विचार है; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले की महाराज गंज तहसील में तारघर कब खोला जायगा ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) भारत सरकार तो प्रत्येक तहसील में तारघर कब सुविधा देना चाहती है । जहां इस के परिणामस्वरूप ५०० रुपये से अधिक हानि होने की आशा है, इस प्रकार के प्रत्येक मामले पर उस के गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जायगा ।

(ख) महाराज गंज में तारघर खोलने के परिणामस्वरूप निश्चित सीमा से अधिक हानि होने की आशा है अतः उत्तर प्रदेश सरकार से वास्तविक हानि को पूरा करने के सम्बन्ध में गारंटी देने के लिये कहा गया है।

मांउंट एवरेस्ट के आरोही

१२१४. **डा० राम सुभग सिंह :** (क) **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस बार माउंट एवरेस्ट के आरोहियों के पास मौसम के विशेष बुलेटिन पहुंचाने का कोई प्रबन्ध किया गया है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो वह किस प्रकार का प्रबन्ध है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) अलीपुर (कलकत्ता) का मौसम कार्यालय प्रतिदिन एक मौसम बुलेटिन तैयार करेगा जिस में बादलों का घिरना, वर्षा और बर्फ, हवा तथा तापमान परिवर्त्तन आदि बातें तथा दक्षिण पश्चिम मानसून और इस के एवरेस्ट प्रदेश की ओर बढ़ने के सम्बन्ध में बातें सम्मिलित होंगी । उस बुलेटिन में, जब कभी आवश्यक होगा तो, उस प्रदेश के ऊपर के आगामी दो से चार दिन आगे तक का हाल भी होगा । यह बुलेटिन आल इण्डिया रेडियो कलकत्ता, को ११·०० जी० एम० टी० तक भेज दिया जाया करेगा जो कि नई दिल्ली तथा कलकत्ता के आल इण्डिया रेडियो केन्द्रों से १२·३० जी० एम० टी० के लगभग इस के ब्राडकास्ट किये जाने का प्रबन्ध करेगा । आल इण्डिया रेडियो इस बुलेटिन को ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कार्पोरेशन लन्डन को भी भेज देगा जो इसे १३·३० जी० एम० टी० के कुछ बाद इसे ब्राडकास्ट करेगा । यह बुलेटिन पहली मई १९५३ से लगभग छः सप्ताह तक प्रतिदिन जारी किया जायगा ।

पटना में डाकखाने

१२३५. **श्री के० पी० सिन्हा :** (क) **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५२-५३ में पटना ज़िले में खोले गये डाक तथा तार घरों की कुल संख्या कितनी है ?

(ख) उपरोक्त अवधि के कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं और कितनों को अस्वीकार कर दिया गया है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर). (क) पहली जनवरी, १९५२ से ३१ मार्च, १९५३ तक खोले गये

डाकखाने	१२१
तारघर	कोई नहीं

(ख) गांवों के समूहों के लिए डाकखानों के लिये ३८ आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं । अलग अलग गांवों में डाकखाने खोलने

के लिये दिये गये ६८ आवेदन-पत्र नामंजूर कर दिये गये थे, क्योंकि उन की आबादी २,००० से कम है।

स्वास्थ्य मंत्री का स्वविवेकात्मक अनुदान

१२३६. **श्री के० पी० सिन्हा : स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि वर्ष १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में स्वास्थ्य मंत्री के स्वविवेकात्मक अनुदान में से बिहार राज्य की विभिन्न संस्थाओं को कितनी राशि मंजूर की गई थी ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): एक विवरण, जिस में वर्ष १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में स्वास्थ्य मंत्री के स्वविवेकात्मक अनुदान में से बिहार राज्य की विभिन्न संस्थाओं को मंजूर की गई राशि दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३७]**

हिन्दी में तार

१२३७. **श्री बी० एन० राय : संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का वर्ष १९५३-५४ में ज़िला प्रधान केन्द्रों में हिन्दी में तार भेजने के प्रबन्ध करने का विचार है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : सरकार ने ६९ ज़िलों के प्रधान केन्द्रों में हिन्दी में तार भेजने तथा प्राप्त करने के प्रबन्ध पहिले ही से कर दिये हैं। सरकार की यह नीति है कि जिन राज्यों में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है पहिले उन के सभी ज़िला प्रधान केन्द्रों म हिन्दी में तार भेजने की पद्धति चलाई जाय और अन्य स्थानों में बाद में।

ऊन

१२३८. **प्रो० डी० सी० शर्मा**: (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पंजाब में प्रति वर्ष ऊन की कुल कितनी मात्रा का उत्पादन किया गया ?

(ख) उस राज्य में ऊन उत्पन्न करने वाले क्षेत्र कौन से हैं ?

(ग) ऊन व्यापार के विकास के लिये १९४७ से सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) लगभग ५२,००० मन।

(ख) हिसार, कांगड़ा, फ़ीरोज़पुर तथा करनाल ज़िले।

(ग) राज्य में ऊन व्यापार के विकास का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। इस व्यापार के विकास के लिये १९४७ से राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

महासू जिले में डाक के थैलों की चोरी

१२३९. **सरदार ए० एस० सहगल** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक के थैले जब वे शिमला से हिमाचल प्रदेश के महासू जिले की रामपुर तहसील को भेजे जा रहे थे, १० मार्च, १९५३ अथवा उस के आसपास लूट लिये गये थे;

(ख) किस स्थान पर यह घटना हुई;

(ग) क्या इस की कोई जांच पड़ताल की गई;

(घ) यदि ऐसा है, तो उस का क्या परिणाम निकला; तथा

(ङ) लूटे गये इंश्योर्ड पत्रों, रजिस्टर्ड पत्रों तथा मनीआर्डरों की संख्या कितनी है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) डाक का कुछ भाग चुरा लिया गया था तथा उस को नुकसान पहुंचाया गया था।

(ख) नौला--नरकंडा तथा रामपुर के बीच।

(ग) तथा (घ)। इस मामले की रिपोर्ट पुलिस को कर दी गई है और इस की अभी तक छान बीन हो रही है।

(ङ) खोई हुई चीजें :

इंश्योर्ड वी० पी० पार्सल	एक
रजिस्टर्ड पार्सल	चार
वी० पी० पार्सल	दो

जिन चीजों को नुकसान हुआ :

इंश्योर्ड वी० पी० पार्सल	दो
रजिस्टर्ड पार्सल	एक

खाद्य उपभोग

१२४०. श्री सी० आर० चौधरी : खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५०-५१, १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में भारत में प्रति दिन प्रति व्यक्ति द्वारा खाद्य पदार्थों में उपभोग की जाने वाली केलोरी की औसत संख्या कितनी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : एक विवरण, जिस में १९५०-५१ तथा १९५१-५२ की प्राप्त सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है। १९५२-५३ की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं है।

विवरण

भारत में प्रति व्यक्ति द्वारा खाद्य पदार्थों का उपभोग

(केलोरी, प्रति दिन)

	१९५०-५१	१९५१-५२
अनाज	१,०६६	१,०२४
अनाज तथा अन्य भोजन	१,७००	१,६५३

नोट :

१. 'अनाज' में चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, 'रागी' तथा छोटी किस्म का ज्वार-बाजरा सम्मिलित है।

२. 'अनाज तथा अन्य भोज्य पदार्थों में' (१) अनाज, (२) दालें, (३) जड़ें और कन्द (४) सब्जियां, (५) फल, (६) चीनी, (७) मांस, (८) अण्डे, (९) मछली (१०) दूध तथा (११) तेल और चर्बी सम्मिलित हैं।

(३) उपभोग के आंकड़े तैयार करते समय उत्पादन के आंकड़े सम्मिलित किये गये हैं और इन में जानवरों का चारा आदि, बीज, छीजन, पिसाई में रही छीजन तथा शुद्ध आयात और निर्यात, जैसा भी मामला हो, छोड़ दिये गये हैं। रिपोर्टिंग की वर्तमान प्रणाली से उत्पादन आंकड़ों में काफी गलती हो सकती है।

(४) कुछ खाद्य पदार्थों, अर्थात् फल, मांस, अण्डे, मछली आदि के वार्षिक उत्पादन आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इन खाद्य पदार्थों के बारे में जिस सब से बाद के वर्ष के आंकड़े उपलब्ध हैं वहीं रखे गये हैं।

बन्दरों का बाहर भेजना

१२४१. श्री सी० आर० चौधरी क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९४६ से १९५२ तक पकड़े तथा बाहर भेजे गये बन्दरों की संख्या कितनी है

(ख) इस अवधि में वर्ष प्रति वर्ष होने वाली वृद्धि की प्रतिशतता कितनी है; तथा

(ग) क्या इन बन्दरों को भारत सरकार द्वारा मंजूर किये गये लाइसेंस के अन्तर्गत बाहर भेजा जाता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख)। एक विवरण, जिस में प्राप्त सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है।

(ग) बन्दरों को बाहर भेजने का कार्य निर्यात व्यापार नियंत्रण विनियम के अन्तर्गत नियन्त्रित नहीं होता। समुद्र बहिःशुल्क अधि-

नियम के अन्तर्गत वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) इस पर नियंत्रण रखता है और अनुसन्धान अथवा वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए हवाई जहाज़ से ले जाने के अतिरिक्त वर्ष के पांच महीनों में, अर्थात् अप्रैल से अगस्त तक बन्दरों को बाहर भेजने की आज्ञा नहीं है ।

विवरण

बंदरों का वर्षवार निर्यात

वर्ष	बाहर भेजे गये बन्दरों की संख्या	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि (+) या कमी (–) की प्रतिशतता
१९४६–४७	१०१३०	---
१९४७–४८	१३१८३	+३०
१९४८–४९	१४९९९	+१४
१९४९–५०	२५५५८	+७०
१९५०–५१	२३२५७	–९
१९५१–५२	४७१८५	+१०३
१९५२ (अप्रैल–दिसम्बर)	१०३८५	आंकड़े केवल नौ महीने के हैं ।

मद्रास के एजेन्सी क्षेत्रों में डाकखाने

१२४३. श्री मोहन राव : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य के पूर्व गोदावरी ज़िले के एजेन्सी क्षेत्र में भद्राचलम, नुगूर, एल्लावरम् तथा चोडावरम् तालुक में पृथक् पृथक् सब पोस्ट ऑफिसों तथा ब्रांच पोस्ट ऑफिसों की संख्या कितनी है; तथा

(ख) उन गांवों तथा शहरों के नाम क्या हैं जहां पर डाकखाने खुले हुए हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख) । एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३८**]

कोझिकोड़े में सेवा योजनालय

१२४४. श्री ई० इय्यानी : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५१ तथा १९५२ में दक्षिण रेलवे ने कोझिकोडे स्थित उप प्रादेशिक सेवा योजना लय से कितने उम्मीदवार मांगे थे;

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कितने स्थान सुरक्षित रखे गये थे; तथा

(ग) सेवा योजनालय ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को कितनी 'इंट्रव्यू की पर्चियां' जारी कीं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) १४१ ।

(ख) फरवरी से दिसम्बर, १९५२ तक की अवधि में कोई रक्षित रिक्त स्थान अधिसूचित नहीं किया गया था। इस से पूर्व की अवधि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) फरवरी से दिसम्बर १९५२ तक की अवधि में इस सेवा योजनालय ने अनुसूचित जाति के चार उम्मीदवारों के नाम उस रेलवे को भेजे थे । इस से पहिले की अवधि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

रेलवे की घड़ियां

१२४५. श्री बादशाह गुप्त : **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे कार्यालयों में घड़ियों आदि की मरम्मत वार्षिक ठेके के आधार पर अथवा काम की मज़दूरी के आधार पर की जाती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : पश्चिम, पूर्व तथा उत्तर रेलों में घड़ियों की मरम्मत ठेके के आधार पर की

जाती है। दूसरी रेलों में यह काम विभागीय एजन्सियों द्वारा किया जाता है।

सेवा योजनालय

१२४६. **डा० सत्यवादी** : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५२ में कितने अनुसूचित जातीय तथा आदिम जातीय उम्मीदवारों ने सेवा योजनालयों में अपना नाम दर्ज कराया; तथा

(ख) उन में कितनों को नौकरियां मिलीं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) अनुसूचित जातियों के : १,५१,४११ तथा अनुसूचित आदिम जातियों के : १४,४७८.

(ख) अनुसूचित जातियों के : ४९,४८२ तथा अनुसूचित आदिम जातियों के : ६,६२३.

सत्यमेव जयते

मंगलवार,
२८ अप्रैल, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

मंगलवार, २८ अप्रैल १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिए भाग १)

८-५१ म० प०

राज्य परिषद से संदेश

सचिव : श्रीमान् मुझे निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है जो कि राज्य परिषद् के सचिव से प्राप्त हुआ है :

"राज्य परिषद् में प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियमों के नियम ९७ के उपबन्धों के अधीन मुझे कलकत्ता उच्च न्यायालय (अधिकार क्षेत्र विस्तार) विधेयक १९५३ की एक प्रति भेजने का आदेश मिला है जो कि राज्य परिषद् ने अपनी २७ अप्रैल, १९५३ को हुई बैठक में पास कर दिया है।"

कलकत्ता उच्च न्यायालय (अधिकार क्षेत्र विस्तार) विधेयक

सचिव : श्रीमान्, मैं कलकत्ता उच्च न्यायालय (अधिकार क्षेत्र विस्तार) विधेयक १९५३ जो राज्य परिषद् ने पास कर दिया है, सदन पटल पर रखता हूं।

संसद के अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी विधेयक--पूर्ण

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन संसद् केअधिकारियों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी विधेयक पर आगे विचार करेगा।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : यह बड़ी अच्छी बात है कि सदन को सभापति तथा संसद् के कार्य में उस के योगदान पर विचार करने का अवसर मिला है।

[श्री पाटस्कर अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

मेरे विचार में इस प्रश्न पर विचार करना बहुत संगत है। और हम तटस्थ दृष्टिकोण से इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं जैसे कि होना ही चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष पद पर बैठे ही रहते तो उस में कोई हर्ज नहीं था। यह इसलिए कि हमें अध्यक्ष से चाहे कैसी ही आशाएं क्यों न हों, हमारे दिल में उन के प्रति गहरा सम्मान है।

ब्रिटेन की संसद् में जो कुछ होता है, यह आवश्यक नहीं कि हम हर बात में उसका अनुसरण करें परन्तु हम उसके अनुभव से बहुत लाभ उठा सकते हैं। जब हम इस सदन में आए तो हमें मालूम हो गया कि हम ब्रिटिश संसद् के सभी पूर्व दृष्टान्तों का अनुसरण नहीं

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

कर रहे हैं। ब्रिटेन की कामन्ज़ सभा का अध्यक्ष भाषण नहीं देता है परन्तु यहां वह कई बार लम्बे भाषण देता है । ऐसा मैं सम्मानपूर्वक कह रहा हूं और मैं उसे बुरा नहीं समझता। यह बड़े गर्व की बात है कि हम विशाल हृदय लोग हैं और हमारी भाषा उसी का प्रतिबिम्ब है।

एक समय था जब कि ब्रिटेन की कामन्ज़ सभा का अध्यक्ष सम्राट् का एजेण्ट होता था। कई बार जब क्रान्तिकारी लेख पढ़े जाते थे तो अध्यक्ष को दो चार सदस्य बलपूर्वक बिठाए रखते थे। परन्तु समय बदला और अध्यक्ष लियन्थल ने यह दिखा दिया कि वे सम्राट् के प्रभाव से आज़ाद थे। चार्ल्स प्रथम ने उन से उन पांच सदस्यों की ओर संकेत करने को कहा जिन्हें वह गिरफ्तार करना चाहता था। इस पर अध्यक्ष लियन्थल ने कहा—"श्रीमान् मैं तो वही कुछ देखता और सुनता हूं जो कि सदन मुझे बताता है।" इस प्रकार धीरे धीरे अध्यक्ष, संसद् के अधिकारों का मूर्तिमान प्रतीक बन गया। वह संसद् तथा सर्वप्रभुत्वशाली जनता के अधिकारों का प्रतीक है।

हम देखते हैं कि जहां तक ब्रिटिश इतिहास का सम्बन्ध है, अध्यक्ष से बड़ी ऊंची आशाएं रखी जाती हैं, स्वास्थ्य के सम्बन्ध में भी ऐसा प्रतीत होता है कि १५४७ और १८५३ के बीच अध्यक्ष केवल २९ बार बीमारी के कारण अनुपस्थित रहा। १५९७ में जब सार्जेंट यल्वर्टन अध्यक्ष चुना गया तो उसने कहा कि अध्यक्ष बड़ा लम्बा तड़ंगा, ऊंचो आवाज़ वाला और गर्वीला होना चाहिए। इससे मालूम होता है कि अध्यक्ष को अद्वैत पुरुष माना जाता था। मेरा विचार है कि जहा तक सम्भव हो अध्यक्ष को अद्वैत पुरुष होना चाहिए।

जहां तक अध्यक्ष के तटस्थ होने का सम्बन्ध है मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं कि ब्रिटेन की संसद् के इतिहास में अध्यक्ष के राजनीति से बिलकुल पृथक् रहने की परम्परा कैसे पनपी है। प्रश्न यह है कि हमारा अध्यक्ष राजनीतिक सम्बन्धों से कहां तक दूर रहे। हम देखते हैं कि कामन्ज़ सभा का अध्यक्ष यथा सम्भव राजनीति से दूर ही रहता है। पिछले एक सौ वर्ष से वहां यह रूढ़ि भी चली आती है कि चुनाव के समय अध्यक्ष के मुकाबले में कोई चुनाव नहीं लड़ता। परन्तु १९३५ तथा १९४५ में इस रूढ़ि का अनुसरण भी नहीं किया गया है। इसका कारण यह था कि ऐसे समय पर जब मूल परिवर्तन किये जाने हों, ऐसी रूढ़ियों का पालन ज़रूरी नहीं होता जो पहले से चली आती हों। ऐसे समयों पर ये परम्पराएं ठीक नहीं जंचती हैं। इस समय हमारे देश के लोगों के मन में आशा है कि कोई परिवर्तन हो। साथ ही उनके दिल में यह भावना भी है कि संसद् की कुछ ऐसी परम्पराओं का अनुसरण न किया जाय जो पहले ठीक जंचती थीं। अध्यक्ष के प्रति सम्मानपूर्वक मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रस्तुत सरकार के विरोधियों के लिए अपना विरोध ऐसी रूढ़ियों का परित्याग करके दिखाना आवश्यक हो सकता है जो उन दिनों में ही ठीक लगती थीं जब कि सरकार और लोगों के बीच पूरा सहयोग था और दोनों की इच्छाएं एक सी थीं। ब्रिटेन के अधिराज्यों में भी यह परम्परा नहीं है कि चुनाव में अध्यक्ष के विरुद्ध कोई खड़ा न हो।

मेरा तात्पर्य यह है कि चुनाव में चाहे कुछ भी होता रहे, जहां तक अध्यक्ष के इस कर्त्तव्य का सम्बन्ध है कि संसदीय लोकतन्त्र चालू रहे, अध्यक्ष से कुछ आशाएं की जाती हैं। इसलिए ऐसा होना चाहिये कि अध्यक्ष

पूर्णतया तटस्थ हो और कोई उस पर पक्षपात का सन्देह भी न कर सके। यह मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर कह रहा हूं और मेरा संकेत अध्यक्ष द्वारा दिए गए किसी निर्णय की ओर नहीं है। मैं यह इसलिए कहता हूं कि वर्तमान तंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है। हमें यद्यपि इस तंत्र से कोई आशाएं नहीं हैं फिर भी हम इसे चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष की स्थिति के सम्बन्ध में इस देश में कुछ रूढ़ियां या परम्पराएं स्थापित की जायं। हम यह नहीं चाहते कि न्याय की एक मशीन अध्यक्ष पद पर बैठी हो और न ही हम यह चाहते हैं हैं कि अध्यक्ष में नौकरशाहों जैसी तटस्थता हो। क्यों नहीं ? इसलिए कि ऐसे सजीव सदन का सभापतित्व करने वाला व्यक्ति ऐसा हो जो देश की समस्याओं को भली प्रकार समझता हो, जिसका देश की वास्तविक समस्याओं से गहरा सम्बन्ध हो और जो राजनीतिक स्थिति के प्रति पूर्णतया सतर्क हो। हम ऐसा अध्यक्ष चाहते हैं जो यह ध्यान रखे कि सदन में राष्ट्रीय समस्याओं पर उसी भावना से विचार किया जाय जिस से कि किया जाना चाहिए।

जहां तक वर्तमान स्थिति का सम्बन्ध है, इस सदन के बहुमत दल का सदस्य भी अध्यक्ष पद पर है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं। न ही मुझे इस बात पर आपत्ति है कि उन का किसी विशेष राजनीति या विचारधारा से सम्बन्ध है उन का अपना व्यक्तित्व है और स्वभाविक ही है कि कुछ आन्दोलनों के प्रति उन का स्नेह भाव है। मेरे विचार में तो कांग्रेस की कोई विशेष विचारधारा नहीं है परन्तु सम्भव है कि अध्यक्ष का विचार हो कि कांग्रेस की राजनीति का कुछ अच्छा आधार है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है और न मैं अध्यक्ष महोदय को इस बात के लिए दोष दे सकता हूं कि उन्होंने अपने अध्यक्ष चुने जाने पर कहा था—"मैं अभी भी उन विचारों पर स्थिर हूं जिन पर इतने दिन स्थिर रहा हूं।"

परन्तु कुछ भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं। थोड़ी बहुत ऐसी सम्भावना हो भी सकती है कि किसी राजनीतिक विचारधारा से अध्यक्ष के सम्बन्ध का उस के कर्त्तव्य पालन पर प्रभाव पड़े। इसलिए हमें यह देखना चाहिए कि उपरोक्त सम्भावना रहने ही न दी जाय।

ब्रिटेन में अर्थोपाय का सभापति, जो उपाध्यक्ष की तरह काम करता है, भी अध्यक्ष की तरह दल वाद-विवाद से दूर रहता है और वाद-विवाद में भाग नहीं लेता और इस प्रकार अपने सदस्यता अधिकारों का प्रयोग नहीं करता।

मुझे याद है कि कामन्ज़ सभा के एक भूतपूर्व अध्यक्ष मि० क्लिफ्टन ब्राउन कुछ समय पहले भारत आए थे और उन्होंने सेन्ट्रल हाल में संसद् सदस्यों के सामने भाषण देते हुए बताया था कि कामन्ज़ सभा का अध्यक्ष सदस्यों से मिलता जलता नहीं। पैलेस आफ़ वेस्टमिनस्टर में उसका अपना घर होता है। उसे सिगरेट पीने के कमरे या खाने के कमरे में जाने की भी अनुमति नहीं होती। राज्य में उसका महत्व पांचवें नम्बर पर है।

लेकिन यह तो बड़ी ज्यादती है। यह तो अंग्रेज़ों की रूढ़िवादिता की पराकाष्ठा है। हम ऐसी बात नहीं चाहते। परन्तु इससे यह स्पष्ट है कि इस बात की आवश्यकता को कितना महत्व दिया जाता है कि अध्यक्ष बिल्कुल तटस्थ हो। मैं यह नहीं कहना चाहता कि हम उतनी दूर तक चलें, किन्तु हमें इस प्रकार से काम करना चाहिये कि अध्यक्ष पद पर किसी भी प्रकार का लाञ्छन नहीं आ जाय। मैं इसी बात की ओर सरकार का

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

ध्यान दिलाना चाहता हूं, और साथ में आश्वासन पाना चाहता हूं ।

आप में से प्रत्येक सदस्य अध्यक्ष पद के उत्तरदायित्वों और महत्व को समझता है, और अब मैं इस सिलसिले में सर फ्रेडरिक व्हाइट जो मोन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार योजना के अन्तर्गत विधान सभा के सभापति रह चुके हैं, के कुछ एक उदाहरण सुनाऊंगा जो उन्होंने अध्यक्ष पद की कठिनाइयों और इस पद के महत्व के सम्बन्ध में कहे हैं । २४ अगस्त, १९२५ को उन्होंने कहा था कि इस प्रकार के मौके बार बार और अप्रत्याशित-रूप से आते हैं जब अध्यक्ष निःसहाय और एकाकी होता है, और ऐसी बातों का निर्णय सुनाता है जिनसे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता हो—चुनाचें उन बातों के लिये न केवल सदन के कार्य संचालन और प्रक्रिया के सम्बन्ध में गहरी जानकारी की आवश्यकता पड़ती है, बल्कि साहस और दृढ़ता से काम लेना पड़ता है। सदन में नियम चलाने के लिये दृढ़ता और अधिकार दिलाने के लिये साहस की आवश्यकता पड़ती है, और वे अधिकार भी अल्पसंख्यकों के लिये दिलाने पड़ते हैं । यही कारण है कि अध्यक्ष को प्रत्येक राजनीतिक दल से सम्बन्ध-विच्छेद करने का आश्वासन देना पड़ता है। इस प्रसंग से मैं विधान-सभा के सभापति दिवंगत विठलभाई पटेल के वे शब्द उद्धृत करना चाहता हूं जो उन्होंने २४ अगस्त, १९२५ को निर्वाचित होते समय कहे थे : "आज से मैं किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं हूं। मैं सभी पार्टियों का हूं । और मैं आशा करता हूं कि मेरे माननीय मित्र जो स्वराज्य पार्टी के नेता भी हैं, मुझे स्वराज्य पार्टी की सदस्यता से हटाने की कृपा करेंगे ।" स्पष्ट है कि विट्ठल भाई पटेल ने उस समय ये शब्द कहे थे जब देश में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ाई चल रही थी। और यही वह समय था जब विधान सभा इस लड़ाई का मंच बनी थी, जब हमारा देश दासता की श्रंखलाओं में जकड़ा हुआ था, जब उस सभा में स्वराज्यवादी पार्टी हर एक बात का विरोध कर रही थी। दिवंगत विट्ठलभाई पटेल ने यूरोपीयों के सामने इस प्रकार की बात कही थी और इस में सन्देह नहीं कि वह इतना कहते हुये भी लोक सुरक्षा विधेयक के विरुद्ध निर्णायक मत देने से रोके नहीं गये । चुनाचे विगत वर्ष हम ने अध्यक्ष महोदय को उनके निर्वाचित होने पर इसीलिये बधाइयां दी थीं। उन्होंने यह मान भी लिया और सभी पार्टियों से अपना सम्बन्ध-विच्छेद प्रगट किया।

यह बात इसीलिये और भी आवश्यक हो जाती है क्योंकि अध्यक्ष ने केवल विवाद के नियामक हैं अपितु "सदन में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के स्वीकृति प्राप्त संरक्षक हैं। मैं हाउस ऑफ़ कामन्ज़ की प्रवर समिति की रिपोर्ट से उद्धृत कर रहा था। कई अन्य बातों के सम्बन्ध में मैं अध्यक्ष के अधिकारों की ओर निर्देश नहीं करना चाहता। चुनाचे यह वित्त विधेयकों का प्रमाणीकरण कर सकते हैं; विरोधी दल का निश्चय कर सकते हैं, विरोधी दल का नेता चुन सकते हैं और स्थायी समितियों के सभापति नियुक्त किया करते हैं। तो कर्त्तव्य के रूप में उनका सब से अधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि सरकारी व्यवहार की प्रगति और विवादों में कही गई बातों के बीच संतुलन रखा करें। जहां तक विवादों की आवश्यकता का सम्बन्ध है, विरोधी दल में अल्पसंख्यकों की रक्षा की जानी चाहिये । अतएव वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों का स्वीकृत संरक्षक है।

कल श्री गाडगिल ने बताया कि अध्यक्ष पद विरोधी दल का पक्ष ले रहा है । हाउस

ऑफ़ लार्ड्स् के श्री क्लिफ्टन ब्राउन ने कुछ समय पहले हमारे समक्ष ही कहा था कि अध्यक्ष बनते ही व्यक्ति अपनी पार्टी भूल जाता है। वह किसी भी पार्टी का नहीं होता और उसे ऐसे पद पर बैठ कर कई उत्तरदायित्वों को सम्भालना पड़ता है। उसे यह देखना पड़ता है कि कहीं अल्पसंख्यकों के साथ कोई अन्याय तो नहीं होता, और सरकार के समर्थक प्रायः यही कहते रहते हैं कि अल्पसंख्यकों को बहुत माना जाता है। ऐसा लगता है कि सरकार के समर्थक, वे जहां कहीं भी मौजूद हों, एक ही प्रकार की जाति के होते हैं और एक ही प्रकार की शिकायत करते हैं, और अध्यक्ष को यह देखना होता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी बात कहने का मौका मिलता है या नहीं। इस सम्बन्ध में श्री क्लिफ्टन ब्राउन ने यह उदाहरण दिया है कि किस तरह उसने श्री मैक्सटन को जो तीन स्वतन्त्र श्रम दलों के सदस्यों का नेता था उन दिनों बोलने के लिये अधिक समय दिया जब संयुक्त राज्य अमरीका के साथ एक प्रकार का प्रशान्त सागर-पार का विवाद चल रहा था। वह कहते हैं ..... हमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों "को विशेष दृष्टि से देखना पड़ता है; भले ही मनुष्य उनसे सहमत न भी होता हो"। उन्होंने यह भी कहा है कि श्री मैक्सटन को बहुत बार बुलाया जाता था। एक बार उसने (मैक्सटन) ने क्षमायाचना करते हुए कहा--"मुझे बहुत बार बुलाया गया है, किन्तु आप को यह समझ जाना चाहिये कि हाउस आफ कामन्ज की यह प्रथा है कि जो अल्पसंख्यक दल से आता हो उसे प्रायः सब से अधिक कहने की सुविधा दी जाती है।" हमें यह भी दिखाई देता है कि जो बहुसंख्यक पार्टी में हों उन्हें इतना कम कहना पड़ता है कि विधान-सम्बन्धी कार्यक्रम टूट जाता है---जैसा कि अभी हाल में इस सदन में होते हुए देखा गया है।

यह आवश्यक है कि सदन में अल्पसंख्यक दलों के अधिकार अध्यक्ष द्वारा सम्मानित होते हैं। मैं अन्यथा नहीं कहता, और इससे यह नहीं समझा जाना चाहिये कि मैं अध्यक्ष-पद के आचरण पर कोई आक्षेप करना चाहता हूं। किन्तु हम इस बात का निश्चय करना चाहते हैं कि अध्यक्ष जी अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर ध्यान दें। दुर्भाग्यवश हमारा यह अनुभव रहा है कि सदन में यहां के नेता इस बात को भूल जाते हैं कि वह न केवल सरकार के नेता और बहुसंख्यक दल के नेता हैं बल्कि सदन के भी नेता हैं। अतः, इस सदन में तो विशेष रूप से यह बात और भी महत्वपूर्ण बन जाती है कि अध्यक्ष जी विरोधी दल की ओर विशेष ध्यान दें क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है। जब तक अध्यक्ष जी की ओर से हमें हर बातों का आश्वासन न मिले कि ये सब बातें निष्पक्ष रूप से चलेंगी तब तक सभापति की ओर से इस बात का निश्चय होना चाहिये कि किसी भी राजनीतिक दल से कोई सम्बन्ध स्थापित न हो। यदि सभापति की हर प्रकार की इच्छा हो तो वह कांग्रेसी रहें, किन्तु पार्टी के साथ उन से सभी परिहार्य सम्बन्ध टट जाने चाहियें। हम तो यथावत् अध्यक्ष-पद का का सम्मान करते ही हैं क्योंकि अध्यक्ष का काम उत्तरदायित्वों और कठिनाइयों से भरा है, किन्तु हम यदि यह देखें कि शासक पार्टी के साथ उसके कोई भी सम्बन्ध नहीं हैं तो हम उनका और भी अधिक सम्मान करेंगे। इसी मामले की ओर सदन, शासक पार्टी तथा अध्यक्ष-पद का ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिये। इससे न केवल यहां की बातों को सहायता मिलेगी अपितु देश के भिन्न भिन्न भागों के विधान मण्डलों को भी सहायता मिल सकेगी।

अब मैं अधिक समय लिये बिना वेतनों और भत्तों के प्रश्न पर विचार प्रगट करूंगा।

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

मैं मात्र इतना बताना चाहता हूं कि इस अध्यक्ष पद का स्थान मुहर के रूप में मैं नहीं देखना चाहता । खैर इस बात की कोई भी चिन्ता नहीं कि अध्यक्ष-पद के लिये क्या वेतन दिया जाता है अथवा इस पर क्या सुविधायें मिलती हैं। हमें यह भी बताया गया है कि मंत्रियों और अध्यक्ष में समानता होनी चाहिये । श्रीमान् मैं यह कहता हूं कि मंत्रियों के साथ समानता रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं। मंत्री अध्यक्ष से बिल्कुल भिन्न हैं, और अध्यक्ष जी मंत्रियों की संगत के के बिना ही अच्छे हैं। तो इस प्रकार जीवन-स्तर की यह तुलना क्यों खड़ी की जाती है ? इस प्रकार की तथा कथित प्रतिष्ठा दिलाने में कोई भी तर्क की बात नहीं। इस विधेयक में भत्तों, आदि का उपबन्ध रखा गया है। हमें इस मामले को गौर से देखना चाहिये और निष्पक्ष रूप से इस पर विचार करना चाहिये ।

मुझे मालूम है कि ब्रिटिश राज्य में प्रत्येक कार्यपालिका-पार्षद् की यही शिकायत थी कि जो कुछ भी भत्ते आदि मिल रहे हैं, उन से हमारा गुज़ारा नहीं चलता, और आज-कल भी मंत्री और भारतीय सिविल सर्विस के पदाधिकारी इसी बात का रोना रो रहे हैं। अभी अभी सिविल सर्विस के एक व्यक्ति ने मुझे अपनी दुःख भरी कहानी सुनाई और बताया कि विविध कटौतियां होने के बाद मुट्ठी भर धन बचा रहता है जिस से गुज़ारा नहीं हो पाता । मैंने उसकी कहानी तो सुनी किन्तु निश्चय ही हम से इस बात की आशा नहीं की जा सकती कि हम एक गम्भीर विधान मंडल में इस बात को गम्भीर समझ लें। मैं जानता हूं कि जीवन के स्तर का कोई भी अन्त नहीं है, और प्रत्येक व्यक्ति का यही प्रयत्न है कि ऊंचे से ऊंचा और बढ़िया से बढ़िया जीवन व्यतीत करे । चुनांचि एक सुप्रसिद्ध लेखक ने स्पर्धा के प्रसंग में लिखते हुए लिखा है कि नपोलियन सीज़र की स्पर्धा करता था, और सीज़र हैनिबाल की, और हैनिबाल अलक्षेन्द्र की स्पर्धा करता था जब कि अलक्षेन्द्र हर्क्यूलिस बनना चाहता था । तो, इस तरह स्पर्धा का कोई भी अन्त नहीं । इसी प्रकार यदि मैं भी यही सोचूं कि मंत्री मुझ से अच्छा जीवन व्यतीत करता है, तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा । यह मामूली बात है अतः इस प्रकार के मापदण्ड को छोड़ दिया जाना चाहिये । हम निराशा भरे वातावरण में देश का विधान बना रहे हैं क्योंकि चारों ओर से इतनी बुरी स्थिति पैदा हो रही है——महा-राष्ट्र में अकाल पड़ रहा है, राजस्थान, मद्रास तथा सुन्दरबांस में अकाल से और भी बुरी दशा हो रही है । चारों ओर दुर्भिक्ष की बदली छा रही है, और हम इसका उपचार करने के प्रयत्न में हैं——हम इस योग्य हैं या नहीं, यह तो जुदा बात है——और ऐसे वाता-वरण में हम अध्यक्ष-पद, मन्त्रिपद तथा राष्ट्रपति-पद के गौरव प्रतिष्ठा के अनुकूल जीवन स्तर बनाने की बात कर रहे हैं । कितना ही दुर्भाग्य है । अब आप चीन को लीजिये । मैं जानता हूं कि यहां कई दिशाओं में चीन का नाम आते ही एक बेचैनी-सी फैलने लगती है किन्तु चीन में ऐसी बातें हुई हैं जो मैं आप को बताना चाहता हूं चुनांचि सदन के कई सदस्य वहां हो आये हैं और इन बातों को जानते हैं, और उन्होंने बड़ी शानदार रिपोर्टें भी दी हैं——वहां के राष्ट्र-पति माओ को जो सम्मान मिल रहा है, वह शायद संसार के और किसी भी मनुष्य को प्राप्त नहीं, किन्तु देखिये कि वह किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहा है । यदि आप उस बात को जान लेंगे तो आप को पता चलेगा कि जनता की श्रद्धा और निष्ठा क्या

चीज़ होती है। मुझे इस बात का भी विश्वास है कि यहां का सभाध्यक्ष भी तथाकथित प्रतिष्ठा के फंदों, ऐश्वर्य-विलास आदि की चीज़ों के बिना काम चला सकता है। मैं इसीलिये इस प्रकार कहता हूं क्योंकि अध्यक्ष-पद सदन की सम्पत्ति है। मैं कहता हूं कि यहां का अध्यक्ष सदन तथा देश के समक्ष हर किसी बात का उत्तरदायी है। अध्यक्ष-पद सदन के गौरव का प्रतीक हैं। लोगों के समक्ष जीवन की समस्याओं को समझने के लिये तथा सद्भावना के लिये अध्यक्ष के इशारे की ओर ही देखना पड़ता है। किन्तु अब बात ही भिन्न है। हमारा देश और किसी दिशा में जा रहा है, और हमारे देश की सरकार लोगों की जायदाद की ओर भारी निगाह से देख रही है। मैं इसीलिये आप से कहना चाहता हूं कि आप और गौर करें। हमें इस बात को देखने का प्रयत्न करना चाहिये कि अध्यक्ष-पद इन सब बातों से ऊंचा हो, ताकि किसी भी प्रकार का कोई आक्षेप होने की गुंजाइश न रहे। हमें यह भी देखना चाहिये कि अध्यक्ष को देश के हितों तथा देश की गौरव प्रतिष्ठा के अनुसार ही पारिश्रमिक मिले, जो यहां की आश्रम परम्परा के भी अनुकूल हो। हमारे इस देश में "कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः" की परम्परा चल रही है। मैं इस से अक्षरशः सहमत नहीं हूं और वास्तव में, इससे यही अभिप्रेत है कि ऐसे वातावरण में रहा जाय जहां सादा जीवन हो। किन्तु यदि हमारे देश में आज की सी ही हवा चलती रही तो लोगों की आपत्तियों और मुसीबतों का क्या हश्र होगा——तो इस विधेयक की बहस में हमें इसी बात का विरोध करना होगा।

सभापति महोदय : अगले सदस्य को बुलाने से पहले मैं कुछ एक सुझाव देना चाहता हूं।

कल इस विषय पर डेढ़ घंटे तक बहस हुई, और बहुत ही रुचि कर सूचना मिली। अभी अभी जिस माननीय सदस्य ने भाषण समाप्त किया, उसने सदन में अध्यक्ष-पद की प्रतिष्ठा आदि का सारा इतिहास सुनाया, और यह भी बताया कि इस पद पर बैठने वाले के कर्त्तव्य तथा कार्य क्या हैं। मैं इस सभी को असंगत नहीं कहता किन्तु तथ्य यह है कि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की पदवी तो पहले ही हमारे संविधान में स्वीकार की जा चुकी है। अग्रेतर उपबन्ध यह भी है कि अनुच्छेद ९७ के अन्तर्गत अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतनों का निश्चय किया जाना चाहिये। और प्रस्तुत विधेयक तो मुख्यतः पदाधिकारियों के वेतनों ही का निश्चय करेगा। मैं यह नहीं कहता कि बहस असंगत है किन्तु मैं यह चाहता हूं कि माननीय सदस्य आज की मुख्य बात पर ही ध्यान दें और विधेयक के उपबन्धों तक ही अपना भाषण सीमित रखें। यदि सभी सदस्य इस प्रकार की नीति बरतें तो इस मामले को शीघ्र ही समाप्त किया जा सकता है। मैं प्रथाओं या अभिसमयों की बातों को अनियमित नहीं ठहराना चाहता किन्तु यह बतलाना चाहता हूं कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की पदवियों के सम्बन्ध में हमारे संविधान में उल्लेख हो चुका है और वर्तमान स्थिति स्वीकार भी हो चुकी है। अब तो यही मुख्य प्रश्न है कि इस अनुच्छेद ९७ के अन्तर्गत इन पदाधिकारियों के क्या वेतन एवं पारिश्रमिक निश्चित किये जाने चाहियें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस विधेयक पर की गई बहस के दौरान में व्यक्तियों की ओर कोई भी निर्देश नहीं हुआ है, किन्तु इसके साथ साथ यदि इसी उल्लिखित बात तक भाषण सीमित रखे जाते तो शायद हम इस मामले को शीघ्र ही समाप्त कर सकते। खैर, इससे यह नहीं समझा जाय कि मैं उस बात को भी

[सभापति महोदय]

जो विधेयक की कथावस्तु से संगत हो रद्द कर दूंगा।

अब मैं श्री शर्मा को भाषण करने का निमन्त्रण देता हूं।

प्रो० डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : बोलने का अवसर पाने के लिये धन्यवाद देता हूं। चूंकि आपने अध्यक्ष-कार्य से सम्बन्धित बातों को असंगत बताया है अतः मैं उस विषय पर नहीं बोलूंगा, किन्तु आज प्रातः मैं उस सदस्य की बातें सुन कर बहुत ही प्रसन्न हुआ था जिसने इंग्लैण्ड का निर्देश करते हुए कई बातें बताई थीं। चुनाचि यह बातें साधारण बातों से भिन्न थीं, किन्तु मैं अंग्रेजी उदाहरण नहीं देना चाहता; मैं उन देशों के कार्यसंचालन का उल्लेख करना चाहता हूं जहां संसदीय प्रजातन्त्र मौजूद है। और यदि मुझे ठीक स्मरण हो रहा हो तो इंग्लैण्ड, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमरीका, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैण्ड और कई अन्य देशों में इस प्रकार की संसदीय व्यवस्था है और यदि इन सभी की कार्यवाही देखी जाये तो यही पता चलेगा कि भिन्न भिन्न देशों में अध्यक्ष पदवी का विविध इतिहास है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इंग्लैण्ड में सभा अध्यक्ष सब से अलग रहता है, और सभी पार्टियों से अलग समझा जाता है, किन्तु फ्रांस में विधान सभा का अध्यक्ष प्रायः ऐसा पार्टी नेता होता है जो कोई भूतपूर्व मंत्री रहा हो अथवा मंत्री बनने जा रहा हो। इसी प्रकार आस्ट्रेलिया तथा न्यूज़ीलैण्ड में भी अध्यक्ष-पदवी के सम्बन्ध में भिन्न विचारधारा है। संयुक्त राज्य अमरीका में अध्यक्ष अथवा राष्ट्रपति प्राय. कोई पार्टी नेता हुआ करता है। अतः यहां की इस शासन-व्यवस्था में अध्यक्ष के कर्त्तव्यों तथा कार्यों का निश्चय करने के लिये अन्य देशों के प्रयोगों पर निर्भर करना बेकार है। मैं समझता हूं कि भारत काफ़ी आगे बढ़ चुका है, और इस विषय में अपनी कोई स्वतन्त्र व्यवस्था कर सकता है। मेरा यह भी मत है कि आज तक हम जिस ढर्रे पर चलते रहे हैं वह हमारे देश के संसदीय जीवन का एक अच्छा नमूना है। वह नमूना इस प्रकार है कि अध्यक्ष जी बहुसंख्यक दल के होते हुए भी पार्टी द्वेषों और पार्टी भावनाओं से मुक्त हैं। सदन में अध्यक्ष-पद पर बैठ कर वह न केवल हमारे नेता हैं अपितु हमारे निर्णायक भी हैं। यह बहुसंख्यक दल के सदस्य ही नहीं बल्कि एक नियामक भी हैं। मैं तो ऐसी स्थिति को देशकालोचित समझता हूं। मेरा इस बात में भी विश्वास नहीं कि इंग्लैण्ड की संसद् प्रक्रिया शाश्वत बनने वाली चीज़ है। वहां भी कई परिवर्तन हुये हैं। अतः एव मेरे विचार में यदि अध्यक्ष जी सदन की आज्ञाकारिता, निष्ठा एवं सम्मान चाहते हों तो उन्हें बहुसंख्यक दल का होना चाहिये, क्योंकि बहुसंख्यक दल के हित में ही यह बात हो सकती है।

इसके साथ में मैं यह भी अनुभव करता हूं कि अध्यक्ष किसी विशेष विचारधारा के प्रभाव से मुक्त नहीं कहा जा सकता। आखिर वह कब तक "लेडी आफ शैलट" की तरह शीशे में से लोगों की तस्वीरें देखता रहेगा और सचाई से मुंह मोड़ता रहेगा। हम निश्चय ही अपने अध्यक्ष जी को लेडी आफ शैलट के समान नहीं देखना चाहते।

प्रो० डी० सी० शर्मा : मैं अभी अभी कह रहा था कि अध्यक्ष महोदय ने अपने कार्य का जैसा स्तर बनाया है उसको देखते हुए अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो बहुमत वाले दल का हो जिस पर देश के प्रशासन का

तथा देश की स्थिति का निर्माण करने तथा सुदृढ़ करने का उत्तरदायित्व है साथ ही साथ उसे किसी प्रकार भी पक्षपात नहीं करना चाहिये।

अध्यक्ष के दो मुख्य कार्य हैं। एक तो वाद विवाद को नियमानुकूल रखना तथा साथ ही साथ अल्पमत के अधिकारों की रक्षा करना। जहां तक मेरा अनुभव है, मेरा विचार है, कि किसी को, इस सदन के वाद-विवाद के नियमानुकूल रखने के सम्बन्ध में, वह बहुमत वाले दल का हो या अल्पमत वाले दलों का, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय को इस सदन में वाद विवाद के विनियमन, प्रश्न उत्तरों के समय तथा अन्य अवसरों पर कुछ अत्यन्त कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने बड़ी दृढ़ता से तथा साहस के साथ, तथा सौजन्यतापूर्वक इनका सामना किया। मैं तो कहूंगा कि अध्यक्ष महोदय तथा उपाध्यक्ष महोदय, सही अर्थ में सबसे अधिक सज्जन हैं तथा यह हमारा सौभाग्य है जो हम ने उन्हें पाया है।

कल मैंने एक माननीय सदस्य का व्याख्यान सुना था जिन्होंने कहा था कि अध्यक्ष का वेतन, सियालदा के प्लेटफार्म पर पड़े हुए तथा कैम्पों में सड़ने वाले शरणार्थियों की दशा को देख कर नियत किया जाना चाहिये। मैं शब्द "सड़ने वाला" का प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि शरणार्थी शिविरों में शरणार्थियों की दशा बहुत अच्छी है तथा उनकी भली भांति देख भाल की जा रही है।

यदि आप हर व्यक्ति का वेतन घटाना चाहते हों तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। परन्तु जब तक हमारे देश का वेतन का ढांचा यही है जैसा कि इस समय है तब तक मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरा विचार है कि आप को इस वेतन के प्रश्न को हमारे देश के वर्तमान वेतन के ढांचे के प्रसंग में देखना चाहिये। इस दृष्टिकोण से देखने पर ज्ञात हो जायगा कि अध्यक्ष महोदय तथा उपाध्यक्ष महोदय के वेतन तथा भत्ते उनके कार्य, उनके भत्ते उत्तरदायित्व को देखते हुए अधिक नहीं हैं।

मैं तो कहूंगा कि वेतन का यह प्रश्न अत्यन्त कठिन प्रश्न है। मैं यह भी कहूंगा कि वे सब वेतन जो हमारे अफ़सर पाते हैं एक प्रकार का राष्ट्रीय विनियोग है, जो कुछ वे पाते हैं उसका एक बड़ा भाग वे राष्ट्रीय कोष में पुनः जमा कर देते हैं। उदाहरण के लिये जब कोई अफसर वेतन पाता है तो, अपने बच्चों को शिक्षा देता है, अपने जीवन का बीमा कराता है तथा भविष्य निधि में संचित करता है। इसलिये मेरा विचार है कि आपको अध्यक्ष महोदय तथा उपाध्यक्ष महोदय के वेतनों तथा भत्तों के सम्बन्ध में ऐसी कटु आलोचना नहीं करनी चाहिये। यदि आप वेतन के पूरे ढांचे को बदलें तो बात दूसरी है। परन्तु जब वेतन का ढांचा यही है हमारा विचार है कि हम अध्यक्ष महोदय तथा उपाध्यक्ष महोदय को एक पाई भी अधिक न तो वेतन में देते हैं और न भत्तों में।

जहां तक इन पदाधिकारियों के कार्यों का प्रश्न है इन्होंने वाद विवाद का विनियमन बड़ी निष्पक्षता से किया है और जब कभी भद्दी स्थिति पैदा हो गई तो इन्होंने उसे शान्त करने का प्रयत्न किया अतः मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं जो प्रस्तुत किया गया है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस विधेयक पर वाद विवाद हुआ। हमें चाहिये तो यह था कि हम इस विधेयक को बिना किसी वाद विवाद के पारित करते क्योंकि अध्यक्ष महोदय तथा उपाध्यक्ष

[प्रो० डी० सी० शर्मा]

महोदय ने इस सदन का कार्य अत्यन्त सुचारू रूप से संचालित किया है; उन्होंने बहुमत या अल्पमत दोनों प्रकार के दलों के साथ न्याय किया है।

सभापति महोदय : इस सूक्ष्म विधेयक पर सवा घंटा कल तथा एक घंटा आज वार्ता हो चुकी है। मैं देखता हूं कि किसी भी माननीय सदस्य के लिये यह बात कठिन है कि वह उन बातों को न दुहरावे जो अन्य सदस्य कह चुके हैं। किन्ही कारणों से मैं समापन का प्रयोग नहीं करना चाहता, जो हर एक को भली भांति विदित है। परन्तु मैं नियम २५७ के अनुसार सदन का मत जानना चाहता हूं कि वे कब इस विवाद को समाप्त करना चाहते हैं। यदि विचार करने की यह स्थिति आज उचित समय से समाप्त हो जाये तो हम शेष समय संशोधन इत्यादि में लगा सकते हैं।

डा० एन० बी० खरे(ग्वालियर):११–३०।

सभापति महोदय : यदि ११–३० पर यह विचार की स्थिति समाप्त हो जावे तो सारा विधेयक आज पारित हो जावेगा। मैं नियम २५७ के अनुसार निर्णय करता हूं कि इस प्रस्ताव पर वाद विवाद ११–३० पर समाप्त हो जावेगा। क्या यह सब को स्वीकार्य है ?

माननीय सदस्य गण : नहीं। नहीं।

डा० एन० बी० खरे : सभापति जी, मैं आप का ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज जब मैंने अपने मित्र श्री हीरेन्द्र मुकर्जी का लम्बा चौड़ा भाषण सुना तो मुझे बड़ा आनन्द हुआ कि एक बार तो उन्होंने जो कोटेशन्स स्पीकर के बारे में दिये वह ब्रिटिश पार्लियामेंट के इतिहास से दिये। इससे मुझ को बड़ा आनन्द हुआ। उन के मत में परिवर्तन हुआ हो या नहीं किन्तु मुझे इस को सुन कर आनन्द अवश्य हुआ। शायद यह उदाहरण भी उन्होंने इस लिये दिया कि सम्भवतः रूस के इतिहास में ऐसी परिपाटी नहीं होगी और हो तो मुझे कम से कम मालूम नहीं।

दूसरे उन्होंने स्पीकर के वेतन के निस्बत भी कहा कि 'कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः'। इस को सुन कर तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। अगर उन की यही फिलासफी है तो मेरे ख्याल में जल्द से जल्द उन को अपने मत में परिवर्त्तन करना चाहिये।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) और हिन्दू महासभा में सम्मिलित हो जायें ?

डा० एन० बी० खरे : नहीं नहीं हिन्दू महासभा की यह फिलासफी नहीं है। हमारा आदर्श अभ्युदय का है। पतन की ओर यानें भीख मांगना और संन्यास की ओर हम नहीं जाते। मैं यह समझता हूं कि न्याय और अधिकार स्पीकर को उचित वेतन देने से ही मिल सकता है। 'कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः' कहने का अधिकार उनको तभी आ सकता है जब श्री मुखर्जी वह कौपीन पहिन कर सभागृह में आयें। इससे पहले नहीं। ऐसा मेरा नम्र निवेदन है।

अब विधान पर बात आई तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और चेअरमैन और डिप्टी चेअरमैन आफ दि कौंसिल आफ स्टेट्स के बारे में प्रबन्ध है। मैं चाहता हूं कि इसमें डिप्टी चेअरमैन आफ दि कौंसिल आफ स्टेट्स के बारे में और विचार किया जाय क्योंकि कौंसिल आफ स्टेट्स में कोई खास काम नहीं रहता। और वहां पर पैनेल आफ चेअरमेन भी है, इससे वहां पर आसानी से काम हो सकता है। मेरा मतलब यह है कि वहां पर

आप को एक और सवेतन आदमी नियुक्त करने की गरज नहीं है। वह गरज नहीं है। बाकी और जो विधान के प्रबन्ध हैं उनके बारे में मुझ को बहुत नहीं कहना है। सिर्फ इतना ही कहना है कि जिनको हम वेतन देना चाहेंगे या देना चाहते हैं इस विधेयक को पास करके, वह कैसे होने चाहियें, उनको कैसे काम करना चाहिये इस के बारे में अपने ख्यालात का जाहिर करना हमारा हक है, ऐसा मैं मानता हूं।

बात यह है कि इंग्लैण्ड का इतिहास यहां दिया गया है, लेकिन यहां पर इंग्लैण्ड की सारी बातों को नकल नहीं की जा सकती। अब देखिए कि स्पीकर का इलेक्शन हुआ तो अविरोध नहीं हुआ। उनको पार्टी की तरफ से खड़ा होना पड़ा और वह लड़ कर आये। मैजॉरिटी पार्टी ने उनको स्पीकर बना दिया। जो पार्टी मैजॉरिटी में हो वह ऐसा कर सकती है। मैं यह मानता हूं कि चुनाव होने के बाद स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को अपने हित के वास्ते यह घोषित कर देना चाहिए कि आयन्दा मैं किसी पार्टी से ताल्लुक रखने वाला नहीं हूं। अगर इतना घोषित किया जाय तो रे ख्याल में काम हो सकता है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फिर भी कोई कोई स्पीकर यह घोषणा करते हैं कि हम पार्टी के मेम्बर हैं। मेरा ख्याल है कि यह अनुचित है। अगर वह ऐसा घोषित करें तो यह परम्परा बहुत हितकारी होगी, लेकिन उनको ऐसा करने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर उनकी ऐसी ख्वाहिश है कि इस सभागृह में जितने पक्ष हैं उन सब का वह विश्वास हासिल करें, तो उन को यह ख्वाहिश पूरी करने के लिये यह घोषित करना चाहिए कि अब वह किसी पक्ष के मेम्बर नहीं रहे हैं। आखिर उनकी जो पोलिटिकल आइडियालॉजी है वह तो उनकी हड्डी में समायी हुई है। उसको तो वह नहीं भूल सकते, लेकिन अगर वह फारमली यह घोषित कर दें कि हम निष्पक्ष हैं तो इससे हाउस का समाधान हो जाना चाहिए, कम से कम मेरा तो समाधान हो जायगा।

अब दूसरी बात यह रही कि आप निष्पक्ष रहते हैं या नहीं या इंसाफ से हाउस में अपना काम चलाते हैं या नहीं। इस बारे में मैं समझता हूं किसी को ग्रीवांस नहीं होना चाहिए। उनका जो आज तक का बरताव है उससे ग्रीवांस नहीं होना चाहिए। हां कभी कभी दिल में मलाल हो जाता है लेकिन वह क्षणिक होता है।

एक बात और है। इस पार्लियामेंटरी डिमाक्रेसी में जो मिनिस्टर होता है वह भी पार्टी का मेम्बर होता है और वह मंत्री देश का इतना बड़ा कारोबार करता है, और उनसे हम उम्मीद करते हैं, चाहे वह उम्मीद फलीभूत हो या न हो, कि वह अपना काम पार्टी बाजी से नहीं करेंगे। तो जितना बड़ा कारोबार एक मंत्री के हाथ में होता है उसके सामने स्पीकर कोई चीज ही नहीं है। वह क्या कर सकता है? जब यह हाउस एक बड़े भारी ऊंट को निगल जा सकता है तो मेरे ख्याल में एक मच्छर के लिये थू थू करना बेकार है। इस वास्ते मैं समझता हूं कि यह कोई बड़ी भारी दलील की बात नहीं है। यह डिमाक्रेसी का ईविल है। आज दुनिया में पार्लियामेंटरी डिमाक्रेसी चल रही है और बहुत फैशनेबिल समझी जाती है? वह बुरी है, यह तो मैं नहीं कह सकता, यह तो भविष्य काल ही बतलायेगा। लेकिन हमको उसका यहां पर अच्छा अनुभव नहीं हुआ है और आगे भी होने की उम्मीद नहीं है। तो फिर ऐसी हालत में जबकि मिनिस्टर लोग पार्टी के मेम्बर हो सकते हैं तो स्पीकर की तो कोई बात ही नहीं है। इस पर कोई बहुत नाक भौं

[डा० एन० बी० खरे]

चढ़ाने का कारण नहीं है ऐसा मेरा कहना है। अगर स्पीकर अपनी खुशी से यह घोषणा कर दे कि वह निष्पक्ष है तो यह उसकी भलमनसाहत है। इस परिपाटी का उसे अवलम्बन करना चाहिए।

मुझे ज्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि थोडी बात में ही मज़ा रहता है।

सभापति महोदय : हमने निर्णय किया है कि हम यह वादविवाद ११–३० पर समाप्त कर दें। मैं देखता हूं कि बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं और चूंकि वाद विवाद का क्षेत्र सीमित है अतः मैं एक सीमा काल नियत कर देना चाहता हूं। अब मैं डा० एस० पी० मुकर्जी से अपने विचार प्रकट करने को कहूंगा।

डा० एस० पी० मुकर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : मुझे प्रसन्नता है कि इस प्रस्ताव के विवाद में समस्या को हल करने का सामान्य दल रहित प्रवृत्ति अपनाई गई है। वेतन के प्रश्न पर मतभेद हो सकता है परन्तु जो सैद्धान्तिक प्रश्न उठाये गये हैं उन पर हमें ऐसा निर्णय करना चाहिये जो इस सदन के सम्मान के अनुकूल हो तथा अध्यक्ष के पद के इतिहास तथा परम्पराओं के अनुकूल हो।

इंगलिस्तान की लोक सभा की ओर निर्देश किया गया है। उस देश में अध्यक्ष के अधिकारों के विकास की पृष्ठभूमि ऐसे इतिहास की है जिसके पुनरावृत्ति की इस देश में आशा नहीं करते हैं। सत्रहवी शताब्दी तक इंगलिस्तान में अध्यक्ष राजा का आदमी कहा जाता था। उसको राजा द्वारा नामनिर्देशित किया जाता था तथा उसी के अनुसार कार्य करता था। संसद् तथा राजा में जनता के अधिकारों की रक्षा के लिये संघर्ष आरम्भ हुआ। परन्तु हमारे देश में ऐसी कोई सम्भावना नहीं है कि इस सदन तथा कार्यपालिका में इस बात का संघर्ष आरम्भ हो कि किस की शक्ति सर्वोपरि है। यह एक निर्वाचित संसद है तथा सरकार उस समय तक अपने पद पर रहेगी जब तक उसके पीछे सदन के बहुमत का समर्थन होगा। इसलिये अध्यक्ष को सदन तथा कार्य पालिका के मध्य किसी झगड़े को तै करने का कोई अवसर नहीं होगा उस समय तक जब तक ऐसी परिस्थिति न उत्पन्न हो जाये जब कि कार्यपालिका को सदन का बहुमत प्राप्त न हो तथा वह सदन की बैठक बुलाने से इंकार करें उसके लिये भी हमारे विधान में प्रबन्ध किया गया है। इसलिये हमारे देश में अध्यक्ष का केवल यही कार्य होगा कि सदन की प्रतिष्ठा तथा अधिकारों के संरक्षक का कार्य करे। सदन से मेरा तात्पर्य सदन के सब दलों से है। अध्यक्ष का यह कार्य होगा कि वह ऐसे प्रयत्न करे जिससे सदन का कार्य सर्वोत्तम संसदीय परम्पराओं के अनुसार होता रहे।

जैसा मैं कह चुका हूं सत्रहवीं शताब्दी तक इंगलिस्तान का अध्यक्ष राजा का आदमी होता था। वह स्थिति समाप्त हुई। उस संघर्ष में मैदान संसद् के हाथ रहा। तब से अध्यक्ष लोक सभा का आदमी होने लगा जो जनता द्वारा निर्वाचित किया गया है। १६७९ से लेकर १८३२ तथा १८६७ के मध्य तक अध्यक्ष दल विशेष का व्यक्ति होता रहा। अठारहवीं शताब्दी के आरम्भ में आर्थर आन्सलो पहला अध्यक्ष था जिसने निर्णय किया कि अध्यक्ष को पूर्ण रूप से निष्पक्षता से कार्य करना चाहिये तथा उसे चाहिये सदन के प्रतिष्ठा की तथा सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करे जिन में अल्पमत भी सम्मिलित हैं।

ब्रिटेन में इस सिद्धान्त का पालन किया जा रहा है कि स्पीकर न केवल निष्पक्ष हो अपितु वह किसी भी ऐसी गतिविधि से निवृत्त हो जो कि उसकी निष्पक्षता के बारे में ज़रा सा भी संदेह पदा करे। वह संसद से बाहर

राजनीतिक भाषण नहीं देता है और न ही राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियों में भाग लेता है। अध्यक्ष-पद से इस्तीफा देने के पश्चात् वह संसद् से भी इस्तीफा देता है तथा यदि वह दुबारा चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो जाये तो उसका न उसके निर्वाचन क्षेत्र में और न ही सदन के अन्दर विरोध किया जाता है। हमारे अध्यक्ष ने भी १५ मई १९५२ को अपने भाषण में ऐसे ही विचार प्रकट किये। ब्रिटेन के स्पीकर के पद का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि "यह निस्सन्देह एक आदर्श पद है किन्तु इसके साथ साथ लोकतन्त्र की अन्य उपसिद्धियों का भी पालन होना चाहिये।" इस बात में मैं उन से पूर्णतया सहमत हूं। यदि हम ब्रिटिश सिद्धान्त का अनसरण करना चाहते हैं तो हमें इस सम्बन्ध में अधिकांश रूप से उनके ही हल को अपनाना होगा। इस सम्बन्ध में उनकी जो भी पूर्व शर्तें होंगी उन्हें हमें अंगीकार करना चाहिये। इस में केवल इसी सदन की बात नहीं आ जाती है, इसमें राज्य विधान सभाओं की बात भी आ जाती है जिनके लिए कि हमें एक प्रकार की परम्परा स्थापित करनी है। आप विधान बना कर ऐसा नहीं कर सकते हैं। यह स्वाभाविक रूप से, सभी राजनीतिक दलों की सहमति से, स्थापित हो जानी चाहिये।

संयुक्त राष्ट्र (ब्रिटेन) में इस सम्बन्ध में परम्परा क्या है? हमने पिछले ही दिन श्री क्लिफ्टन ब्राऊन से इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि वहां अध्यक्ष सभी राजनीतिक दलों से सम्बन्धित पीछे बैठने वाले आम सदस्यों का मनोनीत व्यक्ति होता है, इस बारे में समझौता होने पर ही नाम प्रस्तुत किया जाता है तथा फिर उस व्यक्ति को निर्विरोध रूप से अध्यक्ष चुन लिया जाता है। पिछली बार श्री चर्चिल ने कई शताब्दियों के बाद इस रूढ़ि के तोड़ा था किन्तु ऐसा विशेष कारणों से किया गया तथा आगे के लिये इसे दृष्टान्त के रूप में नहीं माना जायगा।

अध्यक्ष के चुने जाने के बाद उस का भविष्य क्या होगा? इस प्रश्न पर हम दो दृष्टिकोणों से विचार कर सकते हैं। एक यह है कि चाहे वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य रहे अथवा न रहे उसे अध्यक्ष-पद पर आसीन होके स्वतन्त्रता से तथा निष्पक्षता से काम करना चाहिये। यदि वह किसी राजनीतिक दल अथवा बहुमत-प्राप्त दल का सदस्य रहे तो कर्त्तव्य पालन के बारे में उस में क्या मानसिक प्रतिक्रिया पैदा की जा सकती है अथवा जनता में क्या मानसिक प्रतिक्रिया पैदा की जा सकती है? हम उसे इस मामले में संदेह युक्त कैसे कर सकते हैं? ब्रिटेन के पास इस का उपाय है। पहले उसका निर्वाचन निर्विरोध होता है। यदि वह अध्यक्ष रहना चाहता है, वह अपनी इच्छा प्रकट करता है तथा उसका विरोध नहीं किया जाता है। यदि हम अपने देश में भी अध्यक्ष को एक निर्दलीय व्यक्ति रखना चाहते हैं तो हमें भी इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण बात में ब्रिटेन का अनुसरण करना होगा, यदि हम अध्यक्ष को निर्विरोध रूप से नहीं चुनते हैं तो वह उद्देश्य ही समाप्त हो जायगा जिसे कि हम प्राप्त करना चाहते हैं। हमें उसे एक निर्दलीय व्यक्ति बनने के लिये प्रोत्साहित करना होगा।

अब प्रश्न यह है कि क्या हम इस मामले के बारे में गम्भीर हैं तथा क्या हम यह चाहते हैं कि यहां भी अध्यक्ष का निर्वाचन उसी तरह हो जैसे कि ब्रिटेन में हुआ करता है? कानून द्वारा यह उद्देश्य पूर्ति नहीं हो सकती है, हम इसके लिये किसी को मजबूर नहीं कर सकते हैं। यह एक अनौपचारिक समझौता होगा जिसे कि सारे राजनीतिक दल स्वीकार करेंगे। यह एक राष्ट्र नीति

[डा० एस० पी० मुखर्जी]

होगी जो कि विभिन्न दलों का पथप्रदर्शन करेगी। इस से काम नहीं चलेगा कि हम इस विधेयक का एक संशोधन पेश करके यह कहें कि अध्यक्ष के निर्वाचित होने पर उसे किसी दल विशेष से कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये।

ब्रिटेन में अध्यक्ष को न केवल ५००० पौंड का वेतन दिया जाता है अपितु उसके रिटायर होने पर उसे ४००० पौंड का पेंशन भी दिया जाता है। अर्थात् राज्य इस बात की ओर ध्यान देता है कि रिटायर होने पर उसे किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े तथा वह परेशानियों से दूर रहे।

मेरे माननीय मित्र प्रो० शर्मा ने कहा कि हमें इस मामले में ब्रिटेन का ही अनुसरण क्यों करना चाहिये अन्य देशों का क्यों न करना चाहिये। जहां तक अमेरिका का सम्बन्ध है, स्थिति वहां बिलकुल भिन्न है। उनका संविधान भी हमारे से भिन्न ह। वहां की प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष स्वयं सदन का नेता होता है। फ्रांस में निस्सन्देह यह राय जोर पकड़ती जा रही है कि अध्यक्ष निर्दलीय व्यक्ति होना चाहिये। राष्ट्रमंडलीय देश हाउस आफ कामन्ज़ से ग्रहण की गई रूढ़ियों को यथावत् रखने का संघर्ष कर रहे हैं।

हमारे अध्यक्ष के वेतन के बारे में मेरी अपनी राय़ है कि यह किसी भी दशा में मंत्रियों के वेतन से कम न होना चाहिये। उन्होंने पहले ही स्वेच्छा से इस में कमी की है जिसके लिए वह बाध्य नहीं थे। हमें उनके इस पग की प्रशंसा करनी चाहिये। यदि आप वेतनों में कोई कटौती करना चाहते हैं तो यह सब पर लागू होनी चाहिये। केवल अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को ही इसका शिकार न बनाया जाना चाहिये। भत्तों के सम्बन्ध में हम अपने प्रति उदार रहे हैं। प्रमुख लोक सेवकों के वेतनों के बारे में भी हमें एक प्रकार की समन्वित नीति अपनानी चाहिये।

जहां तक उपाध्यक्ष का सम्बन्ध है, ब्रिटेन में भी वह बहुमत दल द्वारा चुना जाता है तथा यदि वह दल सत्ताधारी न रहा तो उसके दुबारा चुने जाने की भी कोई आशा नहीं रहती किन्तु इसके बावजूद उसे कुछ रूढ़ियों का पालन करना पड़ता है। वहां वह हाउस आफ कामन्ज़ के वाद विवाद में भाग नहीं लेता है और न मत विभाजन में भाग लेता है। हमारे यहां उपाध्यक्ष मौका मिलने पर वाद विवाद में भाग लेता है। सभापति-तालिक में वहां कम से कम दस व्यक्ति होते हैं जो कि विभिन्न समितियों का सभापतित्व करते है, किन्तु वह हाउस आफ़ कामन्ज़ का अध्यक्ष-पद कभी ग्रहण नहीं करते हैं। किन्तु यहां का तरीका उस से भिन्न है। यह विस्तार की बातें हैं, इन पर हम बाद में चर्चा कर सकते हैं।

नई व्यवस्था में उपाध्यक्ष के लिये २००० रुपये का वेतन निश्चित किया गया है। यह लगभग उसके पुराने पारिश्रमिक के बराबर ही आता है। अब उसे एक बिना किरायें का मकान उपलब्ध किया जायगा। तथा उसे केवल यही एक फायदा पहुंचा है, अब वह एक सर्वकालीन अधिकारी होगा जिसे कि अदालतों में वकालत करने का भी मौका नहीं मिलेगा। इस बात को दृष्टि में रखते हुये मैं समझता हूं कि आप उसके प्रति अनुदार रहे हैं।

यह ऐसे मामले हैं जिन पर कि हमें निरपेक्ष भाव से विचार करना होगा तथा ऐसे निष्कर्षों पर पहुंचना होगा जो कि कुछ विशिष्ट हितकर सिद्धान्तों, परम्पराओं तथा रूढ़ियों पर आधारित हों।

पंडित डो० एन० तिवारी (सारन-दक्षिण) : सभापति महोदय, कल से इस विधेयक पर बहस

चल रही है। मेरी बोलने की कतई इच्छा नहीं थी, लेकिन बहस में कुछ ऐसी बातें घुसेड़ दी गई, बाहर से लाई गई, जिसके कारण बोलना मैंने ज़रूरी समझा। उचित तो यह था कि यह बिल कल ही पास हो जाता। लेकिन हम लोगों ने जब ड्रैग आन किया तो मैं कुछ और बातों का जवाब दे देना ज़रूरी समझता हूं जो हमारे उधर के भाइयों की तरफ़ से कही गई हैं। इस बिल में दो पहलुओं पर विचार किया गया है। एक तो वेतन के औचित्य का अर्थात् कितना रुपया महीना मिलना चाहिये इसके औचित्य का, और दूसरे स्पीकर कैसा होना चाहिये। पार्टीमैन होना चाहिये या नान पार्टीमैन होना चाहिये। या कोई फरिश्ता होना चाहिये। जहां तक मासिक वेतन का सम्बन्ध है, मैं आनरेबल डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी से ऐग्री करता हूं। हम लोगों के देश में जो प्रचलित पे की प्रथा है, महीने की प्रथा है उसी कंटेक्स्ट में हम को भी वेतन निर्धारित करना होगा। यह नहीं कि किसी पद के लिये या किसी पद के आकुपैन्ट को एक खास मासिक वेतन दिया जाय और दूसरे लोगों को छोड़ दिया जाय। यदि आप को पे ठीक करनी है तो जो सारे देश के सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं, या सरकार के महकमों में करने वाले लोग हैं उन सब के मासिक वेतन को ठीक कर दिया जाय और उस कंटेक्स्ट में आप जितना देना चाहते हों उतना दें। उसे दस रुपये कम दें या दस रुपये ज्यादा दें। लेकिन हिन्दुस्तान के और लोगों की पे को आप उतनी ही रहने दें और स्पीकर की कम कर दें, यह उचित न होगा। साथ ही मैं नहीं समझता कि जो पे आज उन को मिल रही है वह ज्यादा मिल रही है। यदि सन् १९३८ के अनुपात से देखा जाय तो उस वक्त जो ५०० या ६०० रुपये की कीमत थी वही आज २००० या २२०० रुपये की कीमत है। दरअस्ल जो पे हम दे रहे हैं अगर उसका मुकाबला पहले की पे से किया जाय तो स्पीकर को हम ५०० या ६०० रुपये मासिक ही दे रहे हैं, अधिक नहीं। आज रुपये की वैल्यू कम हो गई है। हम को इस कंटेक्स्ट में भी देखना होगा। साथ ही हमें इस बात को भी देखना होगा कि जो लोग बराबर यह चिल्लाते हैं कि स्पीकर का मासिक वेतन कम कर दिया जाय या दूसरों का वेतन कम कर दिया जाय वह स्वयं क्या करते हैं। अगर वह खुद रास्ता बता कर उस पर चलते, अपने ऐलाउंस को कम कर देते, ४० रुपये के बजाय ३० रुपये लेते तब तो हम समझते हैं कि हां, एक आदमी तो है जो उदाहरण स्वरूप है। लेकिन हम लोग बोलते बहुत हैं करते कुछ नहीं हैं। ऐसे क्रिटिसिज्म का बहुत महत्व नहीं होता।

रहा यह कि स्पीकर कैसा होना चाहिये इसके पहले जब पुरानी असेम्बलियां थीं उन में, और प्राविन्शयल ऐसेंबलियां थीं उन में, कांग्रेस के बहुत से चेअरमैन थे, कौंसिलों के प्रेजीडेण्ट थे, लेकिन कभी भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं आया कि उन्होंने पार्शिऐलिटी के साथ काम किया हो। यह तो हम को जो आदमी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर हो उस पर छोड़ देना चाहिये कि वह पार्टीमैन रहना चाहता है या नानपार्टीमैन रहना चाहता है, उस को अपने ऊपर इतना कान्फिडेन्स है या नहीं कि वह पार्टीमैन रहते हुए भी इम्पार्शियल रह सकता है। आज जो हमारे स्पीकर हैं या डिप्टी स्पीकर हैं या जो होने वाले हैं, वह सारी उम्र कांग्रेसमैन रहे और आज अपने को उससे अलग नहीं रख सकते। साथ ही उन में अगर अपने ऊपर इतना कान्फिडेन्स है कि वह कांग्रेस का काम करते हुए भी इम्पार्शियल रह सकते हैं तो मैं नहीं समझता कि जिन लोगों को अपने में इतना आत्मविश्वास नहीं है वह क्यों इस पर आपत्ति करने लगे।

[पंडित डी० एन० तिवारी]

कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं पेश कर सकता कि जो हमारे स्पीकर हैं वह कांग्रेसमैन रहते हुए भी इम्पार्शियल नहीं हैं या उन्होंने कभी किसी के साथ पार्शिऐलिटी की हो।

साथ ही इस सिलसिले में मैं एक बात और कहना चाहता था कि जो कांग्रेस के लोग नहीं हैं या जो कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध हैं उन के राइट्स को सेफगार्ड करने वाला कांग्रेसमैन से बढ़ कर कोई दूसरा नहीं मिल सकता है। एक कांग्रेसमैन जो सब चीजों को हर दृष्टि से इम्पार्शियल वे में देखता है अगर वह स्पीकर होता है तो वह दूसरे के बनिस्बत विरोधी लोगों के राइट्स को ज्यादा सुरक्षित रख सकेगा। इस सिलसिले में कल एक अनारेबल मेम्बर श्री पुन्नूस ने हमारे स्पीकर के चुनाव के बाद के भाषण को कोट किया था और कहा था कि स्पीकर ने यह कहा कि मैं कांग्रेसमैन रहूंगा और इस बात पर उन्होंने नुक्ता चीनी की थी। मैं नहीं समझता कि उनके सब कुछ कहने के बाद, इतना कोन्फडेन्स दिखलाने के बाद कि वह एक कांग्रेसमैन रह कर भी इम्पार्शियल रहेंगे श्री पुन्नूस को उन के भाषण को कोट करने का क्या मतलब था। ठीक है, हमारे स्पीकर साहब ने अपने आचरन से दिखला दिया कि एक कांग्रेसमैन कितना इम्पार्शियल हो सकता है।

इस आचरण के बाद शायद कोई नुक्ता-चीनी नहीं की जा सकती है। यदि प्रान्तीय असेम्बलियों में देखा जाय तो यू० पी० में हमारे टंडन जी जब वह वहां पर स्पीकर थे तो कांग्रेस के मेम्बर भी रहे लेकिन कभी भी किसी ने भी यू० पी० असेम्बली में यह बात नहीं कही कि उन्होंने पारशियेलिटी की। इसलिए मैं फिर हाउस से यह अपील करूंगा कि वह इस बात को जो व्यक्ति स्पीकर या डिप्टी स्पीकर होता है उसी पर निर्भर रहने दे कि वह पार्टीमैन रहेगा या नहीं रहेगा। हमारे स्पीकर साहब कांग्रेसमैन हैं, लेकिन वह पार्टी के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं लेते और जहां तक डिप्टी स्पीकर का ताल्लुक है उन को भी हम लोगों ने देखा है कि जब वह कुर्सी पर होते हैं तो इस तरफ से शिकायत होती है कि वह उधर के लोगों को ज्यादा समय देते हैं और उनकी ज्यादा बात सुनते हैं। जब हम लोगों ने यह दोनों उदाहरण देख लिए तो कोई उज्र करने की बात नहीं रहती क्योंकि हमने देख लिया कि वह इम्पार्शियल हो कर काम करते हैं। तो मैं फिर कहूंगा कि हम को यह स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर छोड़ देना चाहिए कि अपने को क्या करते हैं और कहां तक इम्पार्शियल रहते हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : जनाब चेयरमैन साहब जब यह बिल हाउस में पेश हुआ था और मेरे दोस्त पुन्नूस साहब इस पर तकरीर फरमा रहे थे तो मैंने एक ऐतराज़ किया था कि यह बड़ा सवाल जिसका हम हाउस में ज़िक्र देखते हैं वह इस वक्त पैदा नहीं होता, और इस बिल पर सैलेरीज़ और इमाल्यूमेंट्स के मुताल्लिक ही बहस होनी चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यः अंग्रेज़ी में बोलिये।

सभापति महोदय : सदन के कुछ लोग चाहते हैं कि आप अंग्रेज़ी में बोलें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं अंग्रेज़ी में बोलता अगर मेरे दोस्त मुझे यह बात अंग्रेज़ी में कहते। लेकिन उन्होंने मुझ से हिन्दी में यह बात कही इसलिए मैं उन से सबक लेता हूं और हिन्दी में ही बोलना चाहता हूं।

श्री पन्नूस (अाललपी): यदि आप अंग्रेज़ी में बोलें तो हम बहुत अनुग्रहीत होंगे।

पंडित ठाकुर दास भार्गवः तो मैं आप से यह अर्ज़ कर रहा था कि यह जो सवाल इस

बिल में आया है यह दरअस्ल इस बिल में पैदा नहीं होता। लेकिन चूंकि जब डिप्टी स्पीकर साहब चेयर में रहे तो उन्होंने इस सवाल को बन्द करना मुनासिब नहीं समझा और इस पर कोई रूलिंग नहीं दी और हमारे चेयरमैन साहब ने भी जिनको इस बारे में कोई इनहिबिशन नहीं था सिर्फ एक सजेशन ही दिया, कोई रूलिंग नहीं दी, इसलिए जब यह सवाल खुल गया है तो मैं भी आपकी इजाज़त से इसके बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं।

इस हाउस में जब हम सदर दरवाज़े से आते हैं तो हम अपने सिरों पर एक फोटो देखते हैं और आज मुझे खुशी है कि मैं इस फोटो के मालिक को अपना ट्रीब्यूट अदा करूं। आज से अच्छा मौका मुझे इसके लिये कभी नहीं मिलेगा कि जिनके ज़माने में मैंने एक मेम्बर की हैसियत से काम किया और जिन्होंने एक बहुत बड़ा प्रिसीडेंट कायम किया उनको अपना ट्रिब्यूट पेश करूं। अगर मैं उनके बारे में इस हाउस में कुछ अर्ज़ करूंगा यह नामुनासिब नहीं होगा। हमारे यह पुराने स्पीकर साहब जब स्पीकरी से हट गये और जेल में गये और उनके साथ सख्तियां की गयीं तो उन्होंने कहा कि 'हीयर आई हैव गौट माई पीयरेज' अभी हमारे डाक्टर साहब ने फरमाया था कि जब स्पीकर रिटायर हों तो उनको पियरेज विलायत में मिलती है। इस देश के अन्दर हमारे एक स्पीकर साहब को जेल पियरेज के एवज़ मिली थी। उन्होंने उस ज़माने में बतौर स्पीकर वह फरायज़ अदा किये और इस खूबी से अदा किये कि उन्होंने स्पीकरशिप को चार चांद लगा दिये। जब स्वराज्य पार्टी इन बैंचों से उठ कर चली गयी तो हमारे स्पीकर साहब को तकलीफ हुई और उन्होंने कहा कि यह सारी की सारी पार्टी गवर्नमेंट के रवैये से नाराज़ होकर जा रही है। इस पर गवर्नमेंट की तरफ से आबजैक्शन किया गया था कि वह अपनी पार्टी के लिये इस तरह की राय का इज़हार कर रहे हैं। अगले ही दिन उन्होंने हाउस में आकर यह बयान दिया कि दरअसल यह मेरी गलती थी और मैं बिल्कुल ही पार्टीमैन नहीं हूं जब तक कि मैं स्पीकर हूं, और मुझे इस तरह का इज़हार ख्याल नहीं करना चाहिए था। अगर मेरे दोस्त उन रिकार्डस् को देखेंगे तो मालूम होगा कि इस देश के अन्दर जो प्रथा रही है और हमारे स्पीकर साहिबान ने प्रेसीडेंट कायम किये हैं, उनमें हम ने फ्रांस के प्रिसीडेंट को नहीं माना है बल्कि हमने ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स के प्रिसिडेंट को माना है। हमारे विट्ठल भाई पटेल ने जब वह २४ अगस्त सन् १९२५ को स्पीकर बने तो यह ऐलान किया कि मैं पार्टीमैन नहीं रहा। इसी तरह से जब हमारे मौजूदा स्पीकर साहब का इलेक्शन हो चुका तो जो कुछ उन्होंने कहा उसको हमारे डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने हाउस को पढ़ कर सुनाया है। मैं यह कहने को तैयार हूं कि बहुत से कांग्रेसमैन और नान कांग्रेसमैन आज हिन्दुस्तान में मौजूद हैं जो पार्टीमैन होते हुए भी अपने फर्जों को ईमानदारी के साथ अदा कर सकते हैं। थोड़ी देर के वास्ते अगर देखा जाय तो, चेयरमैन को भी वही हक है जो कि स्पीकर को। गो वह बिल्कुल स्पीकर के बराबर नहीं है लेकिन जब तक वह कुर्सी पर है उस वक्त तक उसको कांस्टीट्यूशन के मुताबिक वही हक है जो कि स्पीकर को है। मैं अदब से पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी बहिन श्रीमती रेणु चक्रवर्ती या सरदार हुकुमसिंह जिनका नाम कि चेयरमैन के पैनल में रखा हुआ है, इस बात के लिए तैयार हैं कि वह पार्टी की मेम्बरशिप छोड़ दें। क्योंकि यह चीज़ उनको भी ऐप्लायी

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

होती है कि जबतक वह चेयर में रहें तब तक इम्पार्शियल रहें। लेकिन मैं इस बात को मानने को तैयार हूं कि हम में से कितने ही आदमी ऐसे हैं कि जो हाउस के अन्दर पार्टीबाजी से काम नहीं लेंगे और जो उस कुर्सी पर बैठ कर इम्पार्शियेलिटी से काम करेंगे। और उन्हीं प्रेसीडेंट्स को कायम रखेंगे जिनको कि उन्होंने कायम किया था, जिनकी यहां तस्वीर है या जिनको हमारे मौजूदा स्पीकर मावलंकर साहब ने कायम किया है और दूसरे स्पीकरों ने कायम किया है। मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हुए भी हाउस में अपने फ़रायज़ को इम्पार्शियली अदा किया जा सकता है। मैं यह भी मानता हूं कि जिस आदमी ने सारी ज़िन्दगी कांग्रेस का काम किया है और जिसके रेशे रेशे में कांग्रेस के उसूल घुसे हुए हैं, उसका यह कहना कि अब मैं कांग्रेस के उसूलों को नहीं मानता और अब मैं कांग्रेस मैन नहीं हूं, यह गलत होगा। मैंने इस चीज़ को टंडन जी के इतिहास से देखा है और दूसरे स्पीकरों के इतिहास से देखा है कि वह कांग्रेसमैन रहते हुए भी अपने फर्जों को इस तरह से अदा कर सके कि किसी ने उनकी नुक्ता चीनी नहीं की, यही नहीं बल्कि जो मुखालिफ पार्टी वाले थे उन्होंने उनको ट्रिब्यूट दिये कि उन्होंने कांग्रेसमैन रहते हुए भी अपने फरायज़ को हाउस में अच्छी तरह से अदा किया। लेकिन मैं एक और नुक्ते ख्याल से अर्ज करना चाहता हूं। मेरे दोस्त पुन्नूस साहब ने कल हाउस में अर्ज किया था कि हमारे डिप्टी स्पीकर साहब अब कांग्रेस पार्टी की एग्जीक्यूटिव के अन्दर चुने गये हैं। और उन्होंने यह ख्याल ज़ाहिर किया कि एग्ज़ीक्यूटिव के सामने सब किस्म के सवालात आयेंगे, एडजर्नमेंट मोशन के सवालात आयेंगे और दूसरी चीजें आयेंगी और वहां पर जो कुछ पार्टी हुक्म देगी उससे वह कैसे दूर हो सकेंगे। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि मैं इन दोनों साहिबान यानी स्पीकर व डिप्टी स्पीकर को जानता हूं और मैं जानता हूं कि वह दोनों के दोनों अपने फर्जों को बड़ी अच्छी तरह अदा कर सकेंगे गो वह पार्टी के मेम्बर रहें। मैंने देखा है कि पार्टी के मेम्बर रहने से उनके इस हाउस के काम पर असर नहीं पड़ता लेकिन ताहम मुझे यह कहने में ज़रा भी ताम्मुल नहीं कि हमें देश में अच्छे अच्छे कनवेंशन कायम करने चाहियें। कनवेंशन कोई कानून से नहीं कायम होंगे। कनवेंशन वह चीज़ है जो कि अनरिटिन होती है और मैं चाहता हूं कि इस हाउस के अन्दर यह कनवेंशन कायम हो कि जो स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर हो वह चाहे किसी भी पार्टी का हो, लेकिन हाउस के किसी भी मेम्बर के दिल में उनकी तरफ से यह शुबहा नहीं होना चाहिएं कि इंसाफ नहीं होगा। यह सही है कि जो हमारा स्पीकर हो उसको मायनारिटीज़ व दरअसल हर एक मेम्बर के राइट्स का कस्टोडियन होना चाहिए और उसको अपने को इस तरह चलाना चाहिए जैसे कि माइनारिटी के मेम्बरों को उस पर पूरा विश्वास हो जाय। चन्द रोज़ हुए मैंने हाउस में अर्ज़ किया था कि सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है कि इंसाफ किया जाय, बल्कि उससे ज्यादा ज़रूरी यह है कि यह महसूस किया जाय कि इंसाफ किया जा रहा है। इस वास्ते मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि गो मेरी राय है कि हमारे मौजूदा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पार्टी में रहते हुए भी ईमानदारी से अपने फर्जों को अदा कर सकते हैं ताहम मैं बिल्कुल सहमत हूं अपने उन दोस्तों से जिन्होंने यह राय ज़ाहिर की है कि उनके पार्टी में ऐक्टिव पारटिसिपेशन से लोगों को यह गुमान और ख्याल पैदा हो सकता है कि साहब हमारी तरफ वह पूरा इंसाफ नहीं कर सकेंगे।

इस वास्ते मेरी जाती राय यह है कि जहां तक पार्टी में ऐक्टिव पार्टिसिपेशन का ताल्लुक है उसको हमें चाहिये कि कनवैंशन्स के ज़रिए ऐसा न रहने दें कि जिससे लोगों को ज़रा भी ख़याल हो या शुबहा हो । लेकिन जैसा कि डाक्टर मुकर्जी साहब ने फ़रमाया यह चीज़ हमेशा ट्रू वे ट्रैफिक है । अगर आप चाहते हैं कि कन्वैंशन्स इस तरह की क़ायम हों तो सारे कंट्री में इस तरह की कनवैंशन्स क़ायम करनी होंगी और इस पर सब पार्टीज़ को एग्रीमेंट करना होगा । अभी थोड़ा अरसा हुआ कि मैंने एक नोट में लिखा था कि इस देश के अन्दर हम को पार्टी सिस्टम को सिर्फ बड़ी बड़ी असेम्बलीज, प्राविन्शियल असेम्बलीज और कारपोरेशन्स तक ही रहना चाहिये । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत वगैरह में हम को पार्टीबाज़ी के असूल से काम नहीं लेना चाहिए । और मैं खुश हूं कि हमारे पंजाब की कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि वह म्यूनिसिपल इलैक्शन्स में हिस्सा नहीं लेगी और हम को यही करना चाहिये । हम देखते हैं कि हायर ऐटमासफियर में तो हम पर्सनल बातों पर नहीं उतरे, लेकिन छोटी जगहों में, म्यूनिसिपैलिटी में, पंचायतों में, लोग पार्टीज को भूल जाते हैं और पर्सनैलिटीज़ को याद रखते हैं । नतीजा यह होता है कि अगर किसी का चबूतरा तोड़ना होता है या कोई और छोटा सा भी काम करना होता है तो मैजारिटी पार्टी जो चाहे कर सकती है । इसलिये मैंने यह रखा था कि सारी पार्टीज सारे कंट्री में यह कनवैंशन क़ायम करें कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डज़ में, म्यूनिसिपैलिटीज़ में और पंचायतों में पार्टी लाइन्स पर काम न हो । लेकिन यह सब पार्टीज को क़बूल करना होगा । फर्ज़ कीजिए कि कांग्रेस आज इस को क़बूल करती है लेकिन और पार्टीज इसको नहीं मानतीं तो नतीजा कुछ नहीं निकलेगा यहां पर मैं एक बात बतौर ताने के नहीं कहता, बल्कि मैं खुश हूं कि आज हमारे कम्युनिस्ट मैम्बर्स हाउस आफ़ कामन्स की ट्रैडीशन्स की याद दिलाने के लिये यहां इसरार कर रहे हैं और बड़े ज़ोर से याद दिलाते हैं । यहां पर मैं बतौर क्रिटिसिज्म के नहीं कहना चाहता, लेकिन अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि जब यहां पर खड़े हो कर वे क़सम खाते हैं कि हम इस कांस्टीट्यूशन पर क़ायम हैं, हम भी खड़े होकर कांस्टीट्यूशन की वफादारी की कसम खातें हैं और वह भी कांस्टीट्यूशन की क़सम खाते हैं, तो आज हीरेन मुकर्जी साहब का यह फ़रमाना कि 'वी विल ऐक्ट अप टु दी कांस्टीट्यूशन फार व्हाटऐवर इट इज वर्थ', जिस को उन्होंने अपहोल्ड करने की क़सम खाई क्या वह उसको सैबोटेज करेंगे ?

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : आपने सन् १९३७ में क्या किया था ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं आपत्ति समझा नहीं । सन् १९३७ में क्या हुआ था ?

श्री एस० एस० मोरे : तब आप ने क्या उस अधिनियम की शपथ नहीं ली थी ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरे लायक़ दोस्त क्या इस उसूल के हैं अगर यहां पर यह असूल लागू होता हो कि मेरा लैप्स बतलाते हैं कि अगर एक लैप्स मेरा हो गया तो दूसरा भी लैप्स होना चाहिये । मेरे लायक़ दोस्त को याद रखना चाहिये कि टू रांग्ज डू नाट मेक वन राइट' ।

इसलिए मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस हाउस में आप कनवैंशन चाहते हैं कि जो शख्स स्पीकर या डिप्टी स्पीकर बने वह सब से ऊपर हो, किसी पार्टी से उसका ताल्लुक़ न हों तो इसके लिये जो और ज़रूरी बातें हैं वह भी होनी चाहियें । मैं इस बात के

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

हक़ में हूं कि यह कनवैंशन जो हाउस आफ कामन्स में है यहां भी होनी चाहिये, क्योंकि यह एक हैल्दी कनवैंशन है। लेकिन जैसा कि डाक्टर मुकर्जी साहब ने फ़रमाया बावजूद इसके हमारे यहां पर स्पीकर का इलैक्शन करवाया गया। सिर्फ़ यह यहां पर ही नहीं, सारे हिन्दुस्तान में स्पीकर के इलैक्शन में मुक़ाबला करवाया गया। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी हमारे यहां शुरूआत ही हैं और जो हाउस आफ़ कामन्स में कनवैंशन है उस को हम यहां भी अडाप्ट कर लें। मैं नहीं चाहता कि उस पर हम बिल्कुल चस्पा ही हो जाते लेकिन मैं चाहता हूं कि देश में एक हैल्दी कनवैंशन बने। लेकिन यह तमाम पोलिटिकल पार्टीज के ऐक्ट्स से बनेगी, महज़ उनके कहने से नहीं। इसलिये मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जहां तक स्पीकर का सवाल है मैं चाहूंगा कि हमारी दूसरी पार्टीज़ जो हाउस में हैं वे इस प्रकार का कनवैंशन कांग्रेस के सामने लावें और कांग्रेस इस चीज़ पर ज़रूर ग़ौर करेगी।

मैं ज़रूर चाहता हूं कि जो शख्स इस कुर्सी पर बैठे वह इंसाफ़ ही न करे बल्कि हर शख्स को यह अहसास होना चाहिए कि उसके साथ इन्साफ होगा। तो जहां तक इस बिल का ताल्लुक है मैं इस से मुत्तफिक हूं। मैं यह नापसन्द करता हूं कि यह रखा जाय कि तनख्वाह उस को जब मिलेगी जब कि वह अपनी पोलिटिकल पार्टी को रिनाउंस कर देगा। हम ने कांस्टीट्यूशन में रखा है कि किसी भी मेम्बर को स्पीकर मुक़र्रर किया जा सकता है। वहां पर कोई डिसक्वालीफिकेशन नहीं है और मैं इस के सख्त मुखालिफ़ हूं कि जो कोई स्पीकर हो उसको आप चाहेंगे कि वह अपना कनैक्शन रिनाऊंस कर दे। पिस्तौल की नोक पर कनवैंशन नहीं हो सकते। कनवैंशन एक हैल्दी ग्रोअथ है जो आहिस्ता आहिस्ता पार्टी ग्रोअथ से पैदा होती हैं। जो शख्स इस कनवैंशन को चाहता है वह अपने रवैये से साबित करे कि वह खुद इस कनवैंशन पर क़ायम है और क़ायम रहना चाहता है। इसलिये इस कनवैंशन को क़ायम करना है तो सब पार्टीज मिल कर इस को क़ायम करें।

इसके अलावा जो दूसरा सवाल इस हाउस के सामने है वह सैलेरीज का है। मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि किसी भी हाउस में किसी भी लैजिस्लेचर में जो ज़रूरी काम वहां के स्पीकर साहब करते हैं वह एक तरह से देश में सबसे बड़ा काम होता है और वह खुद देश में इंसानियत का नमूना होते हैं, जैसा कि हीरेन मुकर्जी ने पढ़ कर सुनाया। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि वह हमारे में से बैस्ट आदमी होता है, इस वास्ते उस आदमी को जो कुछ भी दिया जाय, थोड़ा है। मैं अर्ज़ करूंगा कि जो खिदमत स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अंजाम देते हैं उस के लिये जो यह तनख्वाह यहां आप दे रहे हैं वह काफ़ी मुआवज़ा नहीं है। लेकिन यही बात मिनिस्टर के लिये भी है। हर एक मिनिस्टर के लिये यह बात कही जा सकती है कि अपने डिपार्टमेंट में वह कितना ज़रूरी काम करता है और इस क़दर ज्यादा काम करता है जिसका हम अन्दाज़ा नहीं लगा सकते। एक एक मिनिस्टर हमारी ज़िन्दगी को बना बिगाड़ सकता है। करोड़ों रुपये पर उसकी कलम चलती है और तनख्वाह आप उन को क्या देते हैं? यह जो तनख्वाह हम दे रहे हैं यह तो एक तरह का सोलेशियम है जो हम उन को दे रहे हैं। अगर यह तनख्वाह

ज्यादती की तरफ़ होती तो उस के लिये हमारे पास पैसा नहीं है। यह तो एक क़िस्म का सोलेशियम है जो हम उन को दे रहे हैं। अगर आप इन्साफ से देखेंगे तो यह नहीं कहेंगे कि यह किसी भी मिनिस्टर के वेतन से ईक्वेटेड न होनी चाहिए। यह तो उसूल के लिये बयान किया गया है। इन के फरायज़ में रात दिन का फ़र्क है। इसलिये कम से कम रक़म हम मुक़र्रर कर रहे हैं। यही रक़म हम स्पीकर साहब और डिप्टी स्पीकर साहब के लिये भी मुक़र्रर करते हैं। मैं जानता हूं कि प्राइवेट लाइफ़ में वह होते और जैसा काम वह अब तक करते रहे हैं और कर रहे हैं करते तो बतौर वकील के वह इस से कहीं ज्यादा कमा सकते थे। यही बात हमारे मिनिस्टर साहबान के लिये भी है। प्राइवेट लाइफ में वह इस से बहुत ज्यादा कमा सकते थे। लेकिन ताहम हम को यह देखना है कि उन को कम से कम इतनी तनख्वाह दी जाय कि जिससे आर्डिनरी कम्फर्ट में कोई आदमी रह सके।

श्री सांरगधर दास (ढेनकनाल-पश्चिम कटक) : क्या आपको मालूम है कि मिनिस्टर साहबान में कुछ ऐसे भी हैं कि जो कुछ भी नहीं कमा सकते ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : चूंकि यह सवाल मिनिस्टर्स की सैलेरी का नहीं है और मेरे लायक़ दोस्त को अख्तियार है कि अपनी राय कुछ ही रखें, मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारे कई मिनिस्टर्स तो ऐसे रहे हैं कि जो एक पैसा भी आप से तनख्वाह नहीं लेते। जो तनख्वाह आती है वह सारी इनकमटैक्स में चली जाती है।

श्री एस० एस० मोरे : बहुत अच्छा तर्क है।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : ज़रा इनक्वायरी तो करें, आप को मालूम हो जायगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : खैर, इस को छोड़िये। यहां पर मुझे मिनिस्टर साहबान के इमाल्युमेंट्स के जस्टीफाई करने का कोई सवाल नहीं है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि मेरे लायक़ दोस्त कम से कम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर साहबान के बारे में ऐसा नहीं कह रहे हैं, इस वास्ते मैं दूसरी तरफ़ नहीं जाना चाहता और उस पर बहस नहीं करना चाहता।

आखिर में, मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि इस के जिम्न में जो और बातें बिल में दर्ज हैं वे इतनी छोटी हैं कि हर एक गवर्नमेंट सरवट को वह एमेनिटी हासिल हैं, मैडिकल अटेंडेंस टूर अलाउन्स वग़ैरह के बारे में। मैं समझता हूं कि उनके बारे में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो यह सोचे कि वह कोई हम ग़ैर वाजिब चीज़ कर रहे हैं। इस वास्ते, जनाब वाला, इस बिल के जितने क्लाज़ेज़ हैं उन में से एक एक की मैं ताईद करता हूं और इस में कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पर कोई आबजैक्शन लिया जा सकता हो। इसलिये मैं इस को पूरी तरह सपोर्ट करता हूं।

श्री एस० एस० मोरे : मैं अधिक से अधिक संक्षिप्त रूप में अपना विचार प्रगट करूंगा। मैं यह अवश्य कहूंगा यह विधेयक आंशिक रूप में अच्छा तथा आंशिक रूप में बुरा है। अध्यक्ष महोदय का वेतन ३,००० रुपये से घटा कर २,२५० रु० कर दिया गया है, परन्तु उपाध्यक्ष महोदय के वेतन के बारे में मेरा विश्वास है कि उनके वेतन में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी अवश्य कहूंगा कि सरकार को उपाध्यक्ष महोदय के उस वेतन के पूर्ण आंकड़े जो उन्हें गत वर्ष मिलता रहा है सदन के सम्मुख रखने चाहियें थे और यह भी बताना चाहिए था कि यदि यह उपाय स्वीकार हो जाये तो उन्हें वास्तविक क्या हानि या लाभ होगा।

[श्री एस० एस० मोरे]

जैसे कि लोक सभा ने कुछ पुरानी रीतियों को अपनाया है इसी प्रकार वह नापसाधन क्या है जिससे हम कांग्रेस की वर्तमान कार्यवाहियों की जांच कर सकें। मेरा अभिप्राय यह है कि कांग्रेस ने अपने कुछ सिद्धान्त बनाये हैं और उनमें से एक यह है, जैसा कि १९३१ में कराची सम्मेलन का सभापतित्व करते हुए सरदार पटेल ने कहा था, कि भारत में उच्चतम विशेषता के व्यक्ति बिना किसी वेतन आदि के देश सेवा के लिए अपनी सेवायें देने को तैयार हैं। इसका निर्णय करने में वर्तमान वेतन पर्याप्त हैं या नहीं, मैं इसी को आधार बनाना चाहता हूं।

अब तर्क दिये गये हैं कि अध्यक्ष महोदय तथा उपाध्यक्ष महोदय को कुछ यथोचित विशेष सुविधायें मिलनी चाहियें। मैं इससे सहमत हूं पर इनकी संख्या क्या है और ये क्या क्या हैं। मानटेग चेम्सफोर्ड योजना के अन्तर्गत भूतपूर्व विधान सभा के उप-सभापति के लिए आयव्ययक में कुल ४,००० रुपये प्रति वर्ष की व्यवस्था होती थी। उप-सभापति वर्तमान सदन के उपाध्यक्ष महोदय का ही प्रतिरूप होता था पर इस विधेयक के अनुसार उपाध्यक्ष को, यदि मेरा आगणन ठीक है, प्रति वर्ष लगभग २४,००० रुपये मिलेंगे। मेरा अभिप्राय यह है कि कांग्रेसजनों को स्वयं देखना चाहिए कि क्या उनकी वर्तमान क्रियायें उनकी भूतपूर्व घोषणाओं के अनुकूल हैं?

इस विधेयक के खण्ड ४ में कहा गया हैं संसद् के प्रत्येक पदाधिकारी को कार्य की अवधि तक बिना किसी किराये का सुसज्जित बंगला मिलना चाहिए। इनकी रक्षण-लागत क्या है? दिये गये बंगलों का किराया क्या है? मैंने कुछ गणना की है। पदाधिकारियों को मिले हुए ३२ बंगलों का मासिक किराया ११,९५४ रुपये होता हैं। बंगला-रक्षण, फरनीचर-रक्षण, बिजली आदि का कुल खर्चा २१८,९५६ रुपये प्रतिवर्ष होता है। यह सम्बन्धित मन्त्रियों के नाम लिखा जाना चाहिए। ये आंकड़े नवम्बर १९५२ के हैं और तत्पश्चात् बहुत से मन्त्री तथा उप-मन्त्री और बन गये हैं। इस प्रकार यदि हम देखें तो विदित होगा कि हमारे मन्त्री आदि उससे कहीं अधिक वेतन ले रहे हैं जितना कि वे दिखाते हैं यहां तक कि पहिले अंग्रेज़ पदाधिकारी से भी अधिक ले रहे हैं।

कल श्री गाडगिल ने कहा था कि हमारा बहुमत है और स्वाभावतः ये सारे पद इसी कारण कांग्रेसजनों को मिलेंगे। मैं उन्हें ड्राईडेन के कथन का स्मरण कराता हूं कि "और कोई नहीं, केवल बहादुर ही औचित्य का अधिकारी है" और इसके अनुसार श्री गाडगिल का नारा यह है "और कोई नहीं, केवल कांग्रेस-जन ही पद पाने का अधिकारी है।" मैं माननीय मित्रों को यह स्मरण करा दूं कि लोक सभा में कई बार सत्तारूढ़ दल ने विरोधी दल को ये संकेत किया है कि उपाध्यक्ष का पद या कोई और पद विरोधी दल को दिया जाये। परन्तु कांग्रेस अब लालची हो गई है। और वे प्रत्येक बात अपने लिए चाहते हैं।

श्री गाडगिल ने बड़े ज़ोर के साथ यह कहा है कि विरोधी दल ने श्री मावलंकर के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करने में प्रचलित कार्यक्रम का पालन नहीं किया। परन्तु अध्यक्ष-पद के लिए श्री मावलंकर को कांग्रेसजन के रूप में क्यों खड़ा किया गया था? इतना ही नहीं अपितु प्रधान मन्त्री जी ने श्री मावलंकर का नाम अपने दल के मनोनीत व्यक्ति के रूप में दिया था और श्री सत्य नारायण ने इसका समर्थन किया था। लोक सभा ने एक रीति बनाई है कि अध्यक्ष का

नाम कम महत्व वालों द्वारा रखा जाना चाहिए। इस प्रकार क्या उनका महत्व कम है ? मैं समझता हूं कि कांग्रेस-जन संसदीय रीतियों का उल्लेख तब ही करते हैं जब वे उनके पक्ष में होती हैं और जब वे विरोधी दल के पक्ष में होती हैं तो वे संसदीय प्रथाओं से हट जाते हैं। यह व्यवहार नहीं चलेगा। हम भी संसदीय जनतन्त्र बनाने में रुचि रखते हैं परन्तु इसके लिये सत्तारूढ़ दल का सच्चा तथा हार्दिक सहयोग की आवश्यकता है। जब तक यह सहयोग प्राप्त नहीं होता तब तक विरोधी दल से संसदीय रीतियों आदि की ओर देखने को कहना अपर्याप्त है।

सभापति महोदय : अब केवल दो मिनट हैं। क्या कोई सदस्य अपना भाषण दो मिनट में समाप्त कर सकते हैं ?

श्री सारंगधर दास : श्रीमान्, मैं कार्यक्रम मन्त्रणा समिति का सदस्य हूं जहां हमने यह निश्चय किया था कि किस विधेयक को कितना समय दिया जाये। परन्तु मैं देखता हूं कि दल के नेता अधिक समय ले लेते हैं और इस प्रकार सभापति पक्षपात करते हैं और पीछे बैठने वालों को बोलने के लिये समय ही नहीं मिलता, और मैं स्वयं उन्हीं में से एक हूं। मैं चाहता हूं कि हमें अवसर देने के लिए यह वार्ता जारी रहे।

सभापति महोदय : पहिले तो मैं श्री सारंगधर दास को पीछे बैठने वाला नहीं समझता। दूसरे, जब हम प्रश्न पर वार्ता कर रहे हैं, मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य यह कहने में कैसे न्याययुक्त हैं कि सभापति ने दल का पक्ष लिया है। जहां तक मैं समझता हूं सभापति का कार्य केवल यह देखना ही नहीं है कि न्याय होता है या नहीं अपितु यह देखना भी है कि वार्ता नियमित रूप में होती है या नहीं। मैं इसका इच्छुक नहीं हूं कि यह वार्ता अब समाप्त हो या फिर। इस पर वार्ता समाप्त करने के लिए समय के बारे में सदन का मत जाना गया था और पीछे बैठने वालों ने कोई आपत्ति नहीं की थी। अतः मेरा सुझाव है कि यह ११–३० निश्चित समय पर ही समाप्त हो जानी चाहिए। परन्तु जब इतनी मांग है तो मैं वार्ता को आधे घंटे के लिए बढ़ाता हूं।

वार्ता को छोटा करने की दृष्टि से प्रत्येक वक्ता को पांच मिनट मिलेंगे और इस प्रकार छः और वक्ताओं को बोलने का अवसर मिल जायेगा। इससे अधिक कुछ और करने में मैं विवश हूं।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : श्रीमान्, औचित्य के प्रश्न पर, मैं यह जान सकता हूं कि क्या किसी माननीय सदस्य को सभापति के लिए पक्षपाती कहने का अधिकार है ?

सभापति महोदय : मैं स्वयं महसूस करता हूं कि यह एक औचित्य प्रश्न था परन्तु निश्चय ही मैंने यह कार्यान्वित नहीं किया क्योंकि इसके लिए उत्तरदायी, माननीय सदस्य, मेरे पुराने साथी हैं।

अब मैं उन्हें बोलने के लिये कहता हूं।

श्री सारंगधर दास : मैंने सभापति की निष्पक्षता में कोई सन्देह प्रकट नहीं किया।

हमारा मत था कि अमुक विधेयक को इतना समय दिया जाये। परन्तु होता यह है कि सदन के कुछ सदस्यों को पहिले बुलाया जाता है और वे सारा समय ले लेते हैं। और अन्य सदस्यों के लिये समय नहीं रहता। प्रश्न यह नहीं है कि मैं नेता हूं या नहीं अपितु प्रश्न यह है कि बहुत से पीछे बैठने वालों ने मुझे बताया है कि मैं कार्यक्रम मन्त्रणा समिति में सम्मिलित था जिसमें मैं ऐसी कुछ बातों पर सहमत हो गया जिनके परिणामस्वरूप उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिला।

संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : किसी भी दशा में यह १२ बजे से बाद तक नहीं चलना चाहिए ।

श्री सांरगधर दास : मैं उपाध्यक्ष के वेतन के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा । उपाध्यक्ष को जो काम करना पड़ता है उस पर विचार करने की आवश्यकता है । प्रथा यह है कि प्रत्येक समिति, जिसका कि उपाध्यक्ष सदस्य होता है, वह उस का सभापति भी होता है। मुझे मालूम है कि वर्त्तमान उपाध्यक्ष सुबह से शाम तक व्यस्त रहते हैं। परिणाम-स्वरूप उनके लिए जो वेतन दिया जा रहा है वह मैं समझता हूं बहुत अधिक नहीं है, वह मंत्री के वेतन के बराबर होगा।

श्री एस० एस० मोरे: उससे अधिक।

श्री सांरगधर दास : किन्तु मैं मुफ्त मकान और रख-रखाव के भत्ते से सहमत नहीं हूं जो मेरे माननीय मित्र श्री मोरे ने १८०० रुपये प्रतिमास आगणित किया है। यदि उपाध्यक्ष जी यहां मौजूद होते, तो मैं उनसे उस भत्ते को अस्वीकार करने की प्रार्थना करता। जब आप किसी मंत्री को अथवा अध्यक्ष को मुफ्त मकान, रख-रखाव के भत्ते सहित दे सकते हैं तो वह आप उससे छोटे लोगों—सहायक सचिव या कार्यालय के सुपरिनटेंडेंट और अन्य सब लोगों को यह क्यों नहीं दे सकते ? इसी प्रकार तो आप छोटों और बड़ों के बीच में भेद उत्पन्न करते हैं। जब कि वेतन पर्याप्त है, तो उसे अपने बंगले, फरनीचर इत्यादि का भी खर्चा देना चाहिए जैसा कि संसद् के सदस्य कर रहे हैं। अतएव इस सम्बन्ध में मेरा उन से मतभेद है।

फिर, जैसा डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रथा बतलाते हुए कहा, अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को दल का नहीं होना चाहिए। वे दल के सदस्यों के रूप में आयें, अपने निर्वाचन क्षेत्र से दल के प्रतिनिधि के रूप में खड़े हो सकते हैं, किन्तु अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर चुने जाने के पश्चात् उनका दल से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये।

मैं नाम तो नहीं बतलाना चाहता, किन्तु मैं इस मामले के विषय में जानता हूं जबकि उपाध्यक्ष ने, प्राक्कलन समिति के सभापति के रूप में, सरकार के एक गोलमाल के मामले पर विचार किया और उनसे संसद् को इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की आशा की जाती थी। यह करने के बजाए वह अपने दल में गए और दल की बैठक में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सारा मामला दबा दिया गया। यह इसी लिये हुआ कि वह सत्तारूढ़ दल के सदस्य थे।

इसलिये सरकार से मेरी प्रार्थना है कि इसे इस प्रकार बनाए कि अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष, उक्त पदों पर चुन लिए जाने के के बाद, दल से अलग रहें।

श्री पी० एन० राजभोज : जो डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह का सवाल है उसका तो मैं अपोजीशन नहीं करना चाहता । मेरी तो यही प्रार्थना है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को इम्पारशल होना चाहिए क्योंकि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं वह तो किसी पार्टी के नहीं हैं। जो परम्परा ब्रिटिश पार्लियामेंट में कायम की गयी है वही यहां भी की जानी चाहिये। हिन्दुस्तान में वही परम्परा रखनी चाहिए और जो दलित जाति के हैं उनको विशेष सहूलियतें मिलनी चाहियें, उनको संरक्षण मिलना चाहिए । जब कल चेयरमैन का पैनल हुआ तो उस में हुकुम सिंह जी आये लेकिन इस हाउस के ७२ शिड्यूल्ड कास्ट वालों में से कोई नहीं लिया गया। हम लोगों को चांस मिलना चाहिए और हम को भी आगे बढ़ाना चाहिए। यहां जो चेयरमैन का पैनल बना है उसमें पांच भाई लिये गये हैं, उन में

से एक शिड्यूल्ड कास्ट का हमारा भाई भी होना चाहिए। यही मेरी प्रार्थना है। हम लोगों पर ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। यह लोकतन्त्र राज्य है और जब तक दलित वर्ग को ऊंचा नहीं किया जायगा तब तक समाज की उन्नति नहीं हो सकेगी। इसलिए इस वर्ग को सरकार ने विशेष अधिकार दिये हैं। चेयरमैन के पैनल में अन्य पार्टियों के आदमी लिये गये हैं पर हमारे आदमी नहीं लिये गये हैं। जो ब्रिटेन का ट्रेडीशन है उसको निष्पक्ष रीति से यहां चलाना चाहिए और माइनारिटी पार्टी के मैनडेट से ही स्पीकर को अपना निर्णय करना चाहिए। मेरी स्पीकर महोदय से यही प्रार्थना है कि हम लोग जो कि यहां पर माइनारिटी में हैं उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मुझे यही कहना है। मैं हाउस का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। लेकिन दूसरी जो पार्टी हैं, यहां पर हमारी माइनारिटी पार्टी है, उन को भी समय देने के लिए स्पीकर महोदय पक्षपात रहित दृष्टि से काम करेंगे और उन पर भी कृपा करेंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : उस दिन जब कि श्री गाडगिल इस विधेयक पर बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि उपाध्यक्ष केवल अल्पकालीन पदाधिकारी होगा और इसलिए उसे अपने दल के कामों में भाग लेने की अनुमति होनी चाहिए। किन्तु श्री टी० टी० कृष्णमाचारी के स्पष्टीकरण से ज्ञात होता है कि वह पूर्ण-कालीन पदाधिकारी होगा। इसलिए हम इस बात का स्पष्टीकरण चाहते हैं कि वह अल्प-कालीन पदाधिकारी होगा अथवा पूर्ण-कालीन।

दुर्भाग्यवश, इस देश में यह प्रथा विकसित हो गई है कि हम निर्वाचन से पहले से नहीं जानते कि विभिन्न राज्यों में या केन्द्र में कौन व्यक्ति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होने जा रहे हैं। देश का वर्तमान सत्तारूढ़ दल उचित संसदीय प्रथा विकसित करने में रुचि नहीं रखता। यदि इस प्रकार की प्रथाएं स्थापित हो जाएं तो सत्तारूढ़ दल को अन्य दलों के नेताओं से मशविरा करने और उन के साथ समझौता करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। किन्तु बहुसंख्यक-दल के इस दृष्टिकोण से देश में संसदीय प्रथाएं स्थापित करना बहुत कठिन है। मैं चाहता हूं अब आगे से ये प्रथाएं विकसित हों। इस सम्बन्ध में हम सहमत हो सकते हैं कि अध्यक्ष का चुनाव लड़ा न जाए और जहां तक हो वह पार्टी टिकट पर खड़ा न हो।

अब उपाध्यक्ष का प्रश्न है। जब वह पीठासीन होता है तो उससे तटस्थ रहने की आशा की जाती है। विधेयक के अनुसार, वह एक स्थायी पदाधिकारी है। अभी हाल में हमारे उपाध्यक्ष, कांग्रेस की कार्य समिति के सदस्य चुन लिये गये हैं। संसद् के एक स्थायी पदाधिकारी होने के बाद उन्हें कार्य-समिति से अस्तीफा दे देना चाहिये। इस संबंध में हम सदन-नेता से आश्वासन चाहते हैं।

श्री बल्लाथरास : मुझे श्री चर्चिल का वह बयान याद हो आया है जिस में उन्होंने कहा था कि "मैंने प्रधान मंत्री का पद ब्रिटिश साम्राज्य को परिसमापन करने के लिये धारण नहीं किया है।" इन शब्दों को मैं यहां भी लागू कर सकता हूं। अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष का चुनाव इस आशा से नहीं किया जाएगा कि वह स्वयं कांग्रेस दल का ही विघटन कर दे। किन्तु जो होना है, वह हो कर ही रहेगा। ब्रिटिश साम्राज्य अंत में समाप्त ही हो गया। इसी प्रकार समय पर कांग्रेस दल का भी अन्त होना है।

अब अध्यक्ष की स्थिति क्या है ? सदन में चुनाव के लिए उसे दल पर निर्भर रहना है; अध्यक्ष-पद के निर्वाचन के लिए उसे

[श्री वल्लाथरास]

दल पर निर्भर रहना है; और अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए दल पर निर्भर रहना है। इस पद से जाने के बाद भी पुनः निर्वाचन के लिये उसे अपने दल का सदस्य होना चाहिये। इसलिये एक बड़ा स्वार्थ उसे अपने दल के साथ सम्बद्ध रखता है। अतएव हमारे लिये यह आशा करना ठीक नहीं होगा कि वह अपने दल से अपना सम्बन्ध समाप्त कर देगा। जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय बड़-बड़े विद्वानों ने अपना अनुभव, विवेक और परिपक्कव ज्ञान प्रयुक्त किया था। इस के लिए हमें संविधान में ही उपबन्ध करना चाहिये था। अब दोष लगाने से कोई लाभ नहीं।

हमारी न्यायपालिका की अत्युत्तम परम्परा है। कोई रिश्तेदार न्यायाधीश के सम्मुख उपस्थित नहीं हो सकता। इसी प्रकार हम यहां भी न्यायपालिका के कुछ सिद्धान्तों का, जो संविधान में नहीं हैं, अनुकरण कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा एक एक स्वतंत्र व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए। उस की वही स्थिति हो जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, या लोक सेवा आयोग के सभापति की होती है अथवा निर्वाचन आयोग के आयुक्त की होती है। तभी वह तटस्थ रह सकेगा। हम किसी दल के प्रतिनिधि से न्याय की आशा नहीं कर सकते।

एक नियम है कि सदन में स्थगन प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। गत दस मासों में कोई स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि तीन या चार प्रस्ताव अत्यावश्यक थे। और स्थगन-प्रस्ताव काहे के लिए है? क्या यह सदन के अनिश्चित काल तक स्थगित कर दिए जाने के लिए है? इसलिए जब तक कि कोई स्वतंत्र पदाधिकारी अध्यक्ष-पद पर नहीं होगा, हम प्रजातंत्र की रक्षा नहीं कर सकते।

श्री जी० एच० देशपांडे (नासिक—मध्य): मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। विरोधी दल के सदस्य हमें कराची प्रस्ताव की याद दिलाते हैं। उनका यह दृष्टिकोण मैं समझ पाता, यदि स्वयं अपना भत्ता लेते समय उन्हें वह प्रस्ताव याद रहता। किन्तु जब कि प्रस्तुत विधेयक आया है तो वे हमें कराची प्रस्ताव की याद दिला रहे हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि मोंटेग्यू-चैम्सफोर्ड सुधार के अन्तर्गत वाइसराय की कार्यकारिणी के सदस्य ईमानदार व्यक्ति थे किन्तु अब हम इस पर आ गए हैं। किन्तु आप देखिये कि वे क्या वेतन ले रहे हैं? उस समय रुपए की कीमत क्या थी? अब रुपए की कीमत क्या है? क्या कोई अपना हाथ दिल पर रख कर यह कह सकता है विधेयक में प्रस्तावित वेतन, जो उन्हें देना चाहिए उस से अधिक है? क्या आप एक गरीब व्यक्ति से, जिस की अनेक आवश्यकताएं हैं, यह आशा कर सकते हैं कि इतने ऊंचे पद पर वह अपना कर्त्तव्य इतने वेतन के बिना अच्छी तरह निभा सकेगा? यदि आप कहते हैं कि वह निभा सकता है, तो इस का अर्थ केवल यह है कि आप चाहते हैं कि जो व्यक्ति यहां आए वह बाहरी लोगों से रुपया ले कर अपना काम चलाए। किन्तु यहां ऐसे लोग हैं जिन का कोई अन्य ज़रिया आमदनी का नहीं है, जो योग्य हैं, प्रतिभाशाली हैं और कार्यकुशल हैं, जिन्होंने जीवन भर त्याग किया है, जो अच्छी तरह से यह कर्त्तव्य निभा सकते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई भी तर्कयुक्त व्यक्ति यह कह सकता है कि विधेयक में प्रस्तावित वेतन अधिक है।

१२ बजे मध्यान्ह

लोगों ने इस वेतन की तुलना मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के अन्तर्गत मिलने वाले उप-सभापति

के वेतन से की । जब कोई इस प्रकार की तुलना करता है तो मैं उस से यह पूछना चाहता हूं : आप इन बातों को अपना भत्ता लेते समय क्यों नहीं याद रखते ? आप इस को केवल इस समय क्यों याद रखते हैं ? उस समय के वेतन से इस समय के वेतन की तुलना करना अनुचित है । रुपए की कीमत अब बहुत गिर गई है । आप कांग्रेस दल पर आक्षेप करना चाहते हैं । मेरी समझ में विधेयक में प्रस्तावित वेतन बिलकुल सही है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सभापति महोदय, मैं ने वाद विवाद सुना है और मैं देखता हूं कि मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है क्योंकि कुछ आलोचनाओं का उत्तर दे दिया गया है ।

श्री एस० एस० मोरे : मेरा एक औचित्य प्रश्न है । इस विधेयक के प्रभारी तो श्री बिस्वास हैं ।

सभापति महोदय : आप अन्तर्बाधा का ध्यान न कीजिए बल्कि अपना उत्तर जारी रखिए ।

श्री एस० एस० मोरे : कल जब श्री बिस्वास उपस्थित नहीं थे तो यह उचित ही था कि कोई अन्य माननीय मंत्री इस विधेयक को पुरःस्थापित करे, परन्तु जब श्री बिस्वास आज यहां उपस्थित हैं तो कोई अन्य माननीय मंत्री उत्तर क्यों दे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे माननीय मित्र संभवतः यह नहीं जानते कि एक मंत्री और दूसरे मंत्री में कोई अन्तर नहीं है । इस लिये इस बात में कोई तुक नहीं कि कौन उत्तर देता है ।

श्री एस० एस० मोरे: जहां तक क्षमता का सम्बन्ध है सभी मंत्री एक से हैं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : संभव है. यह तो अपनी अपनी राय की बात है, इस स्वतंत्र देश में आप जैसे चाहें सोच सकते हैं ।

अब मैं असली विषय पर आता हूं । सरकार को इस प्रश्न पर कुछ अधिक नहीं कहना है । अध्यक्ष महोदय की स्थिति के सैद्धान्तिक पहलू के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका है और कई उद्धरण दिए गए हैं । इस सदन में दोनों मुकर्जी महोदयों ने इस विषय सम्बन्धी साहित्य में जो योगदान दिया है, वह सराहनीय है । मुझे इस बात में कोई सन्देह दिखाई नहीं देता कि जब कुछ समय बाद यही प्रश्न किसी और देश के विधान मंडल में उठेगा तो इस सदन में प्रकट किये गए विचारों का उद्धरण दिया जायगा । इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है हमें उस का स्वागत करना चाहिए ।

पुदुकोटै के माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया था जिसकी साम्यवादी दल के उपनेता ने आंशिक रूप से चर्चा की है, वह प्रश्न यह था कि किसी अधिकारी को अध्यक्ष बनाया जाय । कामन्ज़ सभा की संसदीय चुनाव (अध्यक्ष का स्थान) सम्बन्धी प्रवर समिति की ४ अप्रैल १९३९ की रिपोर्ट में कहा गया है :

"समिति ऐसे किसी प्रस्ताव की बात सोच भी नहीं सकती है कि अध्यक्ष महोदय की पदवी घटा कर अधिकारियों जैसी कर दी जाय । ऐसे अधिकारी का चाहे कितना ही सम्मान क्यों न किया जाय, इस प्रकार का परिवर्तन उस ढांचे को ही समाप्त करा देगा जो सार्वजनिक कार्य संचालन का आधार है । समिति के विचार में अध्यक्ष-पद पर ऐसे न्यायाधीश के स्थान में, जिस की तटस्थता का आधार यह है कि उस का राजनीतिक सम्पर्क ही नहीं है, एक साधारण

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

सदस्य का होना सदन पर अच्छा नैतिक प्रभाव नहीं डालेगा ।"

इस से मेरे कई माननीय मित्रों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है । मेरे विचार में इस सदन में हम सभी इस धारणा को मानते हैं ।

मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने उस व्यक्ति की ओर ठीक ही संकेत किया है जिस की स्मृति हमारे सम्मान का विषय है । मेरा मत है कि जिस देश में विट्ठल भाई पटेल ने अध्यक्ष-पद के कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में परम्पराएं स्थापित की हों, वहां यह डर नहीं होना चाहिए कि उस आसन पर बैठने वाला कोई अन्य व्यक्ति उस प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाएगा जो उसी पद से सम्बद्ध है ।

माननीय सदस्य बृटेन की संसद की परम्पराओं के सम्बन्ध में बोले हैं । मेरा विचार है कि श्री पुन्नूस ने इस का उल्लेख किया है । यह सच है कि हमें अपनी परम्पराएं स्थापित करनी हैं । हमारी संसद बृटिश संसद जैसी ही है परन्तु कुछ भिन्नता अवश्य है । यह भी सच है—शायद अच्छी बात नहीं—कि संविधान के लागू होने के बाद पहली जो संसद थी, ऐसी चली आ रही है कि उस में एक दल का बहुमत है ।

श्री पुन्नूस : यह दुर्भाग्य की बात है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह सच है परन्तु मुझे खेद है कि मेरे इस माननीय मित्र की शिक्षा-दीक्षा अधूरी रही और मेरे विचार में उन्होंने अपने "शास्त्र" का सावधानी से अध्ययन नहीं किया है । सोवियत संविधान के मूल अधिकार सम्बन्धी अनुच्छेद १२६ में कहा गया है :

" . . . सर्वहारा तथा मज़दूर वर्ग में से सब से अधिक क्रियाशील और राजनीतिक दृष्टिकोण से जागृत नागरिक सोवियत संघ के साम्यवादी दल (बोल्शविक) में एकत्रित होते हैं जोकि समाजवादी तंत्र के विकास तथा उसे दृढ़ बनाने में मज़दूर वर्ग के संघर्ष का अगुआ है और जो मज़दूर वर्ग के सार्वजनिक तथा राज्य संगठनों का आधार है ।"

तो सोवियत संविधान के मूल अधिकारों में एक दल को यह पदवी दी गई है । मैं यह नहीं कहता कि कांग्रेस भी अपनी स्थिति वैसी ही बना रही है, अन्यथा यहां स्वतंत्र चुनाव न होते । वहां तो साम्यवादी दल एक उम्मीदवार को चुनाव में खड़ा करता है और लोगों को उसे वोट देने पड़ते हैं । यह तो केवल आदत की बात है । यह आदत उन लोगों को अनुकूल है हमारी जनता को नहीं । मैं यह नहीं कहता कि मुझे यह पसन्द नहीं या यह कि मुझे उन बातों की आलोचना करनी है जो सोवियत संघ में की जा रही हैं । प्रत्येक देश या राष्ट्र ऐसी परम्पराएं स्थापित करता है जो उसे अनुकूल हैं । मेरा यह विश्वास है कि इस देश में हम ठीक दिशा में कार्य कर रहे हैं और अध्यक्ष-पद के सम्बन्ध में जो परम्पराएं स्थापित की गई हैं वे ठीक हैं ।

चुनाव के सम्बन्ध में मुझे यह बताने में गर्व का अनुभव होता है कि मद्रास के कांग्रेस दल ने इस सम्बन्ध में बड़ा अच्छा कार्य किया है । वहां अध्यक्ष पहले कांग्रेसी था । उस ने कहा कि वह कांग्रेसी रह कर चुनाव नहीं लड़ेगा । यह बड़ी असुविधा की बात थी क्योंकि उस निर्वाचन क्षेत्र में कई स्थान थे । मुझे इस में दिलचस्पी थी क्योंकि मेरा स्थान भी इसी चुनाव क्षेत्र में था । जब किसी कांग्रेसी को चुनाव में खड़ा न कर

सकते, तो वहां काम करने में कठिनाई होती। फिर भी हम ने उस के विरुद्ध किसी को खड़ा नहीं किया यद्यपि विरोधी दलों के उम्मीदवारों ने उन के विरुद्ध चुनाव अवश्य लड़ा। मुझे यह बताते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि हम ने मद्रास नगर में जो परंपरा स्थापित करने का प्रयत्न किया वह उचित प्रमाणित हुआ है और एक ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष चुना गया जो किसी भी दल का सदस्य नहीं है। कभी कभी हम ऐसे परीक्षण करते हैं जैसा कि मद्रास में किया गया है।

मेरा विचार है कि हम यह कह सकते हैं—अध्यक्ष पद पर चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों न रहा हो—कि भारत के विधान-मण्डलों में अध्यक्षों के सम्बन्ध में बड़ा अच्छा अनुभव रहा है। मेरे विचार में कोई भी शिकायत नहीं रही है। यह सच है—जैसे कि मेरे माननीय मित्र श्री गाडगिल ने कहा—कि यह भाव बिल्कुल व्यक्तिगत भाव है कि किसी विशेष अवसर पर अध्यक्ष ने न्याय नहीं किया है। दल का सदस्य होने के नाते ऐसी भावना नहीं रहती। यदि मैं उठ कर कुछ कहूं और आप मुझे डांट दें, तो कुछ देर के लिए मुझे ऐसा लगेगा कि मुझ से उचित व्यवहार नहीं हुआ है। परन्तु कुछ देर के बाद मैं इस बात को महसूस करता हूं कि आप का काम अनुशासन बनाए रखना है। इसलिए यह भावना कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष महोदय ने किसी के साथ उचित व्यवहार नहीं किया, क्षणिक तथा व्यक्तिगत होती है और इसे अस्थायी ही समझना चाहिए। मेरे विचार में हमें अपने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष महोदय के कार्य पर गर्व होना चाहिए और यदि वे कांग्रेसी हैं तो यह और भी गर्व का विषय है क्योंकि अध्यक्ष-पद पर बैठ कर वे ऐसा सोचते हैं कि वे उस समय कांग्रेस जन नहीं हैं और उन्हें इस सदन के सभी दलों के हितों का ध्यान रखना है। मेरा निवेदन है कि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष महोदय, सभापति तालिका के सदस्यों तथा दूसरे सदन के सभापति के सम्बन्ध में भी यही भावना है। मेरा विचार है कि मेरी मित्र श्रीमती रेणुचक्रवर्ती अध्यक्ष पद पर बैठती हैं तो बड़े न्याय से काम लेती हैं। अध्यक्ष-पद पर विरोधी दल के सदस्यों के आचरण पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती।

साम्यवादी दल के नेता तथा डा० मुकर्जी—दोनों ने यह कहा था कि ये बातें यहां कही जा रही हैं, इसलिए नहीं कि इन का इस विधेयक से सम्बन्ध है बल्कि इसलिए कि ऐसे अवसर पर ये बातें कहनी पड़ती हैं। वेतन कितना दिया जाय, इस पर मतभेद हो सकता है। डा० मुकर्जी ने ठीक ही कहा कि हमारे पास इस की कसौटी तो है। वह यह है कि मंत्रियों को कितना वेतन मिलता है। जब मंत्रियों के वेतनों में कमी की गई तो अध्यक्ष तथा दूसरे सदन के सभापति ने अपने वेतनों में स्वयं ही कमी करा ली। इस से मालूम होता है कि हमारे भी कुछ सिद्धान्त हैं। इस का यह मतलब नहीं कि कसौटी ठीक है। इस का उस खर्च से कोई सम्बन्ध नहीं जोकि किसी व्यक्ति को करना पड़ता है।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : वही कसौटी सभी जगह होनी चाहिए।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जबर्दस्ती समता लाने का प्रश्न नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय के सम्बन्ध में इस बात का उल्लेख किया गया था कि उन्हें जो पारिश्रमिक मिलता है उस में वृद्धि हो हो गई है। मैं यह बात कहने वाले माननीय सदस्य को चुनौती देता हूं क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय की स्थिति पूरा समय काम करने वाले अधिकारी की है। जैसा कि मेरे माननीय मित्र डा० मुकर्जी और श्री गुरुपादस्वामी ने

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

कहा, वेतन पाते ही वे सारा समय काम करने वाले अधिकारी हो गए। इस समय उन्हें सत्र के समय में १५००) प्रति मास तथा ४०) प्रति दिन मिलते हैं। सच तो यह है कि मैं उपाध्यक्ष होता तो यही प्रणाली पसन्द करता । इस का मतलब है कि १२००) प्रति मास कर से मुक्त तथा १५००) प्रति मास ऐसी राशि जिस पर कर लगेगा। यह २०००) प्रति मास के कहीं अधिक बैठता है। उस के अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय मेरे प्रान्त में बड़े सुविख्यात वकील हैं और मेरा विश्वास है कि वे एक सप्ताह के लिए वहां चले जायें तो वकालत से तीन चार हजार रुपया कमा सकते हैं। उन में यही दोष निकाला गया था कि वे बोलते हैं, तो वे वकील हो कर बोल सकते हैं और न्यायाधीशों को अपनी बात का विश्वास दिला सकते हैं। वे जब ये शर्तें मानते हैं तो वास्तव में बलिदान कर रहे हैं। हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए।

मैं स्वयं तो यह सोचता हूं कि वेतन के सम्बन्ध में मंत्रियों, उपमंत्रियों आदि के बीच अन्तर करने में कोई तुक नहीं है। परन्तु ये अन्तर धीरे धीरे ही समाप्त होंगे।

उपाध्यक्ष के वेतन पर आपत्ति का कारण यह है कि तथ्यों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। जब मैं मंत्री नहीं था तो मुझे १२००) प्रति मास मिलते थे जिन पर कर नहीं देना पड़ता था। ऐसी स्थिति में न तो अपना घर चाहिए न ही कार। मैं केवल निजी दृष्टिकोण से बता रहा हूं कि एक साधारण सदस्य और मंत्री में क्या अन्तर है। अब यह हालत है कि बहुत से खर्च घटाने पड़ते हैं।

मैं इस बात पर भी ज़ोर देना नहीं चाहता कि जब गैर-सरकारी सदस्यों को १,२०० रुपये मिल रहे हैं तो एक अधिकारी को १,७५० रुपये क्यों न मिलें—यह वह धन है जो उसे आय-कर देने के उपरान्त मिलेगा। यह केवल ५५० रुपये का अन्तर है।

विशेष सुविधाओं के प्रश्न पर यह कहा गया था कि एक मकान के रक्षण पर प्रति मास १,८०० या इसके लगभग रुपये व्यय होते हैं। मैं नहीं जानता था कि मैं जिस मकान में रहता हूं उस पर राजकोष को प्रति मास व्यय करना पड़ता है। मैं उस मकान में रहना प्रसन्नता सहित स्वीकार करूंगा जिस पर केवल १८० रुपये प्रति मास व्यय हो। मेरा विचार है कि माननीय सदस्यों ने इन तर्कों का प्रयोग, इस की बजाय कि वे तथ्यपूर्ण हैं, अपने तर्कों में सुधार करने के लिए किया है।

इस प्रश्न पर वापस आने....

श्री सारंगधर दास : क्या मैं मंत्री महोदय से इस मामले की जांच करने तथा भविष्य में कभी यह बताने की प्रार्थना कर सकता हूं कि उन के बंगले का रक्षण व्यय क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह तो बंगले बंगले पर निर्भर है। मैं यह कह सकता हूं कि मैं बड़ा बंगला लेने से डरता हूं क्योंकि सरकार का जो उस पर व्यय होगा उसके अतिरिक्त मुझे चार नौकर रखने पड़ेंगे जो मुझे, उनके भोजन सहित, लगभग ४०० रुपये में पड़ेंगे, और वर्तमान आय में इतना व्यय सहन करना मेरी क्षमता से बाहर है।

इस प्रश्न पर वापस आने को कि क्या इस का संविधि में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि संसदीय पदाधिकारी पूर्णकाल पदाधिकारी होंगे या नहीं, श्री एस० पी० मुखर्जी ने एक संशोधन की पूर्वसूचना दी है। मैं यह कह सकता हूं कि हम ने, सरकार के रूप में, इस पहलू पर विचार तो किया था। हम जानते हैं कि भूतकाल में भी ऐसे ही उपबन्ध थे। हम महसूस करते हैं कि चार

पदाधिकारियों के बारे में, दो यहां और [दो दूसरे सदन में, जो संसद द्वारा निर्वाचित हुए हैं, यह उत्तमतर है कि इसे मान्यता एक रीति की आधार पर दी जाये बजाये इसके इसका संविधि में उल्लेख हो। वहां रुकावट डालने का प्रश्न आवश्यक नहीं है क्योंकि उन पर प्रति पल नज़र रखी जाती है। हम जानते हैं कि वे पूर्ण-काल पदाधिकारियों के रूप में काम कर रहे हैं या नहीं। मैं जानता हूं कि वे सम्मानीय व्यक्ति हैं, वे उन रीतियों से आगे नहीं बढ़ेंगे जो हम निर्धारित करते हैं। मैं समझता हूं कि स्वयं हमारे आत्म-सम्मान के हित की दृष्टि से इस लक्ष्य को पुरानी रीति तथा रिवाज द्वारा प्राप्त करना अधिक उत्तम है बजाय इस के कि यहां कोई खण्ड रखा जाये। मैं यह केवल इस कारण कह रहा हूं कि इस पर विचार किया गया था और हम ने, सरकार के रूप में, महसूस किया कि संसद द्वारा निर्वाचित संसदीय पदाधिकारियों से हमें कोई ऐसी शर्त स्वीकार करने को नहीं कहना चाहिए जिसे वे स्वेच्छापूर्ण स्वीकार करना चाहेंगे; और यह तथ्य कि वे इसके विरुद्ध कर रहे हैं प्रायः प्रति दिन विदित हो जायेगा। इसी कारण से हमने इसे नहीं रखा और मैं डा० एस० पी० मुखर्जी से सविनय निवेदन करूंगा कि वह इस रिवाज को जांच करने का अवसर दें। मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है कि कुछ समय पश्चात हमें अनुभव होगा कि हम ने जो कुछ किया है वह पूर्णतः ठीक है।

मैं नहीं समझता कि इस विषय पर और कोई प्रश्न भी उठाया गया है। जहां तक श्री पुन्नूस के संशोधन का सम्बन्ध है, जैसा कि मैं बता चुका हूं, अनुच्छेद ९७ के अन्तर्गत वेतन निर्धारित करना आवश्यक है चाहे यह वेतन केवल १ रुपया ही हो, और हम अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के रूप में कोई अवैतनिक पदाधिकारी नहीं रख सकते।

जहां तक वेतन में कमी करने के प्रश्न का सम्बन्ध है, किसी व्यक्ति का (उन सब में सब से अधिक अभागा) उदाहरण स्थापित करने के लिए ऐसा करना ठीक नहीं है। जैसा कि श्री देशपांडे ने कहा कि यदि निर्वाह-व्यय घट जाते हैं और वेतनों में साधारण कमी हो जाये तो उनके वेतन भी स्वभावतः कम हो जायेंगे और आप देखेंगे कि संसद के मंत्री और पदाधिकारी भी चुस्ती से उसी स्थिति में ही जायेंगे। परन्तु जब तक वर्तमान निर्वाह-व्यय प्रचलित रहता है, मैं नहीं समझता कि हमें केवल इन चार पदाधिकारियों का उदाहरण क्यों स्थापित करना और उन के वेतन में कमी करना चाहिए।

यह कहा गया था कि राज्य परिषद के उप-सभापति इस योग्य नहीं हैं। मैं समझता हूं कि यह अत्याधिक अनुचित आक्षेप है। मैं नहीं समझता कि इस सदन में हमें, दूसरे सदन का सभापतित्व करने वाले पदाधिकारी पर कोई आक्षेप करना चाहिए, यद्यपि हम उस व्यय में कमी करने के इच्छुक हैं जो राजकोष से होता है। पर मैं यह अवश्य कहूंगा कि ये दोनों पदाधिकारी वह कार्य कर रहे हैं जिस के लिए उन से नहीं कहा गया है—समितियों का सभापतित्व करना। दूसरे सदन के उप-सभापति की उस चुस्ती को मैं यहां कृतज्ञतापूर्ण स्वीकार करता हूं जो उन्होंने किसी भी जांच पड़ताल करने के लिए आमंत्रण का उत्तर देने में सदैव प्रदर्शित की है, और आज कल वह वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित ऐसी दो समितियों का सभापतित्व कर रहे हैं। सरकार को इन पदाधिकारियों से समितियों का सभापतित्व करने का काम लेना है, केवल इस कारण नहीं कि उन का निर्णय निष्पक्षतापूर्ण होता है परन्तु इस कारण भी कि उन्हें सदन में सभापतित्व करने का अनुभव हो गया है। निश्चय ही सरकार प्रत्येक सम्भावी अवसर

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

पर उन से काम लेगी, और ये बे-कार्य-पद नहीं हैं। इस से भी बहुत दूर। इन में से कोई भी बे-कार्य-पद न होगा। मैं आशा करता हूं कि जो कुछ मैं ने कहा है उस से सदन को यह शिकायत करने का कोई कारण न मिलेगा कि सरकार ने कोई ऐसा कार्य किया है जो उचित न था।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद के कुछ पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्तों की व्यवस्था करने संबंधी विधेयक विचारार्थ स्वीकार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

सभापति महोदय : अब मैं खण्डों को लूंगा।

यहां तीन संशोधन हैं—दो श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के और तीसरा श्री पुन्नूस का। मैं नहीं जानता कि श्री पुन्नूस इस पर जोर देना चाहते हैं या नहीं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, यह नियमानुकूल नहीं है।

सभापति महोदय : जब मैं खण्ड-विशेष को लूं तब आप उस पर बोल सकते हैं।

२ से ४ तक के खण्ड विधेयक में सम्मिलित किये गये।

खण्ड ५—सभापति तथा अध्यक्ष का भोजन-भत्ता

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं यह कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष को भोजन-भत्ता देना आवश्यक नहीं है और न ही, मेरे विचार से, इसका कोई आधार है। कांग्रेस-सदस्यों ने यह आधार बताया था कि संसद-सदस्यों आदि को चाय आदि देने के लिये अध्यक्ष को भोजन-भत्ता मिलना चाहिए, हम कहते हैं कि हमें चाय आदि की आवश्यकता नहीं है।

श्री नम्बियार : हम मंत्रियों या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से किसी बात की आशा नहीं करते और इन दिनों ऐसा करना सम्भव भी नहीं है। हम अतिथि-सत्कार उसी रूप में चाहते हैं जैसा मित्रों, संबंधियों, आदि में होता है। अतः हम इस भोजन-भत्ता का ज़ोरदार विरोध करते हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : स्थिति यह है कि भोजन-भत्ता केवल संसत्सदस्यों का अतिथि सत्कार करने के लिए नहीं दिया जाता। कदाचित उन को अतिथि-सत्कार मिल सकता है। इस देश में अध्यक्ष का एक विशेष स्थान है। विदेशों से व्यक्ति आते हैं और उसे उनका अतिथि सत्कार करना पड़ता है। हाल में ही उसे अनेकों व्यक्तियों का अतिथि-सत्कार करना पड़ा था। अध्यक्ष का एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व है जिसे माननीय सदस्य मान्यता नहीं देते हैं, और वे कर्त्तव्य, जो इससे उत्पन्न होते हैं, उसे उनका अतिथि-सत्कार करने के लिए विवश करते हैं और यह बहुत ही अनुचित कि उससे इन व्ययों को अपनी जेब से करने को कहा जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५ विधेयक का भाग रहता है।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

खण्ड ५ विधेयक में सम्मिलित किया गया।

खण्ड ६ और ७ विधेयक में सम्मिलित किये गये।

खण्ड ८—मोटर कार लेने के लिए संसद पदाधिकारियों को अग्रिम देय

सभापति महोदय : अब खंड ८ ....

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : ८ के उपरान्त एक संशोधन है ।

सभापति महोदय : मेरा विचार है कि आप ८(क) रखना नहीं चाहते अपितु कुछ सुझाव देना चाहते हैं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : खण्ड ८ पर सदन का मत लेने के पश्चात ही उन्हें यह प्रस्तुत करना चाहिए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ८ विधेयक का भाग है ।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ ।

खण्ड ८ विधेयक में सम्मिलित किया गया ।

नया खण्ड ९ (क)

श्री पुन्नूस : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ २ पर पंक्ति २४ के पश्चात निविष्ट करिये :

'८(क) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, सभापति, अध्यक्ष, उप-सभापति या उपाध्यक्ष को उस समय तक जब तक वह किसी राजनीतिक दल या संघ का सदस्य है किसी ऐसे वेतन, भत्ता या अन्य सुविधाओं का अधिकार न होगा जिनकी व्यवस्था इस से पहिले की धाराओं में की गई है ।'"

कल कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों ने दिल्ली से मास्को तक के साम्यवादी देशों के संविधान पर बहुत कुछ कहा था और इसके बारे में अपनी अनभिज्ञता को धोका दिया था । मैं माननीय सदस्य श्री गाडगिल का आभारी हूं और उन्हें उनके तर्क पर अपनी प्रतिक्रिया बताना चाहता हूं । उन्होंने ज़ोरदार तर्क के रूप में एक बात रखी जिसे वह हमारी संसद में अध्यक्ष महोदय का अभिनव अभिलेख समझते हैं । उन्होंने कहा था कि बड़े बुरे दिनों में भी अध्यक्ष के व्यवहार पर इस सदन के माननीय सदस्यों ने कभी भी प्रश्न नहीं उठाया था । मेरा विचार है कि यह कोई तर्क नहीं है । श्री गाडगिल ने कहा था कि अंग्रेजों के रिवाज ठीक हैं, उनका उदाहरण देना उचित है, परन्तु फिर उन्होंने कहा कि हमारे साथ तो कठिनाई यह है कि साधारण निर्वाचन में बिना विरोध के अध्यक्ष के निर्वाचित होने का कोई रिवाज नहीं है अर्थात अध्यक्ष को समर्थन देने वाली पार्टी की ओर देखना पड़ता है और सदैव ही सावधान रहना पड़ता है ताकि तीन या पांच वर्ष पश्चात उसे पद से हाथ न धोना पड़े । इस ने मेरे सन्देह को दूर करने की बजाय और बढ़ा दिया है ।

यों तो स्वयं मुझे ब्रिटिश परम्परा की बहुत सी बातें स्वीकार हैं । इस में कोई भी सन्देह नहीं और अध्यक्ष के साथ वरेण्य बर्ताव करने का प्रश्न विचारनीय है किन्तु श्री गाडगिल जैसे माननीय सदस्य इस बात को पुष्ट करते हैं तो मुझे कुछ आश्चर्य होता है क्योंकि पत्रों से स्पष्ट है कि कार्यपालिका समिति में जगह पाने के लिये उस की अपनी पार्टी में भी श्री गाडगिल तथा अन्य व्यक्ति उपाध्यक्ष जी को साफ़ रास्ता जताने के लिये तैयार नहीं थे । तो ऐसी स्थिति में क्या इस प्रकार सोचना किसी हद तक असामयिक नहीं होगा कि इस विशाल देश में अन्य पार्टियां कहीं हार तो नहीं जायें ?

डा० मुकर्जी ने भी इस का उल्लेख किया किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि यह ब्रिटिश उदाहरण सैंकड़ों वर्षों के बाद इस रूप में हमारे सामने आया है, जिस बीच

[श्री पुन्नूस]

सभी तरह की शक्तियां--आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक--एक दूसरे से संघर्ष करती रहीं। अब सीधा सा यह प्रश्न है कि क्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सत्तारूढ़ दल हमारे लोगों की बुद्धि, मेधा तथा समझ पर ज़रा सा विश्वास करने के लिये तैयार हैं। यदि वे ऐसा कर सकते हैं तो पार्टी-संबंधों से विच्छेद करने का प्रश्न कोई बड़ा प्रश्न नहीं। उस को सीधे से निपटाया जा सकता है। किन्तु, कौन यह बड़ा काम करेगा ? क्या हम ही पहले उन्हें साफ़ रास्ते का आश्वासन देंगे अथवा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष इस प्रकार से काम चलायेंगे कि राष्ट्र पर प्रभाव पड़ेगा ताकि अगले निर्वाचनों में ये ही बिना किसी विरोध के चले आयें। यद्यपि राष्ट्र को इस बात का विश्वास दिया जाय तो शायद पार्टी विरोध करे किन्तु यदि आप लोगों में विश्वास करें तो, मेरे विचार में, आप को किसी बात के लिये दुखी नहीं होना पड़ेगा। अतः हम इस दुष्चक्र में नहीं जायेंगे। हमें इस मामले को यहीं से शुरू करना है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पार्टी तथा पार्टी सम्बन्धों से दूर रहना चाहिये।

इस के पश्चात् मैं ने माननीय अध्यक्ष श्री मावलंकर द्वारा बताई गई कठिनाई पर ज़रा गम्भीर विचार किया। उन्होंने बतलाया कि भूतकाल की स्मृतियां उन्हें कांग्रेस पार्टी से ही बांधती हैं। मैं इस बात को समझता हूं, और मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि माननीय अध्यक्ष सभी राजनीतिक विचारधाराओं तथा भूतकाल की बातों से दूर हों किन्तु इस पक्ष के बहुत से माननीय सदस्यों की सूचना छोड़ कर मैं यह उल्लेख करूंगा कि समय का सब से बड़ा कांग्रेसी कांग्रेस पार्टी का चवन्नी देने वाला सदस्य भी नही था।

श्री बी० एस० मूर्ति (एलूरू): यह बात बिल्कुल सही नहीं। वह एक बार सदस्य तो था।

श्री पुन्नूस : हम संसद्-पदाधिकारियों से यह आशा करते हैं कि वे दलगत राजनीति से कोई भी सम्बन्ध नहीं बनाये रखें; इस में विचारधारा छोड़ देने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। मैं कल भी बतला चुका हूं कि यथासंभव प्रत्येक विचारधारा, राजनीतिक दल, तथा नई सत्ता को इस सदन में तथा यहां से बाहर पूरा पूरा अभिव्यक्तित्व मिलना चाहिये। और इसी बात के लिये हम अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को राजनीति से दूर रहने की मांग करते हैं। किन्तु मुझे इस बात का निश्चय है कि कांग्रेस पार्टी मेरी इस बात पर ध्यान नहीं देगी। दे भी क्यों। एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है: 'विनाशकाले विपरीत बुद्धिः'--जब विनाश आने को होता है तो बुद्धि भी मुंह मोड़ देती है।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल) : श्रीमान्, मैं प्रारम्भ में इसी प्रश्न के अन्य पहलू आपके सामने रखना चाहता हूं। साथी पुन्नूस का प्रश्न ग़लत समझा गया है, और मेरा अनुभव है कि दूसरे दल के कई लोगों ने भी इसे जान बूझ कर ग़लत समझा है। प्रश्न यह है कि क्या यह सदन अपने सब से अधिक महत्वपूर्ण कार्यकत्ताओं को समकालीन राजनीति के साथ खिलवाड़ करने की आज्ञा देगा, अथवा क्या उन्हें एक आज्ञा न दी जाय और उन से यह कहा जाय कि वे सभी प्रकार की राजनीति से किनारा कर लें। मुझे इस संबंध में कोई भी सन्देह नहीं कि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष राजनीति से बिल्कुल किनारा करेंगे। आप ज़रा सा इस बात की जांच कीजिये। दोनों अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष इस बात को जानते हैं कि वे किसी मतलब से

कांग्रेस पार्टी में भी काम करते हैं। अध्यक्ष जी ने १५ मई के अपने प्रसिद्ध भाषण में भी कहा था।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान्, औचित्य-प्रश्न के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि यह भाषण पहले ही उद्धृत हो चुका है। क्या कोई सदस्य उसे पुनः उद्धृत करने का अधिकार रखता है ?

श्री बी० पी० नायर : माननीय सदस्य जान जायेंगे कि मैं जो कुछ उद्धृत कर रहा हूं अभी तक उद्धृत नहीं हुआ है। मैं १५ मई के वाद विवाद के पृष्ठ ४४ से पढ़ के सुना रहा हूं जहां बताया गया है कि कांग्रेसी होते हुए भी मेरा यही कर्त्तव्य एवं प्रयत्न होगा कि मैं सदन के सभी भागों के सदस्यों से न्याय एवं समानतापूर्वक पेश आऊं, और मेरा यह कर्त्तव्य होगा कि मैं निष्पक्ष रहूं और पार्टी अथवा राजनीतिक जीवन की विचारधारा से ऊपर रहूं। अब देखिये कि किस तरह उन्होंने यह बात कही है। अब यहां पर अध्यक्ष के नाते कार्य करने और बहुसंख्यक दल का सदस्य होने के नाते कर्त्तव्य पालने के बीच संघर्ष है। मैं यहां तक बता दूं कि अध्यक्ष जी इस दोरुखे जीवन को जानते थे; चुनाचि उन्होंने स्वयं भी यही बात बता दी, और उपाध्यक्ष के सम्बन्ध में भी यही चरितार्थ होता है। दूसरे पक्ष में गरमागरमी के बावजूद भी कल सरकारी बेंचों ने नियमों को नहीं पाला। पत्रों से यह भी मालूम होता है कि उपाध्यक्ष जी भी एक उम्मीदवार थे किन्तु, पार्टी ने उन्हें विरोधरहित निर्वाचित करने की उदारता तक नहीं दिखाई। इस के परिणामस्वरूप उन्हें तीसरे दरजे पर ही मत प्राप्त हुए थे, यदि मैं समझ सका हूं ·····

सभापति महोदय : यह क्रम से बाहर की बात है।

श्री बी० पी० नायर : हमें फटकारने के बावजूद भी वे किसी सिद्धान्त पर नहीं चलते। मैं पहले बतला चुका हूं कि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पार्टी में और किसी नाते काम करते हैं। तो आप इस प्रश्न पर इस तरह विचार कीजिये। उन्हें उस पार्टी की नीति और कार्यक्रम को, जिस से वे सम्बद्ध हों, शपथबद्ध हो कर चलाना पड़ता है।

श्री नन्द लाल शर्मा : क्या संशोधन प्रस्तुत करने की आज्ञा दी गई है ? क्या माननीय सदस्य संशोधन पर बोल रहे हैं ?

कई माननीय सदस्य : हां।

श्री बी पी० नायर : मान लीजिये कि सत्तारूढ़ दल के सचेतक द्वारा सभापति के निष्पक्ष विचार की चिन्ता पर इस तरह विचार होता है जो किसी सिद्धान्त या नीति के अनुसार नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में सभापति की क्या स्थिति होगी ? आप जानते हैं कि इस सदन में ·····

सभापति महोदय : अध्यक्ष-पद पर बैठने वाले की स्थिति सदा ही स्पष्ट है। इस में सन्देह क्यों होने लगे ?

श्री बी० पी० नायर : इस तरह भी यह बात स्पष्ट है कि अध्यक्ष पद को सम्हालने वाला मनुष्य सत्तारूढ़ दल की दया पर होता है।

सभापति महोदय : कभी नहीं।

श्री बी० पी० नायर : बिल्कुल यही है। श्रीमान, आप एक भी ऐसा नियम बताइये जिस से यह असंभव होता हो कि अध्यक्ष को मत से पदच्युत किया जाय ? ऐसा कोई भी नियम है। यदि है भी ·····

श्री तेलकीकर (नान्देड़) : श्रीमान्, औचित्य-प्रश्न के सम्बन्ध में ·····

श्री बी० पी० नायर : मैं अपना दृष्टिकोण बता रहा हूं।

सभापति महोदय : जहां तक इस संशोधन का प्रश्न है, यह बात अनियमित है । संशोधन यह है कि, जब तक वह किसी राजनीतिक दल, समुदाय या संस्था के सदस्य हैं तब तक उन्हें वेतन, भत्ता अथवा कोई ऐसी अन्य सुविधा जो उस से पहले के विभागों में उपबन्धित हुई है, मिलने का अधिकार नहीं होगा । माननीय सदस्य को यह भी समझना चाहिये कि इस प्रश्न पर काफ़ी देर तक विवाद हो चुका है, और मेरे विचार में इस स्थिति पर बहस करना उचित नहीं होगा । यदि वह संक्षेप में भाषण जारी करें तो मैं उन्हें आज्ञा दूंगा ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, औचित्य-प्रश्न के सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं । कल यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या हम अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को अनर्ह बना सकते हैं, यद्यपि संविधान में इस बात का कोई भी उल्लेख नहीं हुआ है । संविधान का अनुच्छेद ९७ यह बतलाता है कि हमें उन्हें वेतन देना चाहिये, वह चाहे कुछ भी हो । माननीय सदस्य की ओर से यही ठीक रहेगा यदि वह एक रुपया दिये जाने पर ज़ोर डालेंगे, और इस प्रकार के प्रस्ताव पर बोलना भी उन के लिये ठीक होगा । किन्तु एक ऐसी अनहर्ता आरोपित करना जो संविधान में उल्लिखित न हो, पूर्णतया अनियमित है ।

सभापति महोदय : मैं तो इसी बात का निर्णय देना चाहूंगा कि क्या यह संशोधन नियमित है अथवा नहीं । इस से पहले किसी भी पक्ष की ओर से कोई गरमी न दिखाई जाय ।

श्री वी० पी० नायर : गरमी दिखाने का कोई भी प्रसंग नहीं । विश्वास मानिये कि मैं तटस्थ रहा हूं । मैं केवल इतना कहना चाहता था कि अध्यक्ष को राजनीति से बिल्कुल अलग रहना चाहिये । चुनांचि रेडलिक ने अपनी पुस्तक में संविधान-लेखक एवं इतिहासकार स्ट्ब्स का उद्धरण देते हुए यही कहा है कि पार्लामेंट के समय अध्यक्ष या सभापति को किसी भी लोककार्य या निजी कार्य से दूर रह कर केवल सभा के काम और कर्त्तव्य सम्हालना चाहिये ।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री पुन्नूस : नहीं, श्रीमान् ।

सभापति महोदय : तब तो इसके सम्बन्ध में मुझे इस बात का निश्चय करना पड़ेगा कि क्या यह संशोधन यथानियम है अथवा नहीं । चूंकि मैं ने यही समझा था कि माननीय सदस्य इस पर दबाव नहीं डालना चाहते थे, इसलिये मैं ने इस की आज्ञा दी थी ।

श्री नम्बियार : वह इस पर मतविभाजन के लिये ज़ोर नहीं देना चाहते हैं ।

श्री पुन्नूस : यह ठीक है कि संविधान का अनुच्छेद ९७ संसद् को अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन-भत्ता आदि का निश्चय करने की शक्ति प्रदान करता है । मेरा इस समय यही प्रयत्न रहा है कि यह संसद् अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की इस अर्हता का निश्चय करे । प्रश्न यह है कि क्या संविधान हमें ऐसे करने से रोक लेता है । और तब यही प्रश्न उठता है कि क्या इस संसद् को इस बात का निर्णय करने का अधिकार है कि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की क्या अहर्ता होनी चाहिये ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, क्या मैं इस बात का उल्लेख करूं कि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के लिये जो भी एकमात्र अनहर्ताएं हैं वह अनुच्छेद ९४ और १०२ में गिनाई गई हैं । उन्हें एक साथ पढ़ा जाना चाहिये । यदि उस में अनहर्तायें नहीं गिनाई गई हों तो संसद् को अन्य अनर्हतायें आरोप करने का कोई भी अधिकार नहीं ।

श्री पुन्नूस : क्या यह विशद है ?

सभापति महोदय : संविधान का अनुच्छेद ९३ बताता है :—

"लोक-सभा यथासम्भव शीघ्र अपने दो सदस्यों को क्रमशः अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी तथा जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तब तब सभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी ।"

अनुच्छेद ९३ में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के चुनाव का प्रावधान है ।

संविधान का अनुच्छेद ९७ बताता है :—

"राज्य-परिषद् के सभापति और उपसभापति को, तथा लोक-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, ऐसे वेतन और भत्ते, जैसे क्रमशः संसद् विधि द्वारा नियत करे, तथा जब तक उस के लिये उपबन्ध इस प्रकार न बने तब तक ऐसे वेतन और भत्ते, जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं, दिये जायेंगे ।"

अतः इस का अभिप्राय है कि वेतन तथा भत्ते दिये जाने हैं। अब मेरे मान्य मित्र का प्रस्ताव है कि :

"इस अधिनियम में किसी भी बात के सम्मिलित होने के बावजूद सभापति, अध्यक्ष, उपसभापति, अथवा उपाध्यक्ष को, जब तक वे किसी राजनीतिक दल, समुदाय या संस्था के सदस्य हैं तब तक वेतन, भत्ता अथवा कोई ऐसी अन्य सुविधा जो उस संस्था के पहले के विभागों में उपबन्धित हुई है, मिलने का अधिकार न होगा ।"

वह तो वास्तव में संविधान की भावना के विरुद्ध है । संविधान में किन्हीं शर्तों के आधार पर वेतन-भत्ते, आदि देने की कोई भी बात नहीं ।

सभापति महोदय : मैं बहुत कुछ सुन चुका हूं । यह संशोधन अनियमित है ।

श्री के० के० बसु : अनुच्छेद ९४ में कोई भी अनर्हता नहीं दी गई है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह विधेयक के क्षेत्र से भी बाहर है ।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति । जहां तक इस बात का प्रश्न है मैं बहुत पहले तय कर चुका हूं और मैं कोई तर्क नहीं सुनना चाहता ।

श्री एस० एस० मोरे : चूंकि आप ने अनुच्छेद ९७ की व्याख्या इस प्रकार की है, अतः मैं यही कहूंगा कि आप का विनिर्णय इस बात से मेल नहीं खाता .....

सभापति महोदय : सदन में मेरे विनिर्णय के विरुद्ध कोई भी बात नहीं कही जायेगी ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : भला, एक बार सभापति द्वारा दिये गये विनिर्णय पर कैसे चर्चा हो सकती है, श्रीमान् ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं ।

सभापति महोदय : फिर आप का अभिप्राय क्या है ?

श्री एस० एस० मोरे : प्रार्थना कर रहा हूं ।

खण्ड ९—संसद के पदाधिकारी संसद्-सदस्यों के रूप में वेतन आदि नहीं पा सकते ।

सभापति महोदय : अब हम खण्ड ९ पर विचार करेंगे ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमान्, मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : मैं यही कहूंगा कि मैं ने जो भी निश्चय किया है उस के सम्बन्ध में कोई भी बात नहीं बतानी चाहिये । यदि

[सभापति महोदय]

और कोई चीज़ हो तो मैं सुनने को तैयार हूं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमान्, खण्ड ९ के बारे में।

मैं यह कहना चाहता हूं कि उपसभापति तथा उपाध्यक्ष को संसद् से बाहर बनाई गई किसी कमेटी में भाग लेने की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिये।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह असंगत है। अनुच्छेद ९७ में वेतन तथा भत्ते प्राप्त करने की बात है। अतः, इसका कमेटी में भाग लेने के साथ क्या सम्बन्ध है ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि उपसभापति अथवा उपाध्यक्ष सरकार द्वारा स्थापित किसी कमेटी में उपस्थित हो तो उसे उसका कोई भी भत्ता नहीं मिलना चाहिये। किन्तु आज तक के व्यवहार में उन्हें वेतन, भत्ते, यात्रा-भत्ते, महंगाई-भत्ते आदि मिलते हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : नहीं, श्रीमान्। ऐसी कोई भी बात नहीं। खण्ड ६ में तो न्यूनाधिक रूप में यह बात आ जाती है। यदि उन्हें और कोई काम करने को कहा जाता है, तो उन्हें जेब खर्चे में से पैसा दिया जाता है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : यदि इन अधिकारियों को सरकार द्वारा नियुक्त की गई समितियों में लिया जायगा तो उन्हें एक प्रकार से सरकार की संरक्षता प्राप्त होगी। जोकि सदन में उन की निष्पक्षता पर बुरा प्रभाव डालेगी। मैं निवेदन करता हूं कि इन्हें संसद से बाहर किसी भी समिति में किसी भी हैसियत से नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड ९ इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ९ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड १० विधेयक का अंग बना लिया गया।

खण्ड ११—नियम बनाने की शक्ति

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमन्, मैं छोटा सा एक संशोधन प्रस्तुत करती हूं कि पृष्ठ २ की पंक्ति ३६ तथा ३७ में "in consultation with the Chairman and the Speaker."

"सभापति तथा अध्यक्ष के परामर्श से" के शब्द हटा दिये जायें।

चूंकि यह अध्यक्ष से सम्बन्ध रखता है, इसलिए मेरे विचार में यह शब्द अनावश्यक हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : नहीं, श्रीमान्। इस प्रकार के मामले में सरकार के लिये यह अनुचित होगा कि वह अध्यक्ष के मश्वरे के बिना कोई नियम बनावे।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्या ने संशोधन पर आग्रह करती हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जी हां, श्रीमान्।

उक्त संशोधन सभापति द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा सदन ने इसे अस्वीकृत किया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड ११ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ११ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड १, शीर्षक तथा अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बना लिए गए ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"इस विधेयक को पास किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

"इस विधेयक को पास किया जाये ।"

श्री एस० एस० मोरे : श्रीमन्, संविधान के अनुच्छेद ९७ में जहां अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि के वेतनों तथा भत्तों का उपबन्ध रखा गया है वहां उन्हें बिना किराये के रिहायशी मकान उपलब्ध कराने की बात का कोई ज़िक्र नहीं। उच्चतम न्यायालयों के जजों के लिए मकानों का उपबन्ध निश्चित रूप से रखा गया है । यदि संविधान सभा की इच्छा होती तो वह यहां भी इसका उपबन्ध रख देती। इसलिए, मुझे आशंका है कि खंड ४ जो कि बिना किराये के रिहायशी मकान का उपबन्ध रखता है, न केवल भेद-भावपूर्ण है अपितु अनियमित भी है ।

सभापति महोदय : अनुच्छेद ९७ में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं कि वेतन के बिना इन्हें और कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं की जायगी। इसलिए, माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में जो भी चातुर्य दिखाया है वह बेकार गया है ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा): विरोधी-दल यह नहीं चाहता कि संसद् के अधिकारियों पर वेतन और भत्ते लेने में रोक हो, पर राजनीतिक दल विशेष से उनका प्रत्यक्ष संबंध उन के निष्पक्ष कार्यनिर्वाह के आड़े आएगा। ऐसे सम्मानित पद पर रहने पर भी उन का दलविशेष से संबंध लोगों के मन में उन के प्रति पूरा विश्वास न रहने देगा। अतः विभाजन द्वारा इस विषय को न निपटा कर इस अभिमत की कद्र होनी चाहिए । विदेशी रूढ़ियों के उद्धरण ही पर्याप्त नहीं हैं । हम यही चाहते हैं कि वे राजनीतिक दलों के सक्रिय सदस्य न रहें, और यह हो जाने पर पूरे सदन को इन अधिकारियों की निष्पक्षता का भरोसा रहेगा ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव यह है कि : "विधेयक को पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सेवा की शर्तें) विधेयक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं *प्रस्ताव करना चाहता हूं कि :

"भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की सेवा की कुछ शर्तों का विनियमन करने वाले एक विधेयक को विचारार्थ ग्रहण किया जाए ।"

यह अपेक्षतया सीधा-सादा विधेयक है, जो नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पदावधि और पेंशन के लिए उपबन्ध करना चाहता है । इन दोनों के सम्बन्ध में विद्यमान उपबन्धों को हम पूर्णतः संतोषजनक नहीं समझ रहे हैं । नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सेवा के पद और शर्तें अब संविधान की द्वितीय अनुसूची के—१९३६ में सांविधानिक परिवर्तनों के अंगस्वरूप प्रवर्तित तथा संविधान में उपबन्ध कर के चालू रखे गए भारत सरकार लेखा परीक्षा तथा लेखे समादेश, १९३६, के साथ पठित—द्वारा विनियमित करने का विचार है। आज कल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पदावधि पांच वर्ष की होती है और इसके अधीन रहते हुए उसे भारतीय सिविल सर्विस का सदस्य होने पर अपना पद ३५ वर्ष की सेवा के पूर्ण होने पर रिक्त करना पड़ता है या अन्य दशाओं में

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया गया ।

[श्री सी० डी० देशमुख]

५० वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर। यह बात कुछ समय से भारत सरकार के विचाराधीन रही है कि अन्य सांविधानिक अधिकारियों की भांति नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए भी एक निश्चित पदावधि क्यों न विहित कर दी जाए, और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पदावधि छः वर्ष की निश्चित की जाए। सदन के सामने उपस्थित इस विधेयक के उपबन्ध उक्त निर्णय को कार्यान्वित करते हैं। विधेयक के प्रभावी होने की तिथि पर इस पद पर स्थित व्यक्ति के लिए भी इसे लागू बनाया जा रहा है। आजकल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को इस रूप में की गई सेवा के लिए कुछ भी पेंशन नहीं मिलती। यह सोचते हुए कि इस उच्च पद पर रहने वाले व्यक्ति के ऊपर किसी राज्य या केन्द्र में दूसरा पद ग्रहण करने के बारे में रोक है, और इस पद के भारी महत्व तथा भूतपूर्व देशी राज्यों के एकीकरण के फलस्वरूप अन्य राज्यों की भांति उन की भी लेखापरीक्षा और लेखों के विषय में उन के ऊपर आ पड़ने वाले भारी उत्तरदायित्वों पर विचार करते हुए सरकार का विचार है कि इस पद पर उन के द्वारा की गई सेवा को मान्यता दी जाए और उनकी सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन का विनियमन किया जाए।

यह विधेयक नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक के रूप में की गई सेवा के लिए प्रति वर्ष ६०० रुपये की एक अतिरिक्त पेंशन का प्रस्ताव करता है, जो उसके सेवा-विशेष के सदस्य होने के नाते मिलने वाली सामान्य पेंशन से अतिरिक्त होगी; पर साथ ही प्राप्त हो सकने वाली कुल पेंशन के विषय में एक अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है, जो भारतीय सिविल सर्विस के सदस्य के लिए १००० पौंड और अन्य दशाओं में १२००० रुपये होगी। मुझे पूरा भरोसा है यह माना जाएगा कि पेंशन में प्रस्तावित वृद्धि बिलकुल परिमित है और किसी प्रकार अधिक नहीं कही जा सकती। मैं ने दो संशोधनों की भी पूर्वसूचना दी है, जो मैं खंडशः विचार होते समय रखना चाहता हूं। पहला तो यह स्पष्ट करता है कि नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की संविधान के आरम्भ से पहले वाली सेवा को अतिरिक्त पेंशन के लिए अर्ह-काल की गणना करते समय ध्यान में रखा जाएगा। दूसरा संशोधन भारतीय सिविल सर्विस के एक पदाधिकारी द्वारा अन्यथा अर्जित अधिकतम पेंशन का, जो १००० पौंड है, संरक्षण करने के लिए है। ये संशोधन सिद्धान्त का कोई प्रश्न नहीं उठाते, बल्कि स्पष्टीकरण करने वाले हैं।

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर) : नए पेंशन संबंधी खंड न होने पर वर्तमान पदारूढ़ व्यक्ति को कितनी पेंशन मिलेगी ?

श्री सी० डी० देशमुख : ९००० रुपये। वह आई० सी० एस० अफसर नहीं है। ६०० रुपये की दर से ५ और ६ वर्ष के बीच कोई अन्तर नहीं पड़ता, पांच वर्ष के बाद भी उन को १२०० रुपये से कुछ अधिक मिलेंगे। १२०० रुपये अधिकतम सीमा है।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : उन की आयु और जन्म-तिथि क्या है ?

श्री सी० डी० देशमुख : आयु ५९ वर्ष है। जन्म-तिथि मुझे विदित नहीं। यह सूचना मैं माननीय सदस्य को एक दिन में देने का यत्न करूंगा।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मेरी समझ से यह अगस्त के अन्त या सितम्बर के शुरू में कहीं है ।

श्री एस० एस० मोरे : विधेयक पारित न हो, तो उन की सेवानिवृत्ति की तिथि क्या होगी ?

श्री सी० डी० देशमुख : इस वर्ष १५, अगस्त ।

श्री पल्लाथरास (पुदुकोटै) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "विधेयक को श्री बी० दास, श्री एच०एन० मुखर्जी, श्री फ्रेंक एंथोनी, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन और प्रस्तावक (मेरे) से बनी एक प्रवर-समिति को सौंपा जाए और प्रवर-समिति को अपना प्रतिवेदन ९ मई, १९५३ तक प्रेषित करने का निदेश दिया जाए ।"

यह विधेयक सीधा-सादा होने पर भी सांविधानिक महत्व का प्रश्न उठा रहा है । इस दृष्टि से अन्य सांविधानिक अधिकारियों की अपेक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक संबंधी उपबन्ध अधिक महत्वपूर्ण है । महालेखापरीक्षक को संविधान में वह महान् स्थान दिलाने के लिए श्री टी० टी० कृष्णमाचारी द्वारा किए गए प्रयत्नों की मैं सराहना करूंगा । पर तद्विषयक स्पष्ट उपबन्धों को ले कर संविधान में कुछ कमी रह गई है····

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अभी कुछ समय लेंगे, अतः सदन की बैठक कल ८-१५ तक के लिए स्थगित की जाती है ।

तत्पश्चात् सदन की बैठक बुधवार, २९ अप्रैल, १९५३ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।